21 वीं सदी में भारत की चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

डॉ अखिलेश शुक्ल

21 वीं सदी में भारत की चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

21 वीं सदी में भारत की चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

डॉ. अखिलेश शुक्ल

ऑनरेरी सम्पादक

पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड तथा

प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित

प्राध्यापक, समाजशास्त्र

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत

पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

ISBN- 978- 81- 87364 82-5

रिसर्च जरनल का वार्षिक विशेषांक

ISSN 0975-4083

Research Journal of Arts, Management and Social Sciences

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 2138, Impact Factor 4.875,

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest U.S.A. Title Id: 715204

(An Official Journal of Centre for Research Studies, Rewa, M.P, India)

Registered under M. P. Society Registration Act, 1973 Reg. No. 1802

21 वीं सदी में भारत की चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

©सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

प्रथम संस्करण : 2022

₹ 600.00

प्रकाशक

गायत्री पब्लिकेशन्स

186/1 लिटिल बैम्बिनोज स्कूल कैम्पस

विन्ध्य विहार कॉलोनी

पड़रा, रीवा (म.प्र.) 486001

फोन : 7974781746

E-mail- researchjournal97@gmail.com

researchjournal.journal@gmail.com

www.researchjournal.in

लेजर कम्पोजिंग – प्रेम ग्राफिक्स

रीवा– 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट

नागपुर

पुस्तक में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। पुस्तक के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

आमुख

चुनौतियों को स्वीकार करना मानव का सहज स्वभाव है। मानव सभ्यता का इतिहास चुनौतियों से परिपूर्ण है। जब भी हमारे समक्ष कोई बड़ी बाधा आई हमने उसका डटकर मुकाबला किया। आदि मानव खूँखार जंगली जंतुओं के बीच रहकर भी उनसे भिन्नता कायम करने में तथा स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में सफल रहा।अनेक पड़ावों से गुजरते हुए हम अब इक्कीसवीं सदी में पहुँच चुके हैं। यदि हम इसके पीछे की दो सदियों को देखें तो ये वैज्ञानिक घटनाओं एवं आधुनिक विचारधारा से परिपूर्ण दिखाई देंगी। इन दो सदियों की मानव उपलब्धियाँ पिछली कई सदियों की तुलना में बहुत अहम् हैं क्योंकि हमने हर क्षेत्र में परंपराओं एवं रूढ़ियों को तोड़ने की सफल चेष्टा की है। पहले समृद्धि कुछ लोगों तक सीमित थी लेकिन अब यह व्यापक हो गई है। आपके समक्ष 21वीं सदी में भारत की चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर संपादित पुस्तक प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक में विभिन्न विद्वानों, शोध छात्रों के शोध पत्रों और लेखों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में हमारे समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियां का किस तरह समाधान किया जा सकता है, इस पर चिंतन किया गया है। सभी का मानना है कि भले ही आने वाले समय में काफी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन एक बार जो आदमी इनसे जीतकर आगे निकल जाएगा उसके लिए संभावनाएं भी काफी हैं।

वर्तमान समय में भारतीय समाज के समक्ष बेरोजगारी एक यक्ष प्रश्न है। भारत में बीस वर्ष की उम्र से ऊपर के करीब 14.30 करोड़ युवाओं को नौकरी की तलाश है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रिपोर्ट भी इस विषय पर चिंता प्रकट कर रही हैं। वर्तमान युग मशीनीकरण का युग है। इंसानों की जगह रोबोट ले रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। इस समस्या के बीच भी हमें सामंजस्य ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा तभी युवा वर्ग को सही दिशा मिल सकेगी। ई बाजार ने भारत में विस्तार किया है। ऐसोचौम की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में ई बाजार बाजार 17 अरब डालर था। 2016 में इसने 38 अरब डालर की सीमा पार की और करीब ढाई लाख को रोजगार दिए। अनुमान के मुताबिक करीब तीन लाख नये रोजगारों का सृजन होगा।

अभी हाल ही में भारत सरकार ने इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है और मध्य प्रदेश सर्वप्रथम राज्य है, जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहां इस सत्र से लागू कर लिया है। नई शिक्षा नीति युवाओं में स्वरोजगार के साथ-साथ नैतिक मूल्य और नैतिकता की भावना को भी जागृत करेगी।

वर्तमान समय में भारतीय समाज के समक्ष बदलती हुई जीवनशैली भी एक चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 10 से 24 आयु वर्ग की करीब

23 लाख युवा आबादी हर साल असामायिक मौत की शिकार हो जाती है। इसकी बड़ी वजह बदलती जीवन शैली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कार्य के आधुनिकीकरण ने दिन और रात के भेद को खत्म कर दिया है।नशा भारतीय समाज के सामने वर्तमान समय में एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहा है। भारत दुनिया में नशाखोरी के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहां 10 करोड़ 80 लाख युवा धूम्रपान की गिरफ्त में हैं। देश में प्रतिवर्ष धूम्रपान की वजह से 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। देश में करीब 21.4 प्रतिशत युवा शराब के नशे के शिकार हैं। 0.7 प्रतिशत लोग अफीम और 3.6 प्रतिशत लोग प्रतिबंधित ड्रग लेते हैं।

नक्सलवाद और आतंकवाद भी हमारे समाज को कमजोर कर रहा है। युवाओं को दिग्भ्रमित करके उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास हमारे पड़ोसी देश करते रहे हैं। वर्तमान समय में देश में 800 से अधिक नक्सलवादी एवं आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। भ्रष्टाचार भारतीय समाज के सामने बड़ी समस्या है। भारत की प्रमुख कारोबारी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन फिक्की का कहना है कि भारत में प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार के कारण सात अरब डॉलर का नुकसान हुआ। भ्रष्टाचार का सीधा असर निवेश पर पड़ता है और इससे युवा प्रभावित होते हैं। आज की युवा पीढ़ी और विकास के लिए लिंगभेद बड़ी चुनौती है। भारत में हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में 41 फीसदी आरोपी 18 से 30 साल की उम्र के युवा हैं। इसके अलावा हाईटेक समाज साइबर क्राइम की गिरफ्त में भी फंसता जा रहा है। गांवों की आबादी का लगातार प्रवास नगरों की तरफ हो रहा है। 2050 में दुनिया की 10 अरब आबादी के आधे से ज्यादा लोग सिर्फ 10 देशों में रह रहे होंगे। इन 10 देशों में से 4 को यूएन ने अभी सबसे पिछड़ा घोषित कर रखा है। जैसे-जैसे गांवों की आबादी शहरों की ओर पलायन करेगी, नये रोजगार पैदा करने और शहरी सेवाओं को बनाए रखने का दबाव और बढ़ेगा। भविष्य के शहरों के लिए परिवहन प्रणाली और आवास, इन दो क्षेत्रों को सबसे जूयादा तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में नई सोच का मतलब होगा जगह बनाने, सफाई और गतिशीलता बढ़ाने के क्षेत्र में अधिक निवेश। स्वच्छ पर्यावरण हमारी प्राथमिक आवश्यकता है पर्यावरण की तरफ भी हमें गंभीरता के साथ प्रयास करना होगा तभी आगे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहकर के विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकेगी। स्वच्छता के विषय में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं।आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप के सकारात्मक सुझाव हमें प्राप्त होंगे।

डॉ. अखिलेश शुक्ल
सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	कमजोर वर्ग, भूमिहीन मजदूर सीमान्त कृषक एवं बंधुआ मजदूरों की समस्यायें **डॉ. अखिलेश शुक्ल**	09
02.	पारिवारिक विघटन एक सामाजिक समस्या (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) **डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव, उमेश सिंह**	23
03.	21वीं सदी में भारत की चुनौतियाँ **डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय**	34
04.	इक्कीसवीं सदी का भारत : चुनौतियॉ एवं संभावनाएँ **डॉ. रेणु कुमारी सिन्हा**	45
05	इक्कीसवीं सदी का भारत **डॉ. सुनीता पन्द्रो**	51
06	21वीं सदी में सामाजिक गतिशीलता की चुनौतियां एवं संभावनाएं **भारत एस हरियाले**	58
07	21वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति व चुनौतियाँ **डॉ. सीमा श्रीवास्तव**	66
08	21वीं सदी- उच्च शिक्षा में समस्याएँ एवं समाधान **डॉ. कंचन मसराम**	73
09	नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में ऑनलाईन कक्षाओं की भूमिका **डॉ. शशिकिरण कुजूर**	81
10	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियां और संभावनाऐं **डॉ. आशा गोहे**	86
11	कोविड-19 का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव : एक चुनौती **डॉ. बृजेश चन्द्र त्रिपाठी, डॉ.राहुल कुमार तिवारी**	93
12	वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा की संकल्पना **आशुतोष भण्डारी**	101
13	आत्मनिर्भर भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी शक्ति **डॉ. जगतसिंह बामनिया**	114

14	भारत में सौर ऊर्जा की बदलती तस्वीर **मंजरी अवस्थी**	122
15	महिला उद्यमियों हेतु अवसर और चुनौतियाँ **डॉ. रचना कोरी**	129
16	21 वीं सदी में भारत में महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली बाधाएं एवं भविष्य में सम्भावनाएं- एक अध्ययन **डॉ. नीलम श्रीवास्तव**	138
17	महिला उद्यमियों हेतु अवसर एवं चुनौतियाँ **पूजा तिवारी**	145
18	महिला उद्यमियों हेतु अवसर और चुनौतियाँ **सिद्धार्थ मिश्र**	150
19	पर्यावरणीय चुनौतियां एवं जनजागृति **डॉ. उषा सिंह**	156
20	21वीं सदी में हिन्दी साहित्य और समाज : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ "स्त्री विमर्श के विशेष संदर्भ में" **डॉ. गार्गी लोहनी, डॉ. रवि कान्त कुमार**	163
21	हिंदी भाषा चुनौतियाँऔर समाधान **श्रीमती मंजरी अवस्थी**	172

कमजोर वर्ग, भूमिहीन मजदूर सीमान्त कृषक एवं बंधुआ मजदूरों की समस्यायें

• डॉ. अखिलेश शुक्ल

सामान्यत: भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं को "समाज का कमजोर वर्ग" (Weaker Section of Society) कहा जाता है। संविधान शिल्पी डॉ. भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि भारतीय समाज में समता का नितान्त अभाव है। यहाँ कुछ व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त है और कुछ श्रेणीवार असमानता के शिकार है। समाज में कुछ उच्च वर्ग के व्यक्ति है जबकि अन्य लोग निचली श्रेणियों में समझे जाते है। उसी तरह आर्थिक दृष्टि से भी हमारा समाज विभाजित है – कुछ व्यक्तियों के पास अपार धनराशि है, जबकि अधिकांश व्यक्ति घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे है। इस दृष्टि से श्रेणीवार असमानता के शिकार, निचली श्रेणी के वे लोग जो निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे है उन्हे समाज का कमजोर वर्ग कहा जा सकता है।

कमजोर वर्ग : अवधारणा(Concept of Weaker section)-'कमजोर' (Wearker), 'पिछड़ा' (Backward), 'विकासशील' (Developing) एवं 'विकसित' (Developed) शब्द तुलनात्मक अवधारणायें प्रस्तुत करते है। इनके मापदण्ड और इनकी निश्चित अवधारणा निरूपित कर पाना एक कठिन कार्य है। एक विकासशील सामाजिक वातावरण में कमजोर या पिछड़े एवं अगड़े (विकसित) या गैर – पिछड़े वर्गो का कोई भी विभाजन अवैज्ञानिक, अस्पष्ट और केवल विवेक पर आधीन होगा। संसार में आज तक ऐसा कोई निश्चित मानक स्थापित नही किया जा सका है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मानव समुदाय का एक वर्ग या जाति कमजोर या पिछड़ी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त पिछड़े वर्ग के अध्ययन दल, जिसे "रेणुका अध्ययन दल" कहा जाता है, के अनुसार, हम यह अनुभव करते है कि पिछड़ेपन के लक्ष्य एवं कामचलाऊ परिभाषा के अभाव में विशेषाधिकारों के लिये जन्म पर आधारित पिछड़े

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

समुदाय बढ़ते जा रहे है। एक भूमिहीन श्रमिक को, बिना यह देखे कि वह किस समुदाय का है, सहायता की आवश्कता है। वही सिद्धान्त बेघरवार, बेरोजगार, अज्ञानी तथा बीमार व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

पिछड़े वर्ग के संदर्भ में विगत वर्षो मे अनेक अवधारणायें विकसित हुई है, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अशक्त या दुर्बलतर वर्ग तथा अति गरीब दुर्बलतर वर्ग को इनके अर्न्तगत शामिल किया गया है। कमजोर वर्ग जिन्हे अब अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward class)कहा जाता है, का आधार जातिगत हो गया है। इस वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल माना जा रहा है, जो अनेक वर्षो तक केन्द्र या राज्य मन्त्रिमंडल का सदस्य रहा हो । अभी हाल ही में ऐसे लोगो के लिए आय की सीमा का एक प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह सीमा एक लाख रूपया वर्षिक आय रखी गई है। इस तरह सामान्य अर्थों में यह सम्पूर्ण व्यवस्था जातिगत आधारों पर टिकी हुई हैं।

अनुसूचित जातियों में वे जातियां शामिल की गयी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामाजिक दृष्टि से अस्दृश्य समझी जाती रही है। ऐसी जातियां जो पीढ़ियों से अप्रिय, अमान्य तथा मल उठाना, झाड़ू लगाना, मृत पशु उठाना, चर्म शोधन कार्य करना आदि जैसे निचले धन्धों करती आयी है, उनकी गणना अनुसूचित जातियों में की गई हैं। अनुसूचित जनजातियां वे जातियां है, जो ऐसे क्षेत्रों में रह रही, जिनका भौतिक विकास नही हुआ है अथवा जो घुम्मकड़ वृत्तियों की रही है। जैसे –भील, गाड़े, आदि । इन जातियों तक आधुनिक सभ्यता की रोशनी बहुत कम पहुच पायी हैं।

इस प्रकार तीनों ही प्रकार की जातियां बाकी समाज से कटकर अलग हो गई और इन्हें विकास की धारा के साथ जोड़ने के लिये विरोध प्रयासों की आवश्यकता समझी गयी। अन्य पिछड़े वर्गो का सीमाकंन करना कठिन है। इनमें अनेक ऐसी जातियां जो अनुसूचित जातियां नही थी, किन्तु अन्य जातियों से पिछड़ी थी, परन्तु अछूत नही थी जैसे नाई, बढ़ई को पिछड़े वर्गो में शामिल कर लिया गया हैं।

राजनीति कोष के अनुसार, "पिछड़े हुये वर्गो का अभिप्राय समाज के उस वर्ग से है जो अर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक र्नियोगिताओं के

कारण समाज के अन्य वर्गो की तुलना में नीचे स्तर पर प्रयोग हुआ हैं। (अनुच्छेद 16(4)तथा 340)पर इसकी परिभाषा कही नही की गई है।[1] पिछड़े वर्गो मे जातियों के साथ-सथा कुछ वर्ग जैसे - महिलायें, अनाथ, भिखारी आदि भी शामिल किये गयें।

'दुर्बलत्तर वर्गों' या 'अशक्त वर्गों' शब्द बन्ध का भारत के सांविधान में जिस प्रकार प्रयोग किया गया है, उससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा भी कुछ वर्गो को शामिल किया गया है। किन्तु यह स्पष्ट नही किया गया कि वे कौन से वर्ग होगें। रेणुका अध्ययन दल ने निम्नलिखित प्रकार के वर्गो को इसमें सम्मिलित करने का सुझाव दिया है- बहुत कम भूमि वाले किसान, भूमिहीन मजदूर, बहुत छोटे दस्तकार, अनुसूचित जातियॉ, उच्च जाति के गरीब, महिलायें, असहाय लोग जैसे- विधवायें, अनाथ, वृद्ध, बेरोजगार आदि।

पिछड़े वर्गो की घोषणा करते समय राज्य सरकारों ने स्थिति को काफी अस्पष्ट कर दिया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 64 जातियों को अनुसूचित जातियों में रखा है। इसमें अनेक ऐसी जातियॉ है, जो जन - सामान्य में इन नामों से नही जानी जाती तथा एक ही जाति के पर्याय या उपजाति के नाम भी रख दिये गये है। जैसे - बलाई, बाल्मीक आदि। पिछड़े वर्गो में 37 जातियों को रखा है। इनमें अनेक ऐसी जातियॉ है जिन्हे सामान्य ग्रामीण वर्गो से किसी भी दृष्टि से अलग नही किया जा सकता है। जैसे अहीर, गूजर, हलवाई, सोनार, कुम्हार, माली, जोगी, दर्जी आदि। इस तरह पिछड़े वर्गो में अनेक जातियो को राजनीतिक कारणों से शामिल किया गया है।

भूमिहीन, सीमान्त कृषक, बॅधुआ मजदूर अधिकाशतः ग्रामीण भारत और श्रमिक नगरों के कमजोर वर्ग है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। मण्डल कमीशन के प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के पश्चात राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गो की भी सूचियॉ बनाई गयी है। पिछड़ी जातियों का सर्वप्रथम आयोग 1953 में गांधीवादी विचारक काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग ने भारत की 2399 जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में पहचान करते हुये अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को 30 मार्च

1955 को प्रस्तुत किया था। इनके अलावा काका कालेलकर आयोग ने भारत की सम्पूर्ण महिलाओं को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश की थी। इस आयोग में 7 सदस्य थे, जिनमें से तीन सदस्य यह मानते थे, कि जातीयता पिछड़ापन का कारण है। स्वयं इस आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों ने अपने- अपने ढंग से लागू किया। इससे अनेक प्रकार की विसंगतियाँ बढ़ी। इन्ही विसंगतियों को दूर करने के लक्ष्य से 20 सितम्बर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की जनता सरकार ने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बी. पी. मण्डल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था। इस आयोग के 6 सदस्य थे। मण्डल आयोग ने 31 दिसम्बर 1980 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौप दिया था। इस आयोग से यह चाहा गया था कि वह भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की पहचान करके उनके उत्थान के लिये दिशा निर्धारित करते हुये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। मण्डल आयोग ने यह स्वीकार किया है कि, जातियाँ हिन्दू समाज रचना की आधारशिला है। इस आयोग ने हिन्दुओं के साथ - साथ अन्य धर्मावलम्बी कुल 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया है। इस आयोग के अनुसार देश भर में इनकी संख्या कुल आबादी की 52 प्रतिशत है।

भूमिहीन (खेतिहर) मजदूर, सीमान्त कृषक एवं बंधआ मजदूर (Landless Labourers, Mariginal Farmers and Bonded Labour)-भारत ग्रामो में निवास करता है। गॉधी जी के शब्दों में, "जैसे पिण्ड में ब्रम्हाड़ है, ऐसे देहात में हिन्दुस्तान है।" भारत में 80 प्रतिशत लोग गॉवों में निवास करते है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामों को (वरीयता देते हुये कृषि और ग्रामीण उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना और उसके पश्चात् लागू की गई योजनाओं में ग्राम्य विकास में पूँजी विनियोग की कमी रही है। यही कारण है कि 1950-51 की तुलना में 1990-91 में औद्योगिक क्षेत्र में जहॉ दस गुना वृद्धि हुई है, वहीं कृषि क्षेत्र में केवल तीन गुना की वृद्धि हो पायी है। परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में निरंतर विषमता का विस्तार होता चला गया है। भारत में राष्ट्रीय सम्पत्ति के लगभग आधे के मालिक सम्पन्न वर्ग के 10 प्रतिशत लोग है, जबकि सबसे गरीब 10 प्रतिशत लोगो के पास राष्ट्रीय सम्पत्ति का

0.1 प्रतिशत है। यह हमारी आर्थिक प्रगति का एक चित्र है, जो यह बतलाता है कि विकास के साथ गरीबों की संख्या बढ़ती ही गयी है। सरकारी ऑकड़ों के अनुसार देश की 37 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन- यापन कर रही है। इन्ही में से अधिकांश संख्या भूमिहीन , बॅधुआ मजदूर, सीमान्त कृषक एवं श्रमिकों की है। भारतीय कृषि व्यवस्था में भूमिहीन श्रमिकों, बंधुऑ मजदूरों एवं सीमान्त कृषकों की स्थिति कमजोर है और इन वर्गो का जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। इनकी समस्याओं को सुलझाये बिना देश की कृषि अर्थव्यवस्था में दूरगामी सुधार लाना संभव नही है।

भूमिहीन की श्रेणी में वे मजदूर आते है जो मूलतः अकुशल व अव्यवस्थित है और जिनके जीवकोपार्जन के लिये अपने श्रय के अतिरिक्त लगभग कुछ भी नही होता है।[2] वास्तव में भूमिहीन, खेतिहर मजदूर (श्रमिक) है। ग्रामीण अंचल में भूमिहीन कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते है। दूसरे शब्दों में इनकी आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। भारत में 1991 की जनगणना में इनकी संख्या 7,45,917,744 पायी गयी है। इनमें 4,61,64,747 पुरूष एवं 2,84,32,997 महिलायें भूमिहीन थी। यह व्यक्ति नगद या जिन्स (अनाज) के रूप में मजदूरी या बटॉई लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में काम करते है। इसीलिये इन्हे खेतिहर मजदूर कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों (खेतिहर मजदूरों) का उस जमीन के पट्टे या ठके पर किसी प्रकार का हक नही होता है। नेशनल कमीशन आन लेवर (National Commission on Labour) खेतिहर मजदूरों की निम्नलिखित दो श्रेणियॉ स्वीकार की है।[3]

1. भूमिहीन मजदूर (Landness Labourer)
2. बहुत छोटे किसान, जिनकी कृषि आय बहुत कम होने के कारण, उनकी आय का साधन मजदूरी है।

एक हेक्टयर से कम भूमि वालों की गणना 'सीमान्त किसान', एक हेक्टयर से दो हेक्टयर तक की भूमि वाले 'लघु किसान', दो से चार हेक्टयर वाले 'अर्द्ध - मध्यम', 4 से 10 हेक्टयर वाले 'मध्यम' एवं 10 हेक्टयर से अधिक वाले 'वृहद किसान' माने जाते हैं। भारत में इनका प्रतिशत निम्नवत् है-

बंधुआ मजदूरी भारत के ग्रामीण आंचलों में पाई जाने वाली आज भी कहीं–कहीं पर इसके अवशेष पाये जाते है।

किसान	प्रतिशत
सीमान्त किसान	12
लघु किसान	14
अर्द्ध मध्यम किसान	21
मध्यम किसान	30
वृहत् जोतों वाले किसान	23

जहां बंधुआ मजदूर हैं, उनकी हालत अत्यन्त गरीबी एवं दासता का प्रतीक है। स्वतंत्र भारत में 'बधुआ मजदूरी' की प्रथा समाप्त करने हेतु संविधान ने तथा विधियों की व्यवस्थायें की गई है। संविधान के अनुच्छेद 23 के अर्न्तगत 'बेगार प्रथा' को समाप्त कर 'बधुआ मजदूरों' की प्रथा को समाप्त किया गया है। स्वतंत्रता पूर्व यह प्रथा गुलामी के रूप में विद्यमान थी। इलाकेदार, पवाईदार, बड़े किसान, सेठ – साहूकार अपने यहां लोगों को ऋण देकर रख लेते थे और जब तक वह व्यक्ति अपना ऋण चुका नही कर पाता था, बंधुआ मजदूर के रूप में उनके यहां कार्य करता था। मजदूरी के रूप में उसे थोड़ा सा अनाज जीवन यापन हेतु मिल जाता था। उसकी स्त्री भी काम पर रख ली जाती थी व उसे भी कभी – कभी तन ढकने के लिए पुराने वस्त्र और पेट की भूख मिटाने हेतु कुछ अनाज मिल जाता था। उनके बच्चे इन किसानों या सेठ–साहूकारों के मवेशियों की देखभाल करते थे। ऐसे व्यक्ति ऋण की राशि कभी नही पटा पाते थे क्योंकि उन्हे प्रत्येक अवसर पर जैसे बच्चे के जन्म, उसके पालन–पोषण एवं विवाह आदि के लिए ऋण लेना पड़ता था। इस तरह ऋण की राशि बढ़ती जाती थी और वह परिवार पुश्त–दर– पुश्त बंधुआ मजदूरों की समाप्त करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय कड़े कदम उठाये गये। उन्होने उनकी समस्याओं के निदान हेतु 20 सूची कार्यक्रम में विशेष योजनायें स्वीकार किया। श्रीमती गांधी ने उस प्रथा को तत्काल समाप्त करने हेतु यह अध्यादेश (Bonded Labour system Aboution ordinance) 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया। बाद में 1976 में भारतीय संसद ने 'बंधुआ मजदूर प्रणाली' को समाप्त करने हेतु 'बाण्डेडे लेवर सिस्टम (एबालिशन) एक्ट' पारित किया।[4]

इस अधिनियम के द्वारा सम्पूर्ण में बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरों का पता लगाने एवं उनके कल्याण हेतु शुरू किये गये कार्यक्रमों की निगरानी का काम श्रम मंत्रालय को सौपा है। बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में एक सर्वेक्षण कार्य गॉधी शान्ति द्वारा

राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से किया गया है। 1978 में किये गये इस सर्वेक्षण में भारत के 295 जिलों के 1000 गॉवों में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने का कार्य करते हुये यह पाया गया कि उस समय देश में लगभग 23 लाख बंधुआ मजदूर थे। इनमें 80 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मजदूर पाये गये थे। आन्धप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश के लगभग 1 लाख 20 हजार बंधुआ मजदूरों को ऋण मुक्त कराया गया। भारतीय आर्थिक समीक्षा 1992-93 में प्रकाशित रिर्पोट के अनुसार देश में 31 मार्च 1992 तक 2 लाख 50 हजार बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास कराया गया है। केन्द्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत इन्हे सहायता उपलब्ध करायी गयी है। इस तरह अब खुले रूप में बंधुआ मजदूरी की प्रथा लगभग समाप्त प्राय है। फिर भी इस प्रणाली के लिये सर्वाधिक उत्तरदायी तत्व भीषण गरीबी है, जिसके कारण लोग ऋणी होकर सेठ, साहूकारों के यहॉ अथवा बड़े किसानों एवं बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगो के ऋणो को माफ करते हुये अन्य अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हे अनुदाय एवं ऋण राशि उपलब्ध करायी जा रही है। भारत सरकार का यह प्रयास है कि देश में कोई व्यक्ति बॅधुआ मजदूर के रूप में कार्य न करे और इसके लिये अनेक विधिक कदम भी उठाये गये है। आवश्कता इस बात की है कि प्रान्तीय सरकारों और स्थानीय शासन की संस्थायें इस कार्य में अधिक सक्रियता का परिचय दें ताकि बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के लिये उन्हे दी जाने वाली सहायता राशि का सही उपयोग किया जाय।[5]

समस्यायें एवं उनके निदान हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रत्यन्न (Problems and Efforts of the Government for Improvemrnt)- राजनीतिक शब्दावली एवं शासकीय अभिलेखों में इन्हे अब "अन्य पिछड़ा वर्ग"(Other Backward Class) कहा जाता है। भूमिहीन (खेतिहर मजदूर), सीमान्त कृषक, एवं बंधुआ मजदूरों का एक बहुत बड़ा भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का है। इनके उत्थान के लिये शासन ने अनेक योजनायें बनायी है। भारत के भूमिहीन मजदूरों, बंधुआ मजदूरों एवं सीमान्त किसानों की

समस्यायें मुख्य रूप से उनकी आजीविका के साधन के साथ जुड़ी हुई है।[6] यह सभी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे है। इनकी कुछ समस्यायें निम्नांकित है।

समस्यायें (Problems)-

1-गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन- भूमिहीन श्रमिकों, सीमान्त किसानों एवं यदा- कदा या यत्र- तत्र मौजूद बंधुआ मजदूरों को जीवन स्तर काफी नीचे है। क्योकि इन परिवारों के आय के साधन अत्यन्त सीमित है। इन्हे पूरे वर्ष कार्य नही मिलता है और इस कारण वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यन्त कठिनाई से कर पाते है। यह परिवार अपनी आय का तीन चौथाई भाग भोजन सामग्री के क्रय में व्यय करते है।

2-रोजगार की समस्या- खेतिहर मजदूरों को फसलों के समय अर्थात् बोवाई, जुताई एवं कटाई के समय ही गॉव में काम उपलब्ध हो पाता है। शेष समय इन्हे बेकारी की स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस तरह इन्हे नियमित रूप से रोजगार न मिल पाने के कारण इनका जीवन गरीबी, बेकारी से युक्त अनिश्चित रहता है। इससे अनेक पारिवारिक विघटन की समस्यायें भी उत्पन्न होती है। इसी तरह सीमान्त किसानों की अल्प आय उनके जीवन में अनेक आर्थिक कठिनाइयॉ उपस्थित करती है। अनेक अवसरों पर भूमिहीन मजदूरों एवं सीमान्त कृषकों को महाजनों के यहॉ से ऋण लेना पड़ता है, जिसे पटाने के लिये उन्हे अतिरिक्त श्रम या काम की आवश्यकतायें एवं उत्पीड़न को झेलना पड़ता है। कुछ खेतिहर मजदूरों को बंधुआ मजदूरी के लिये इस स्थिति में बाध्य होना पड़ता है। ऋणग्रस्तता इसका मुख्य कारण है।

3-ऋणग्रस्तता- स्वतंत्रोत्तर भारत में यद्यपि भूमिहीन श्रमिकों, सीमान्त किसानों एवं बंधुआ मजदूरों को ऋणग्रस्तता की स्थिति से मुक्त कराने के प्रयास किये गये है। लाखों बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जाकर उनके पुर्नवास की व्यवस्था की गयी है। किन्तु पारिवारिक जीवन में इनके समक्ष अनेक ऐसे संकट उत्पन्न होते है कि इन्हे सेठ-साहूकारों के समक्ष ऋण लेने के लिये बाध्य हो जाना पड़ता है। उदाहरण के लिये काम न मिल पाने के कारण जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्हे अनाज या उसे खरीदने के लिये रूपया उधार लेना पड़ता है।

बीमारी भी इसी प्रकार की एक संकट है, जब इन्हे आर्थिक सहायता की आवश्कता पड़ती है। जो गॉवों में केवल ऋण के रूप में ही उपलब्ध हो पाती है। बच्चों के विवाह या अन्य सम्पूर्ण जीवन ऋणग्रस्तता की समस्या से युक्त रहता है। इस स्थिति के लिये हम इनकी गरीबी को ही उत्तरदायी कारक मानते है। इन वर्गो को यदि लगातार वर्ष भर काम उपलब्ध रहे तो निश्चित ही इनकी इस स्थिति में सुधार होगा। इसीलिये गॉवों में कुटीर उद्योग धन्धे बहुत आवश्क है।

4-कार्य की कठिन स्थितियॉ एवं अल्प आय- खेतिहर मजदूरों को खुले आसमान के नीचे घनघोर वर्षा या तपती धूप में काम करना पड़ता है। इनके कार्य के घण्टे भी अनिश्चित रहते है। इन्हे मिलने वाली मजदूरी भी इतनी कम होती है कि इनके परिवार का गुजारा अत्यन्त कठिनाई से हो पाता है। इससे इनके स्वास्थ्य जीवन एवं कार्य- क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

5-सामाजिक संरचना में कमजोर स्थिति- भारतीय गॉवों की रूढ़िवादी सामाजिक संरचना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अधिकांश भाग की इन्ही जातियों का है। वें विपन्नता का जीवन जीते है। साथ ही उन्हे समाज में कभी-कभी हीनता की भावना को झेलना पड़ता है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आज भी इन वर्गो के ऊपर अनेक अत्याचार किये जाने के सामाचार प्रकाशित होते रहते है। इन परिवारों की महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति अत्यन्त दयनीय पायी जाती है।

6-कुपोषण की समस्या- भारत मे कमजोर वर्ग की महिलाओं एवं बच्चों के स्वस्थ्य की स्थिति चितंनीय है। इसका मुख्य कारण कुपोषण की समस्या है। यूनिसेफ की एक रिर्पोट के अनुसार विभिन्न बीमारियों जो कि कुपोषण से उत्पन्न होती है, से विश्व भर में हर हफ्ते ढाई लाख बच्चों की जान जाती है। बच्चो की इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, किन्तु इसके लिये उन्हे स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, पोषण आहार एवं शिक्षा की आवश्यकता है। यूनिसेफ ने यह स्थिति रिर्पोट में दर्शाते हुये यह आरोप भी लगाया है कि, सबसे गरीब और सबसे प्रभावशाली वर्गो की जरूरतों को पूरा करने को सरकारे बहुत कम प्राथमिकता देती है। इस रिर्पोट में यह भी कहा गया है कि कुल अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता का 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सा सीधे इन स्वाभाविक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये

दिया जाता है। दूसरे शब्दों में पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, जल और स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा और परिवार नियोजन सेवाओं के लिये दी जाने वाली सहायता शशि बहुत कम है। इस रिर्पोट के अनुसार प्रतिदिन पॉच वर्ष से कम उम्र के 35 हजार बच्चे कुपोषण के कारण विकासशील देशों में मृत्यु की गोद में सो जाते है। वास्तव में गरीबी और कुपोषण के लिये एक उत्तरदायी तत्व बढ़ती हुई जनसंख्या है। आजादी के बाद भारत की आबादी ढाई से अधिक बढ़ चुकी है । यह चिन्ता का विषय है कि आजादी के बार के इन 74 वर्षो से जनसंख्या वृद्धि की दर घटाने के सारे प्रयास लगभग विफल रहे है।[3] भारत में बढ़ती हुई खेतिहर मजदूरों एवं सीमान्त कृषकों की संख्या भी इसका परिणाम है।

कुटीर उद्योगों का अभाव- इस तरह भूमिहीन श्रमिकों एवं सीमान्त किसानों की समस्याओं का कोई अन्त नही है। इनके जीवन में अनगिनत समस्यायें है। इन समस्याओं का मूल इनकी गरीबी की दशा है। गॉव में काम की कमी एवं कुटीर उद्योगों का अभाव भी इसके कारक है। यदि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं सीमान्त कृषकों को पूरे वर्ष काम मिले तो निशचित ही इनकी अधिकांश समस्यायें हल हो जायेगी। भारत सरकार व राज्य सरकारें इन दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

निदान हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रत्यन (Efforts of the Govt. For Improvement)-भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो, जिनमें भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त कृषक एवं बंधुआ मजदूर भी है, के शेक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा निरतंर प्रगतिशील कदम उठाये जा रहे है। भारत के संविधान में भी इन वर्गो की परम्परागत सामाजिक निर्योगताओं को दूर करने तथा उन्हे आवश्यक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। केन्द्र सरकार का कल्याण मंत्रालय, विकलांग कल्याण ब्यूरों, सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो, अल्पसंख्यक ब्यूरो, जनजातीय विकास ब्यूरों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण ब्यूरो, सलाहकार एजेन्सियां, संसदीय समितियॉ, राज्यों के कल्याण विभाग, श्रम विभाग तथा स्वयंसेवी संगठन केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन वर्गो की समस्याओं के निदान हेतु क्रियाशील है। भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल

विकास और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय भी विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करते हुये भारत के कमजोर वर्ग के उत्थान में सत्त प्रत्यनशील है। इस दिशा में योजना आयोग, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालयय, उर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय की भूमिकायें भी महत्वपूर्ण है। इस तरह कमजोर वर्ग के उन्नयन हेतु कल्याण सेवाओं का समेकन किया गया है।

खेतिहर मजदूरों एवं सीमान्त किसानों की समस्याओं के निदान हेतु भूमि सुधार के कार्यक्रम शुरू किये गये है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्राचीन काल से चली जा रही सामन्ती कृषि व्यवस्था को समाप्त किया गया है। भूमिहीन श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिये उपाय अपनाये गये है, उनमें मुख्य है– विचौलियों को समाप्त करना, भू– स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना, जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना, चकबन्दी और भू – अभिलेखों को सुधारना एवं व्यवस्थित करना। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भूमि तथा जल के संरक्षण, यांत्रिक खेती, पौध संरक्षण, उर्वरक एवं विकसीत बीज के प्रयोग पर जोर दिया गया है। इसी तरह गॉवो में पशुपालन, मछली पालन एवं कृषि तकनीक का विकास किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाओं (I.R.D.P.) के माध्यम से इन वर्गो के लोगो को अधिक से अधिक दिनों में काम दिलाने एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हे। इस तरह कृषि क्षेत्र में विगत वर्षो में अपनायें गये विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप जहॉ एक तरफ खाद्यान का उत्पादन बढ़ा है, वही भूमिहीन किसानों एवं श्रमिको तथा सीमान्त कृषकों को रोजगार के अधिक अवसर भी प्राप्त हुये है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि "कृषि" राज्य सूची का एक प्रमुख विषय है। राज्य सरकारों ने विगत बीस वर्षो में अनेक भूमि सुधार अधिनियम पारित किये है। इनके अलावा भूमि की अधिकत्तम सीमा निर्धारित करते हुये अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया गया है। राजस्थान में लगभग 6.8 लाख हेक्टेयर भूमि भूमिहीनों में वितरित की गयाी हे। गॉवों में अधिकत्तम भूमि की सीमा राजस्थान में 7.3 से 70.8 हेक्टेयर, मध्यप्रदेश में 7.3 से 21.9 हेक्टेयर, बिहार में 6.1 से 18.2 हेक्टेयर तथा उत्तरप्रदेश में 7.3 से 18.3 हेक्टेयर निर्धारित की गयी है।

सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का भी निर्धारण

किया है। नियोजित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की विशिष्ट आवश्कताओं के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुये भारत के प्रत्येक जिला का जिलाध्यक्ष श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करता है। महिलाओं को पुरूष श्रमिकों के समान मजदूरी देने का प्रावधान भी 1976 में किया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रमों एवं एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के माध्यम से भूमिहीन श्रमिकों को अधिकाधिक काम के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है एवं न्यनतम मजदूरी दरों से उन्हे पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस तरह गरीबी रेखा के ऊपर लाये जाने के विभिन्न उपाय किये जा रहे है।

बंधुआ मजदूर प्रथा को सम्पूर्ण देश में समाप्त कर दिया गया है। इसके लिये 1976 में केन्द्र सरकार ने जो विधि निर्मित की है उसका कड़ाई से प्रयोग राज्यों में किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हे मुक्त कराने तथा उनका पुर्नवास करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द सरकार राज्यों को इस कार्य के लिये वितीय अनुदान प्रदान करती है। लेकिन समाज में यह प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, किसी दावे के साथ नही कहा जा सकता है। भारत जब तक गरीबी का उन्मूलन नही हो जाता तक तक ऐसी समस्याओं के बने रहने की पूर्ण संभावनायें विद्यमान रहेगी। श्याम खापड़े की यह पक्तियॉ उल्लेखनीय है।

कौन कहता है –
जगतू आजाद है
उसके कांपते होठों पे
फरियाद है।
उसने जन्म से आज तक
इन्ही ईटा–भट्टों का
जहर पिया है
भूस्वामियों एवं ठेकेदारों के
आतंक के साए में
बेगारी और गुलामी का
जीवन जिया है।
जब भी आवाज उढ़ानी चाही

उसकी जिह्वा काट दी गई है
जब भी ऑखे मिलाने का साहस किया,
उसकी ऑखे फोड़ दी गयी है
उसके घर की महिलाओं की चूड़ियॉ
इन्ही ईटा – भट्टों में
कई बार फूटी है
आजादी की बात उसके लिये
बेमानी और बिल्कुल क्षूठी है।
इतनी यातनाओं को सह कर भी
उसकी सम्पत्ति मात्र लंगोटी है
हार कर मान बैठा है
शायद उसकी किस्मत में गुलामी की ही
रोटी है।
पता नही –
मानवाधिकार की बाते करने वाले
वे सभ्य लोग
फिर भी क्यों मौन है?
इस मानवीय शोषण के लिये
जिम्मेदार कौन है?
क्या वर्तमान कानून
समाज के माथे पर लगा यह कलंक धो पाएगा?
क्या बेचारा जगतू
इस बंधुआ – प्रथा के
अमानवीय जाल से
कभी आजाद हो पाएगा?

गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। इस तरह गरीबी की समस्या एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, जिसे समाप्त करने के लिये नये सिरे से चिन्तन और सोच विचार किये जाने की आवश्कता है। मेरी दृष्टि मे सम्पूर्ण देश के लिये गरीबी उन्मूलन का एक ''काम्पेक्ट कार्यक्रम'' आवश्यक है। यह कार्यक्रम गरीबी समाप्त करने की राष्ट्रीय नीति के अनुकूलन बनाया जाना चाहिये। ऐसा होने पर ही भारत के

भूमिहीन मजदूरों, सीमान्त कृषकों तथा बंधुआ मजदूरों की समस्या का वास्तविक निदान संभव हो सकेगा। भारत में एक कहावत प्रचलित है कि, "बभुक्षु को न करोति पापम्" अर्थात् भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर्म कर सकता है। इस कहावत के मर्म को समझा ही जाना चाहिये। रोटी, कपड़ा और मकान जो आम आदमी की बुनियादी जरूरते है, अगर वे सहज की पूरी हो सके, तभी वास्तविक रूप में गरीबी उन्मूलन और पिछड़े वर्ग का कल्याण संभव है। भारत सरकार तथा प्रदेश की सरकारों के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम यह रहा है कि संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2004-05 में देश में 40.71 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे, वहीं 2011-12 में यह संख्या घटकर 26.93 करोड़ रह गई।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. भारत की जनगणना, 1991, नई दिल्ली.
2. समाज कल्याण, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली.
3. भारत का संविधान
4. नेशनल कमीशन आन लेवर का प्रतिवेदन
5. यूनिसेफ रिर्पोट, 1993.
6. विश्व सामाजिक सम्मेलन : जनवरी 1995 में तैयारी समिति द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र एवं कार्यक्रम

पारिवारिक विघटन एक सामाजिक समस्या (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में)

• डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव
••उमेश सिंह

प्रस्तावना-परिवार समाज का मेरूदण्ड है, जिसके सहारे समाज का ढांचा खड़ा होता है। प्राणीशास्त्रीय प्राणी के रूप में परिवर्तन करने में जिन एकाधिक कारकों का हाथ रहता है, परिवार उनमें सर्वाधिक भूमिका अदा करता है। समाज के विकास के लिये जिस सहयोग, प्रेम, सामन्जस्य, सौहार्द की आवश्यकता होती है उसकी प्रथम पाठशाला परिवार है जो अपने सदस्यों में असीमित उत्तरदायित्व एवं कार्यविधि जैसे मानवीय गुणों का विकास निर्वाह करता है। परिवार, आज सुख और शांति का स्थान न रहकर तनाव व अशान्ति के भंडार बनते हैं। आधुनिक युग में परिवारों में पारिवारिक तनाव संघर्ष अनेक कारणों से देखने को मिलते है। परिवार के सदस्यों में मानसिक वैमनस्य से ही तनाव का रेखाचित्र बनता है। छोटी-छोटी बातों पर विचारों में विरोध उत्पन्न हो जाता है और वह चाहे किसी भी कारण से रहा हो एक लम्बे समय के बाद हृदय में जड़ पकड़ लेता है। सदस्य एक दूसरे के प्रति अनिक्षा प्रकट करने लगते है और आगे चलकर यह स्थिति गम्भीर हो जाती है। तनाव कभी हृदय में राख में छिपी चिन्गारी के समान बहुत समय तक सुलगते रहते है तथा कभी-कभी कोई विशेष घटना रूपी वायु चल जाने से यह तनाव की चिन्गारी झगड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है और परिवार में कलह, पति-पत्नी के बीच मारपीट आत्महत्या घर छोड़ने वैवाहिक विच्छेद आदि की नौबत आ जाती है। तनाव में मानसिक क्रिया ही होती है, जबकि झगडे में शारीरिक किया भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार के तनाव व झगड़े घर-घर में देखे जाते है। वह परिवार जो कभी स्वर्ग कहे जाते थे, आज कलह के कारण नर्क बन चुके हैं। परिवार का वातावरण दूषित हो गया है। परिवार का वातावरण दूषित

• प्रोफेसर, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
•• शोधार्थी, समाजशास्त्र, शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

हो गया है। उभरती हुई पीढ़ी इस दूषित वायु में डूब रही है। उनमें वही दोष पूर्ण इच्छाएँ एवं स्वार्थ पनप रहे हैं।

पारिवारिक विघटन का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है, जिसमें परिवार की क्रियाशीलता में विषमता और असन्तुलन उत्पन्न हो जायें। वास्तव में परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्था है यह अनेक वर्षों से चली आ रही है । यद्यपि इसमें रूढ़िवादी और परिवर्तन दोनों की प्रवृति पाई जाती है। फिर भी वह सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त नहीं है। पारिवारिक विघटन के अन्तर्गत उन तत्वों को लिया जाता है। जो पति-पत्नी, माता-पिता, उनकी सन्तान तथा परिवार के सदस्य की मनोवृत्तियां और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। परिवार संगठन के निमित्त कुछ मानसिक परिस्थितियां अनिवार्य होती हैं। जब इन परिस्थितियों का अभाव होता है अथवा दूसरे वाह्य या आन्तरिक कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे परिवार में एकमत्य का ह्रास हो जाता है और उनके सम्बन्ध तनावपूर्ण हो जाते हैं तब पारिवारिक विघटन की स्थिति आती है।

किसी भी समूह के संगठन के लिए उसके सदस्यों की मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों के बीच एकीकरण होना आवश्यक होता है। परिवार भी एक समूह है और इस नाते परिवार के सदस्यों में समान मनोवृत्तियों का होना तथा समान नियमों के द्वारा अपने व्यवहारों को नियन्त्रित करना एक आवश्यक दशा है परिवार में प्रत्येक सदस्य की एक विशेष प्रस्थिति होती है और उसी के अनुसार उससे कुछ विशेष भूमिकाओं को पूरा करने की आशा की जाती है। व्यक्ति की प्रस्थिति और भूमिका (Status and Role) में सामंजस्य होने से परिवार का सन्तुलन बना रहता है। संक्षेप में, इसी स्थिति को हम पारिवारिक संगठन कहते है। इसके अतिरिक्त, परिवार के सदस्यों में पारस्परिक त्याग की भावना, एक-दूसरे के विचारों को समझने की प्रवृत्ति, साधनों का समुचित उपयोग, आवश्यकतानुसार आय का वितरण नैतिकता में विश्वास तथा कर्ता के आदेशों का पालन कुछ अन्य विशेष आधार है, जो एक परिवार को संगठित रखने में सहायक होते हैं। इलिएट और मैरिल के अनुसार परिवार के सदस्यों में उद्देश्यों की एकता, व्यक्तिगत हितों की तुलना में परिवार कल्याण को प्रधानता, सदस्यों की रुचियों में समानता तथा सदस्यों की भावनात्मक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि वे प्रमुख दशाएँ हैं, जो परिवार को संगठित रखती है। परिवार में जब इन

विशेषताओं का अभाव हो जाता है, तब सामान्य शब्दों में, इसी दशा को हम पारिवारिक विघटन कहते हैं।

पारिवारिक विघटन का अर्थ एवं परिभाषा- पारिवारिक विघटन का तात्पर्य पारिवारिक अव्यवस्था से है, चाहे यह पारस्परिक निष्ठा और पारिवारिक नियन्त्रण की कमी से सम्बन्धित हो अथवा व्यक्तिवादिता की वृद्धि से इलिएट और मैरिल के शब्दों में कहा जा सकता है कि पारिवारिक विघटन में हम किन्हीं भी उन बन्धनों की शिथिलता, असामंजस्य अथवा पृथक्करण को सम्मिलित करते हैं जो समूह के सदस्यों को एक-दूसरे से बाँधे रखते हैं। इस प्रकार पारिवारिक विघटन का अर्थ केवल पति-पत्नी के बीच तनाव पैदा होना ही नहीं है बल्कि माता-पिता और बच्चों के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होना भी परिवार के लिए उतना ही अधिक घातक है।

मॉवरर के अनुसार, "पारिवारिक विघटन का अर्थ पारिवारिक सम्बन्धों में बाधा पड़ना है। अथवा यह संघर्षों की श्रृंखला का वह चरम रूप है जो परिवार की एकता के लिए खतरा पैदा कर देता है। ये संघर्ष किसी प्रकार के भी हो सकते हैं लेकिन संघर्षों की इसी श्रृंखला को पारिवारिक विघटन कहा जा सकता है।" इस कथन से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक सम्बन्धों में सामान्य तनाव होना पारिवारिक विघटन नहीं है बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक तनाव जब समय-समय पर अनेक संघर्ष उत्पन्न करते रहते हैं, तभी इस दशा को हम पारिवारिक विघटन कहते हैं।

मार्टिन न्यूमेयर के शब्दों में, "पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार के सदस्यों में मतैक्य (Consensus) और निष्ठा (Loyalty) का समाप्त हो जाना अथवा बहुधा पहले के सम्बन्धों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना अथवा पृथक्ता में विकास हो जाना है।" पारिवारिक विघटन का यह अर्थ विघटन की प्रकृति के कारणों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवार में जिस चेतना और निष्ठा के आधार पर सदस्य एक-दूसरे से बंधे रहते हैं और असीमित दायित्व की भावना को महसूस करते हैं, उसी चेतना और निष्ठा का कम हो जाना अथवा इसमें कोई गम्भीर बाधा पड़ना ही पारिवारिक विघटन है। उपर्युक्त परिभाषाओं से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है -

1. पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार में सदस्यों के सम्बन्धों का टूट जाना है;

2. पारिवारिक विघटन का सम्बन्ध केवल पति-पत्नी के सम्बन्ध में उत्पन्न तनाव से ही नहीं है;
3. सम्बन्धों का टूटना ही नहीं बल्कि परिवार के प्रति निष्ठा का भंग होना भी परिवार के संगठन के लिए उतना ही अधिक घातक है;
4. परिवार में आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद अथवा तनाव पारिवारिक विघटन की दशा को स्पष्ट नहीं करता बल्कि दिन-प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले संघर्ष जब परिवार की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, तभी हम इस दशा को पारिवारिक विघटन कहते हैं।

पारिवारिक विघटन के कारण (Causes of Family Dis organisation)

1. परिवार के सदस्य की व्यक्तिवादी सोच
2. दोषपूर्ण वातावरण
3. आपसी सामंजस्य एवं तालमेल की कमी।
4. नैतिक मूल्यों का पतन
5. सदस्यों का अवसरवादी होना।
6. औद्योगीकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव।
7. सामाजिक एवं व्यावसायिक तनाव
8. गरीबी एवं बेरोजगारी

वास्तविकता यह है कि पति-पत्नी के स्नेह-सम्बन्ध इतने आन्तरिक होते हैं कि परिवार को इन्हीं सम्बन्धों से सुरक्षा प्राप्त होती है इन बन्धनों में कोई भी शिथिलता आने पर अधिकांश अवसरों पर परिवार विघटित हो जाते हैं। बहुत-से व्यक्तियों का विचार है कि पारिवारिक विघटन का रूप पति या पत्नी द्वारा दूसरे को छोड़ देना, विवाह-विच्छेद पारस्परिक सहायता करने में असफलता तथा शारीरिक उत्पीड़न आदि के रूप में देखने को मिलता है। वास्तव में, ये दशाएँ स्वयं में महत्वपूर्ण जरूर हैं लेकिन परिवार को आवश्यक रूप से विघटित नहीं करती। ऐसे बहुत-से परिवार देखने को मिलेंगे जो आन्तरिक रूप से पूर्णतया विघटित है लेकिन उनमें बाह्य रूप से ऐसी दशाएँ देखने को नहीं मिलती। बहुत से पति-पत्नी एक-दूसरे से बिल्कुल असहमत होते हुए भी उपर्युक्त दशाएँ इसलिए उत्पन्न नहीं होने देते क्योंकि उनके धार्मिक विश्वास (जैसा कि भारत में) उन्हें

ऐसा करने से रोकते हैं अथवा उनके आर्थिक स्वार्थ (जैसा कि पश्चिमी देशों में) उन्हें ऊपरी रूप से एक-दूसरे से बांधे रखते हैं। इस प्रकार पारिवारिक विघटन का अर्थ पारिवारिक बन्धनों की नियन्त्रण शक्ति में कमी आना तथा सदस्य के बीच मतैक्य का समाप्त हो जाना ही है।

अध्ययन के उद्देश्य -पारिवारिक विघटन से संबंधित विषय के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है-

1. पारिवारिक विघटन आज सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है, इससे समाज को अवगत करना।
2. बेहतर समाजीकरण द्वारा बच्चों में भावनात्मक लगाव पैदा करना।
3. परिवार के सदस्यों में संस्कृति के प्रति लगाव पैदा करना।
4. परिवार के सदस्यों में सामूहिक कल्याण की भावना विकसित करना।
5. परिवार के सदस्यों को क्षमता एवं योग्यता के अनुसार रोजगार का प्रबंध कराना।
6. सदस्यों में नैतिक मूल्यों का विकास करना।
7. परिवार के सदस्यों को बेहतर शिक्षा का प्रबंध करना।
8. पारिवारिक विघटन की अवस्था में सलाहकारी संस्थाओं का सहारा लेना।
9. समाज में अविश्वास की भावना को कम करना तथा समाज में परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करने का प्रयास करना।
10. समाज में विवाह की एक निश्चित आयु के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
11. समाज हो रहे कलह और आपसी झगड़ो को कम करने संबंधित विषय की जानकारी देना।
12. समाज में जनसंचार साधनों के प्रभाव का युवाओं के पारिवारिक जीवन शैली में क्या बदलाव आये हैं, इसका पता लगाना।

पूर्व साहित्य की समीक्षा-शाहेदा सिद्दीकी (2013) ने अपने अध्ययन में पाया कि परिवारिक विघटन आज समाज के सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। इससे समाज में अव्यवस्था व पारस्परिक

असहयोग की भावना का जन्म होता है। आज पारिवारिक विघटन के कारण समाज में एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ रही है और संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आ रही है। आज परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार में रहना पसन्द नहीं करते और वे संयुक्त परिवार से अलग होकर एकांकी परिवार में रहना पसन्द करते हैं। परिवार प्राय: देखा जाता है कि परिवार के सदस्यों में परस्पर सहयोग की कमी आ रही है। क्योंकि परिवारों के सदस्य प्राय: अपने कार्यो में भी व्यस्त रहते हैं। उन्हें परिवार और समाज से कोई लगाव नही रह जाता और वे समाज के लिये समय नहीं दे पाते। इसके अलावा यह देखा जाता है कि समाज में रह रहे परिवारों के सदस्य एक दूसरे को संदेह व अविश्वास की भावना देखते हैं। उन्हें दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं रह जाता वे प्राय: यही सोचते रहते हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति हमारे अहित के लिये तो नही सोच रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों से परिवार के सदस्यों में मन-मुटाव व आपसी प्रेम की कमी दिखने लगती है। और इस कारण से परिवारों में टूटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अंत में परिवारों का विघटन शुरू हो जाता है।

अजय पटेल (2018) ने व्याख्या किया है कि आर्थिक संसाधनों में वृद्धि के द्वारा पारिवारिक विघटन को रोका जा सकता है क्योंकि यह देखा जाता है कि परिवार में जो विघटन हो रहे है। उसके लिये मुख्य रूप से आर्थिक संसाधन ही जिम्मेवार है। आर्थिक संसाधन की कमी के कारण ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को नहीं जुटा पाता जिन परिवारों में कमाने वाला कोई एक व्यक्ति होता है और खाने वाले कई व्यक्ति होते हैं। जिससे परिवार का सारा बोझ उसी के ऊपर आ जाता है और वह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और इस कारण से परिवार में प्राय: आपसी मन-मुटाव की धारणाएँ आ जाती हैं और इसका परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में सामने आ जाता है। इस प्रकार कह सकते है कि आर्थिक संसाधनों में वृद्धि के द्वारा पारिवारिक विघटन को रोंका जा सकता है।

शोध प्रविधि-किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व

है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े पारिवारिक विघटन से संबंधित विभिन्न प्रकाशित- अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र-प्रस्तुत अध्ययन रीवा नगर के संबंध में है, जिसकी कुल जनसंख्या 2,365,106 है, जिसमें से पुरुष 1,225,100 एवं महिलाएँ 1,140,006 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 960 महिलाएँ है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से शोधार्थी द्वारा 50 व्यक्तियों को लेकर के शोधकार्य पूरा किया अध्ययन के दौरान जो ऑकड़े एकत्रित किये गये उनका परिचात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन-अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और साख्यकीय विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्र. 1

परिवार का स्वरूप

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	संयुक्त परिवार	20	40
2	एकल परिवार	30	60
	योग	50	100

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि समाज में दो तरह के परिवार पाये जाते है संयुक्त एवं एकल परिवार इसमें से रीवा नगर में 40 प्रतिशत संयुक्त परिवार एवं 60 प्रतिशत एकल परिवार हैं।

तालिका क्र. 2
परिवार का विघटन

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	संयुक्त परिवार	40	80
2	एकल परिवार	10	20
	योग	50	100

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि रीवा नगर में 80 प्रतिशत संयुक्त परिवार एवं 20 प्रतिशत एकल परिवारों का विघटन हो रहा है।

तालिका क्र. 3
पारिवारिक विघटन के कारण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पारिवारिक कलह	25	50
2	बेरोजगारी	10	20
3	अशिक्षा	10	20
4	अन्य	5	10
	योग	50	100

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि रीवा नगर में 50 प्रतिशत लोगों का मानना है, कि पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण पारिवारिक कलह एवं 20 प्रतिशत लोगों का मानना है, कि इसके लिये बेरोजगारी व अशिक्षा एवं 10 प्रतिशत लोग अन्य कारण मानते हैं।

तालिका क्र. 4
पारिवारिक विघटन रोकने के उपाय

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुनः संयुक्त परिवार को बढ़ावा देकर	30	60
2	रोजगार के अवसरों में वृद्धि	10	20
3	शिक्षा के नये आयाम	5	10
4	अन्य	5	10
	योग	50	100

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि यहाँ के 60 प्रतिशत लोगों का मानना है कि, संयुक्त परिवार को बढ़ावा देकर पारिवारिक विघटन को रोका जा सकता है एवं 20 प्रतिशत लोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से पारिवारिक विघटन को रोकने का उपाय बताते हैं एवं 10 प्रतिशत लोग शिक्षा के नये आयाम एवं 10 प्रतिशत लोग अन्य माध्यम बताते हैं।

तालिका क्र. 5
पारिवारिक विघटन एक समस्या

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	40	80
2	नहीं	10	20
	योग	50	100

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि 80 प्रतिशत लोग पारिवारिक विघटन को एक सामाजिक समस्या मानते हैं जबकि 20 प्रतिशत लोग इसे सामाजिक समस्या नहीं मानते हैं।

तालिका क्र. 6
पारिवारिक विघटन के प्रभाव

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एकांकी परिवारों का उदय	20	40
2	परस्पर सहयोग की कमी	15	30
3	संदेह व विश्वास	10	20
4	अन्य	5	10
	योग	50	100

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि 40 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पारिवारिक विघटन से समाज में एकांकी परिवारों का उदय हो रहा है एवं इसके अलावा 30 प्रतिशत लोग मानते हैं कि इससे पारस्परिक सहयोग व अविश्वास की भावना जागृत हो रही है व 20 प्रतिशत लोग मानते हैं कि इससे पाया संदेह व अविश्वास की भावना जागृति हो रही है एवं 10 प्रतिशत लोग अन्य कारण मानते हैं।

निष्कर्ष-सामाजिक ढ़ांचा और पारिवारिक विघटन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन के फलस्वरूप ही पारिवारिक विघटन होता है। परम्परागत सामाजिक ढ़ांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता था. साथ ही परिवर्तन की संरचना में भी कोई विशेष अन्तर नहीं होता था। पति और पत्नी दोनो अपने पूर्व निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर अपनी भूमिका अदा करते थे। इसीलिए पारिवारिक विघटन की गति तीव्र नहीं हो पाती थी। किन्तु आज जब विवाह होता है तो पति-पत्नी दोनों के विचार पूर्णतया परम्परात्मक आदर्शो और मूल्यों के द्वारा नहीं गढ़े होते हैं। उनके विचारों में काफी अन्तर होता है फिर भी वे अपने को एक-दूसरे के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु विवाह के पश्चात पति एवं

पत्नी को नवीन भूमिकाएँ एवं स्थितियाँ प्राप्त होती है। ये भूमिकाएँ एवं स्थितियों पहले से पूर्णतया भिन्न होती है। लेकिन परिवार के सदस्य यही चाहते हैं कि वह पहले की भाँति ही सबसे व्यवहार करे। ऐसा न करने पर उनके मध्य तनाव और मतभेद उत्पन्न होते हैं। यह मतभेद पारिवारिक विघटन को जन्म देते हैं।

समय के अनुसार सामाजिक मूल्यों में अन्तर पाया जाता है। किसी समय यह विश्वास किया जाता था कि पति पत्नी किसी सयोग से प्राप्त नहीं होते वरन् इनका जन्म-जन्मातर का सम्बन्ध होता है। इसी विश्वास को लेकर मुख्यतः स्त्री अपना सम्पूर्ण जीवन इस संसार में व्यतीत कर लेती थी वह अनेक कष्टो को सहकर भी परिवार में रहती थी पति धर्म का पालन करना उनका पुनीत कर्तव्य होता था पितृ सत्तात्मक परिवार में पुरुष का आधिपत्य भी था और परम्पराओं का दबाव भी शायद इसीलिए परिवार संगठित रहते थे। आधुनिक युग में पति पत्नी का सम्बन्ध जन्म-जन्मांतर के आधार पर नहीं मापा जाता है। वरन इसे एक समझौता समझा जाता है। इसे किसी भी समय तलाक द्वारा समाप्त किया जा सकता है। आधुनिक स्त्री केवल घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती वह स्वयं अपने पैरों में खड़ा होना चाहती है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहती है। वह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहती है। समाज के परिवर्तित होते हुए मूल्यों ने स्त्री की भूमिका एवं पद में गंभीर परिवर्तन कर दिया है। इन मूल्यों के परिणामस्वरूप स्त्री परिवार और बाह्य कार्यों के उत्तरदायित्वों को समान रूप से वहन नहीं कर पाती है। इसमें पति-पत्नी बच्चे एवं परिवार के सदस्यों के मध्य कटुता, द्वेष, अलगाव तनाव आदि उत्पन्न होते हैं। यह अन्ततः परिवार को अशान्तिमय बनाते हैं। अस्तु परिवर्तित होते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक मूल्य परिवार को विघटित करते हैं। परिवारिक विघटन आज समाज के सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। इससे समाज में अव्यवस्था व पारस्परिक असहयोग की भावना का जन्म होता है। आज पारिवारिक विघटन के कारण समाज में एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ रही है और संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आ रही है। आज परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार में रहना पसन्द नहीं करते और वे संयुक्त परिवार से अलग होकर एकांकी

परिवार में रहना पसन्द करते हैं। परिवार प्रायः देखा जाता है कि परिवार के सदस्यों में परस्पर सहयोग की कमी आ रही है क्योंकि परिवारों के सदस्य प्रायः अपने कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं, उन्हें परिवार और समाज से कोई लगाव नही रह जाता और वे समाज के लिये समय नहीं दे पाते। इसके अलावा यह देखा जाता है कि समाज में रह रहे परिवारों के सदस्य एक दूसरे को संदेह व अविश्वास की भावना रखते हैं। उन्हें दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं रह जाता वे प्रायः यही सोचते रहते हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति हमारे अहित के लिये तो नही सोच रहे हैं और इन्हीं सब कारणों से परिवार के सदस्यों में मन-मुटाव व आपसी प्रेम की कमी दिखने लगती है। और इस कारण से परिवारों में टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंत में परिवारों का विघटन शुरू हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. अग्रवाल जी.के., भारतीय सामाजिक संस्कार आगरा बुक स्टोर आगरा 1993
2. अग्रवाल जी.के. एण्ड पाण्डेय, सामाजिक शोध
3. उत्प्रेती हरिश्चंद, भारतीय जनजातियॉ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 1982
4. मदन जी. आर., भारत में समाज कार्य एवं सामाजिक पुर्ननिर्वाण
5. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ, भारत में समाज कल्याण और सुरक्षा
6. ग्रिब्शन डब्लू. व्ही., दि आवारिजनल प्राब्लम ऑफ सेन्ट्रल प्राविसेन्स, गर्वनमेन्ट, प्रेस ऑफ इण्डिया 1944
7. गुडे एण्ड हाट, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च मैकग्राहिल कम्पनी बम्बई 1952
8. तिवारी शिवकुमार, मध्यप्रदेश के आदिवासी, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 1982
9. दुबे श्यामाचरण, मानव और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 1993
10. नायक टी. बी., इम्पेक्ट ऑफ इज्यूकेशन ऑन भील्स रिसर्च प्रोग्राम कमेटी प्लानिंग कमिशन दिल्ली 1969
11. पी.आर. नायडू, भारत के आदिवासी विकास की समस्याऐं।
12. बोस एन.के., चेन्जेज इन ट्राइबल कल्चर विफोर एण्ड आफ्टर इंडिपेन्डेन्स मैन इन इण्डिया 1964
13. मुखर्जी रविन्द्रनाथ, सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी
14. विद्यार्थी एल.पी., भारतीय आदिवासी नगरी प्रचारिणी सभा बराणसी 1975
15. पारिवारिक विघटन से संबंधित पत्र-पत्रिकाएँ व समाचार पत्र

21वीं सदी में भारत की चुनौतियाँ

• डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय

भारत वर्ष महानतम देश है और हम इस देश के निवासी हैं। यह ऐसे शूरवीरों का देश है, जिन्होंने सदा ही विपत्तियों का डटकर मुकाबला किया है और विपत्तियों ने उनके दृढ़ संकल्प के समक्ष घुटने टेके हैं। हमारे जीवन का आधार सदा ही आशावादी सिद्धान्त रहा है। आज भारत जिस मुकाम पर है, उन्हें अनेक कटीले रास्ते पार करके पहुंचा है। भारत पहले भी विश्व गुरु रहा तथा इस बात की पूरी आशा है कि आने वाले कल में भी भारत की छवि सुन्दर, स्वच्छ एवं भव्य होगी। यह सबका मार्गदर्शन करेगा। आज हमारा देश बड़ी तेज गति से नवीनता तथा विकास की ओर बढ़ रहा है।

प्रस्तावना-21वीं सदी में भारत हमारा देश विकास की राह पर तत्पर है। आगे के वर्षों में खेती के क्षेत्र में हम किसी पर भी निर्भर नहीं रह जाएँगे। उद्योगों के क्षेत्र में हम विश्व के सभी देशों से सर्वोच्च स्थान बनाएँगे। वर्तमान में हम आयात की हुई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन भविष्य में हम अन्य देशों को तकनीक निर्यात करेंगे। रहने के लिए घर, सबसे के लिए समान, खाने के लिए भोजन होगा। भिक्षावृत्ति, बाल-मजदूरी, वेश्यावृत्ति, बाल-विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर लेंगे। ग्रामीण जीवन का उत्थान होगा, किसानों की हालत में सुधार होगा। इक्कीसवीं सदी का भारत विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करेगा।

21वीं सदी में भारत की प्रमुख वैश्विक चुनौतियाँ -

आर्थिक क्षेत्र में- आज हमारा देश आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम हैं। हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की विकास दर (Growth Rate) लगभग 7 प्रतिशत हैं, जो इसे सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बनाती हैं और इसी वजह से वर्ष 2024 तक इसे चाइना से भी आगे ले जाएगी। अगर आज भी देखा जाये, तो भारत का स्थान दूसरा ही हैं अर्थात् अर्थव्यवस्था के मामले में हम चाइना के बाद विश्व की

• असिस्टेण्ट प्रोफेसर, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा बिलासपुर, छत्तीसगढ़

सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। हमारे देश की मोदी सरकार और उनके वित्तीय मंत्री मण्डल ने अभी हाल ही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI लिसी को पूर्ण रूप से अपनी मंजूरी प्रदान की हैं, जिससे अब कई बाहरी कम्पनियाँ भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने में नहीं हिचकिचाएंगी और जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में- प्राचीन काल से ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल रहे हैं, परन्तु उपकरणों के अभाव में हम पिछड़ गये थे, परन्तु आज स्थिति कुछ और हैं। हमारे देश में सभी बीमारियों का इलाज उपलब्ध हैं, साथ ही उनकी जांच के लिए भी सभी मशीनों की व्यवस्था देश में उपलब्ध कराई गयी हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ की गयी प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में, आज हमारे चिकित्सकों और अस्पतालों में बेडों की संख्या और विशेष वार्डो की संख्या में बढ़ोत्तरी भी हैं, जो इसे इक्कीसवीं सदी का सुपर पावर बनाने में और विकास की ओर अग्रसर होने में मदद करती हैं। इस प्रकार इक्कीसवीं सदी के भारत का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम हैं।

जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में-जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष विद्यमान सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों में से एक है। भारत के लिए यह न सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा है बल्कि यह अनिवार्य रूप से हमारी जनता की विकास संभावनाओं एवं विकास आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे विकास की गति पर इसका प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है और यह हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। हमारी विकास अनिवार्यताएं भारत में ऊर्जा की खपत में वृद्धि की हमारी प्रवृतति को प्रदर्शित करती हैं। हम इस बात की आशा करते हैं कि जीवाश्म ईंधन हमारी समग्र वैश्विक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण तत्व बना रहेगा। अत: जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक कार्रवाई के उदीयमान प्रतिमानों में वैश्विक कार्बन पर प्रत्येक व्यक्ति के दावे को स्वीकार किया जाना चाहिए और भिन्न क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या के बावजूद हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आज वैश्विक उत्सर्जन का मात्र 4 प्रतिशत है। यहां तक कि 8 से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि के बावजूद ऊर्जा का हमारा उपयोग 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष से भी कम दर से बढ़ रहा है। हमें इस बात की चिन्ता है कि विकसित देश

जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों के प्रशमन संबंधी कार्यों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर कर रहे हैं। आज अपनी प्रशमन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 2.5 प्रतिशत ही व्यय कर पाते हैं। विकसित देशों द्वारा स्थाई एवं पूर्वानुमेय वित्तपोषण किए जाने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि इसे बाजार तंत्रों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आंकलित अनुदानों के साथ इसमें सहयोग किया जाना चाहिए। विश्व स्तर पर एक ऐसे तंत्र की भी आवश्यकता है जिसके तहत जलवायु हितैषी प्रौद्योगिकियों का प्रसार विकासशील देशों में किया जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पहले से ही प्रभावित हो रहे एक देश के रूप में भारत की जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा के तहत किए जा रहे बहुपक्षीय वार्ताओं की सफलता में महत्वपूर्ण हित निहित है। विश्व के नागरिकों के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और हमने इन वार्ताओं में रचनात्मक तरीके से भागीदारी की। इसी भावना में हमने पिछले वर्ष जनवरी माह में यूएनएफसीसीसी को प्रशमन के संबंध में अपने स्वैच्छिक दायित्वों की सूचना दी थी। निश्चित रूप से हमें इस बात की निराशा तो हुई है कि बाली रोडमैप द्वारा अधिदेशित कार्य योजना को कोपेनहेगन में प्राप्त नहीं किया जा सका। कोपेनहेगन करार शायद इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रबंधित किया जाने वाला सर्वोत्तम करार हो सकता था। यह एक ऐसा राजनीतिक दस्तावेज है, जो क्यो तो प्रोटोकॉल की वार्ताओं को जारी रखने में अपना योगदान दे सकता है जिससे कि दीर्घावधिक सहयोग किया जा सके। यह उन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करारों को भी संपूरित कर सकता है परन्तु निश्चित रूप से यह इसका विकल्प नहीं बन सकता। अब हमारा सामूहिक प्रयास इस करार में परिलक्षित सहमति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को यूएनएफसीसीसी के तहत बृहत्तर प्रक्रिया में लाने पर केंद्रित होना चाहिए जिससे कि वर्ष 2010 के अंत में मैक्सिको में होने वाले कांफ्रेस में संतुलित, विकासात्मक और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय स्तर पर हमने जलवायु परिवर्तन के संबंध महत्वाकांक्षी कार्य योजना अपनाई है, जो न सिर्फ प्रशमन उन्मुख है, बल्कि यह सतत

विकास के बृहत्तर संदर्श के अंतर्गत अवस्थित भी है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यवाइयों का ऑकलन, अनुकूलन एवं प्रशमन करने हेतु किए जाने वाले प्रयासों को समन्वित किए जाने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबद्ध एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। वर्ष 2020 तक 2005 की तुलना में कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य प्रकार के उत्सर्जनों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 20 से 25 प्रतिशत कमी लाने संबंधी मामले, स्वैच्छिक घरेलू लक्ष्य की घोषणा, जलवायु परिवर्तन की समस्या के संबंध में हमारी गंभीरता को दर्शाता है। इस लक्ष्य में हम प्रतिबद्ध और संकेंद्रित तरीके से कार्य करेंगे। हालांकि हमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौतियों का भी मुकाबलना करना है। आज की तारीख तक वैश्विक ऊर्जा बाजार उन विचारधाराओं के प्रति संवेदनशील रहा है, जो बाजार से जुड़े हुए नहीं हैं, जिसके कारण ऊर्जा के मुद्दे को एक अपूर्वानुमेयता तथा सामरिक स्वरूप मिला हुआ है। हमारा मानना है कि इन कमजोरियों का सर्वोत्तम समाधान सहभागी वैश्विक ऊर्जा मॉडल के जरिए किया जा सकता है जिसमें सही मायनों में मुक्त पारदर्शोप्रतिस्पर्धा एवं वैश्विक स्तर पर समेकित ऊर्जा प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं वास्तविकता इसकी बिल्कुल उलट है। अतः हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि विकासशील देश के रूप में यदि हमारे उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी रणनीतियों को व्यापक बनाना है, तो हमें संरक्षण एवं प्रभावित तंत्रों को स्वीकार करना होगा। इस समीकरण में पर्यावरणीय आयामों तथा 31 पारम्परिक कार्बन ईंधन, विशेष रूप से कोयले की बड़े स्तर पर निकासी पर होने वाली लागत का भी ऑकलन करना होगा। इस संबंध में उच्च आरंभिक लागत के बावजूद परमाणु ऊर्जा का उत्पादन ही वैश्विक उत्पादन एवं जलवायु परिवर्तन के व्यापक मुद्दों के संबंध में हमें आगे का मार्ग दिखा सकता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार- परमाणु ऊर्जा के उपयोग के संबंध में संभावित प्रसार आयामों के संबंध में भी चिन्ताएं व्यक्त की जाती रही हैं। हालांकि, इसके कारण हम शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करने संबंधी अपने प्रयासों को पीछे नहीं कर सकते। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, विस्तार से उत्पन्न

सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी निहितार्थों के प्रति पूर्णतरूपेण सजग है। इसलिए अपने भागीदारों के साथ मिल-जुलकर हमें परमाणु प्रसार के जोखिमों में कमी लाने में सहायता करनी चाहिए। परमाणु आतंकवाद एवं परमाणु सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का भी मुकाबला किया जाना चाहिए। हमारे पड़ोस में गोपनीय परमाणु प्रसार से हम प्रभावित होते रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि हम परमाणु आतंकवाद की संभावना के संबंध में चिन्तित हैं। इसीलिए हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सामूहिक विनाश के हथियारों से संबद्ध आतंकवाद सहित अन्य प्रकार के आतंकवाद पर प्रभावी विधि सम्मत अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रिया का नेतृत्व किया है। भारत ने रूस की अगुआई में परमाणु आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध वैश्विक पहल में अपनी भागीदारी की है। हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ओबामा की मेजबानी में अप्रैल 2010 में परमाणु सुरक्षा पर आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन परमाणु आतंकवाद की रोकथाम करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहमति का निर्माण करने के हमारे प्रयासों में मील का एक पत्थर साबित होगा। सितंबर, 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा भारत के प्रति जिस रचनात्मक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया, उसके कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय असैनिक नाभिकीय सहयोग में पूर्णरूपेण शामिल होने में सफल हो पाया है। इसके उपरान्त संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, फ्रांस तथा युनाइटेड किंगडम सहित अन्य महत्वपूर्ण सहभागियों के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग करार संपन्न किए गए हैं। यह तथ्य न सिर्फ उच्च परमाणु प्रौद्योगिकी तथा जिम्मेदाराना व्यवहार वाले एक देश के रूप में भारत की स्थिति को स्वीकारता है, बल्कि इससे प्रौद्योगिकी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसरों के द्वार भी खुले हैं। मेरा मानना है कि यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि उच्च परमाणु प्रौद्योगिकियों का उपयोग सिर्फ शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाए। आप सब वैश्विक, निष्पक्ष एवं सत्यापनीय परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में हमारी चिरकालिक वचनबद्धताओं को जानते होंगे। वर्ष 1988 में ही हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व का स्वप्न साकार करने संबंधी अपने प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। वर्ष 2008 में भारत ने

संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक कारगर दस्तावेज पेश किया। हम हाल के कुछ सकारात्मक कदमों से उत्साहित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन ने अपनी सामरिक नीति में परमाणु शस्त्रों की प्रमुखता में कमी लाने की इच्छा और परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व की दिशा में कार्य करने का संकेत दिया है। हमने कुछ पहल कदमियों की पहचान की है और मेरा मानना है कि एक नई वैश्विक सत्यापनीय परमाणु निरस्त्रीकरण रूपरेखा के निर्माण ब्लॉक्स के रूप में इनका पता लगाया जा सकता है। इनमें शामिल हैं, परमाणु हथियारों के प्रथम उपयोग नहीं पर वैश्विक करार तथा परमाणु शस्त्र विहीन देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाना, देश के सुरक्षा सिद्धांतों में परमाणु हथियारों की प्रमुखता में कमी लाना तथा परमाणु हथियारों को चौकसी की स्थिति से हटाकर परमाणु युद्ध के खतरों को कम करना और इन हथियारों के औचक एवं अनुचित प्रयोग की रोकथाम करना तथा एक ऐसे परमाणु शस्त्र अभिसमय का निर्माण करना जिसमें परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन, भण्डारण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके और उन्हें नष्ट किया जा सके। हमारी आशा है कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हम इन दिशाओं में प्रगति कर सकते हैं। हम किसी कार्य योजना को पारित करने हेतु निरस्त्रीकरण सम्मेलन में उभरती सर्वसम्मति का समर्थन कर सकते हैं। पिछले वर्ष हमने बहुपक्षीय विखंडनीय पदार्थ नियंत्रण संधि पर वार्ताओं की शुरुआत सहित अन्य प्रकार की कार्य योजना का समर्थन किया। बाद के इस मसले, जिसे हम अप्रसार के संबंध महत्वपूर्ण उपाय मानते हैं, पर भारत ने स्थाई दृष्टिकोण अपनाया है। हम एक बहुपक्षीय, निष्पक्ष, प्रभावी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापनीय विखण्डनीय नियंत्रण संधि पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

तकनीकी क्षेत्र में- तकनीकी के मामले में भी हम पहले की अपेक्षा कही अधिक आगे बढ़ चुके है। कई मशीने, यंत्र, आदि का अब हमे आयात नहीं करना पड़ता, बल्कि हम स्वयं ही उसका उत्पादन कर रहे हैं। बड़े-बड़े कारखानों में उत्पादन, मशीनों की सहायता से माल बनाना, संगणक से कार्य करना Computerization आदि ने इस प्रक्रिया को अधिक सरल

बना दिया हैं। Computerization आज हमारे देश का प्रत्येक विभाग कम्प्यूटर पर कार्य करता हैं, किसी भी जानकारी को आप इसके माध्यम से आदान-प्रदान कर सकते हैं। साथ ही सभी सूचनायें भी इसी पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अंतर्गत 'ई-कॉमर्स' भी शामिल हैं। जिसके द्वारा हम घर बैठे-बैठे अपना सामान कम्प्यूटर पर खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये ई-कॉमर्स कम्पनियाँ स्थानीय बाजारों से प्रतियोगिता करती हैं, पर वही दूसरी ओर ये कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं।

आटो-मोबाइल क्षेत्र में- इस क्षेत्र में हम अब तक वांछित उन्नति नहीं कर पाए हैं, जैसे-हमारा देश आज भी कारों के निर्माण के लिए विदेशी तकनीक पर ही निर्भर हैं। हम केवल इसके कुछ भाग ही बनाते हैं। परन्तु प्रयास जारी हैं और जल्द ही हम इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में- आज हमारे देश में कृषि करते समय आने वाली बाढ़ सूखे आदि समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त साधन और तकनीकी उपलब्ध हैं, जिसके चलते आज 21वी सदी के भारत देश का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। गया हैं। आज हम हमारे देश की खाद्य-पदार्थों की जरूरतों को तो पूरा कर ही सकते हैं, बल्कि दूसरे देशो की जरूरतों के मुताबिक निर्यात करने में भी सक्षम हैं। इस स्थिति को पाने में देश में चलाई गयी 'हरित क्रांति' का बहुत बड़ा योगदान हैं। फसलों के खराब होने, सड़ने जैसी समस्याओं पर हमने नियंत्रण पा लिया हैं और दूसरी ओर उन्नत बीजों, खाद, सिचाई के पर्याप्त और उन्नत तरीके, संग्रहण क्षमता, आदि ने इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में- हमारे देश में 3 प्रकार की फौजें हैं- थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों को सम्मिलित किया जाये तो हम विश्व की प्रथम 7 शक्तियों में स्थान रखते हैं। साथ ही तीनों ही सेनाओं के रक्षा उपकरण भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हाल ही में सबसे कम वजन का लड़ाकू विमान बनाने में भी हमने सफलता प्राप्त की हैं। इस विमान का नाम 'तेजस' हैं और इसके लगभग सभी कल-पुर्जे, मशीने, आदि भारत में बनाई गई हैं। यह हमारी रक्षा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। निजी क्षेत्रों को रक्षा क्षेत्र में सम्मिलित करने से इसके तीव्र गति से विकास की सम्भावनायें व्यक्त की जा रही हैं। इसमें अम्बानी बंधु,

टाटा जैसी कंपनियों को शामिल किया गया हैं, परन्तु अभी इनके प्रोजेक्ट सरकार के पास अनुमति हेतु अटके हुए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में- हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी सुधरा हैं। परन्तु अभी तक हम केवल प्राथमिक शिक्षा को ही मुफ्त उपलब्ध करा पाए हैं, जो काफी नहीं हैं। आज हमारे देश में विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि खोले गये हैं। साथ ही यहाँ बाहर के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाकर देश में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए सराहनीय कदम उठाए गये हैं।

महिला सशक्तिकरण- देश के सम्पूर्ण विकास के लिए लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा के लिए भी समुचित प्रयास जारी हैं। बल्कि आज देश में कल्पना चावला, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, इंदिरा गाँधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति, चंदा कोच्चर ICICI बैंक आदि जैसी महिलाये तो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। इक्कीसवीं सदी का भारत जहाँ इन क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त कर रहा हैं, वही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनकी तरक्की अभी बाकी हैं, जिनकी परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता शेष हैं।

बेरोजगारी- आज हमारे देश को युवा-शक्ति के मामले में विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाता हैं, परन्तु रोजगार के अभाव में यह शक्ति व्यर्थ हो रही हैं और इसी कारण हमारे देश की कई प्रतिभाये विदेशों में स्वयं को साबित करके रोजगार प्राप्त कर रही हैं, जिसमे देश का ही नुकसान हैं। देश के युवा दिशा-हीन होकर अपराध के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हमारे देश में हमे रोजगार के अनेक अवसरों की आवश्यकता हैं। यदि हम बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पा ले तो कई समस्याएँ स्वयं ही समाप्त हो जाएगी।

गरीबी- हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह हैं कि अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा हैं। इस कारण देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा और अभी तक विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता हैं। इसका कारण कही न कही स्विस बैंकों में रखा काला धन भी हैं, यदि इसे देश में लाये जाने के प्रयास सफल हो, तो यह समस्या

काफी हद तक हल हो सकती हैं।

जनसंख्या- हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही तेज गति से बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम लागू योजनाओं का उचित प्रकार से लाभ नहीं उठा पाते और सरकार भी इन्हें व्यापक रूप में सफल नही बना पाती। हम भारतीय आज 125 करोड़ से भी अधिक हैं। जिसमें सभी सुविधाओं को बांटना, सरकार के लिए भी मुश्किल हैं। इस पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक हैं अन्यथा हमारी समस्याओं की सीमा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी।

दक्षिण एशिया की जनसंख्या का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा हमारे देश का हैं, इसकी जी.डी.पी. में हमारा योगदान 75 प्रतिशत हैं, 77 प्रतिशत भू-भाग हमारे क्षेत्रफल का हिस्सा हैं, इसके रक्षा बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा हमारा होता हैं और इसके सैन्य बल में 82 प्रतिशत हमारा सैन्य बल शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात- हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में से एक हैं। जिसकी वर्तमान जी.डी.पी. दर 9. 2 हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। साथ ही हमारे देश के अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों के साथ समझौते और संधियाँ भी हैं, जो इसे इक्कीसवीं सदी का सुपर पावर बनाने में और विकास की ओर अग्रसर होने में मदद करती हैं। इस प्रकार इक्कीसवीं सदी के भारत का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम हैं।

आतंकवाद- सभ्य विश्व के अस्तित्व के समक्ष एक खतरा है। भारत और हमारे पड़ोस में इसके कारण एक बड़ी सुरक्षा बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। आतंकवादियों ने हमारी संप्रभुता, सुरक्षा तथा आर्थिक प्रगति पर हमला किया है, जिसे सीमापार की ताकतों से प्रोत्साहन मिलता रहा है। काबुल स्थित हमारे दूतावास पर वर्ष 2008 और 2009 में दो बार आत्मघाती हमले किए गए। नवंबर, 2008 में मुम्बई हमला और पुणे में किए गए विस्फोटों ने एक बार पुनः आतंकवाद के बर्बर चेहरे को सबके सामने ला दिया है। भारत विरोधी आतंकी गुटों की स्वछन्द रूप से सीमा पार में भर्ती की जा रही है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और सुरक्षित आश्रयों से वे हमलों की साजिश बना रहे हैं। भारत जैसे मुक्त लोकतांत्रिक समाजों के समक्ष भी आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने की चुनौती है। युनाइटेड किंगडम भी इस बहस से परिचित है। हम कानूनी, संस्थागत एवं प्रशासनिक उपायों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर इस

मुद्दे का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल में हमने गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किए हैं जिससे कि हम आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े पहलुओं सहित इसके समग्र कानूनी एवं दण्डात्मक बिन्दुओं को सुदृढ़ बना सकें। एक संघीय निकाय के रूप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्थापना की गई है जिसका कार्य आतंकवादी कृत्यों के संबंध में जांच का अभियोजन चलाना होगा और जिसका कार्य समग्र भारत में होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों के लिए क्षेत्रीय केंद्रों का सृजन किया गया है। राष्ट्रीय बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी) को सुदृढ़ बनाया गया है और इसे पूरे साल कार्य करते रहने के लिए समर्थ बनाया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मुकाबला सिर्फ राष्ट्रीय प्रयासों के द्वारा नहीं किया जा सकता बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभाव से ही संभव है।

उपसंहार- इन सब चुनौतियों एवं परिस्थितियों के बावजूद भारत देश को 'सुपर-पावर' कहा जाता हैं, इसका कारण हैं-आज दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति सभी क्षेत्रों में अन्य देशों की तुलना में सबसे मजबूत हैं, चाहे वह क्षेत्र आर्थिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सैन्य बल की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो अथवा जन-सांख्यिकी की। साथ ही हमारे देश के अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों के साथ समझौते और संधियाँ भी हैं, जो इसे इक्कीसवीं सदी का सुपर पावर बनाने में और विकास की ओर अग्रसर होने में मदद करती हैं। इस प्रकार इक्कीसवीं सदी के भारत का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम हैं।

भारत पहले भी विश्व गुरु रहा तथा इस बात की पूरी आशा है कि आने वाले कल में भी भारत की छवि सुन्दर, स्वच्छ एवं भव्य होगी। आज हमारा देश बड़ी तेज गति से नवीनता तथा विकास की ओर बढ़ रहा है। यह सबका मार्गदर्शन करेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

- 'वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी', (2002), नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।
- डॉ. विजय कुमार गुप्त, विश्व बाजार और हिन्दी, सेवा निवृत्त महा प्रबंधक

(हिंदी), आईडीबीआई लि., मुम्बई।

- प्रो. रमेशचंद सुकुल, 'नए शब्द, नए कब तक'?, तकनीकी अनुवाद की समस्याएं, अनुवाद पत्रिका।
- डॉ. ओम विकास, 'वैश्वीकरण के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी का लोकीकरण और हिंदी के नए आयाम', सूचना प्रौद्योगिकी विकास, संचार एवं सूचना मंत्रालय।
- अनिल कुमार, '21वीं सदी में बैकिंग परिदृश्य : चुनौतियाँ एवं समाधान', राँची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राँची।
- सुलेखा मोहन, 'सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी-कठिनाइयाँ और निराकरण', वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक, बैंगलोर।

इक्कीसवीं सदी का भारत : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

•डॉ. रेणु कुमारी सिन्हा

चुनौतियों को स्वीकार करना, मानव का सहज स्वभाव है। मानव सम्यता का इतिहास, चुनौतियों से परिपूर्ण है। जब भी हमारे समक्ष कोई बड़ी बाधा आई, हमने उसका डटकर मुकाबला किया।

आदि मानव, जंगली जंतुओं के बीच रहकर भी उनसे भिन्नता कायम करने में तथा स्वतंत्र अस्तित्व समर्पित करने में सफल रहा। लंबे समय तक उसे पेड़ों और गुफाओं में सोना पड़ा परंतु उन्नति करते हुए उसने टूटी मड़ैया से लेकर अलीशान महल तक बना डाले। उसने अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सारा समय नहीं लगाया, अपितु नृत्य-संगीत, चित्रकारी आदि विभिन्न कलाओं को उन्नति के नए-नए आयामों की तरह अपनाया और मानव जीवन को नई सार्थकता प्रदान की।

अनेक पड़ावों से गुजरते हुए हम अब इक्कीसवीं सदी में पहुँच चुके हैं। यदि हम इसके पीछे की दो सदियों को देखें तो हमें वैज्ञानिक घटनाओं एवं आधुनिक विचारधारा से परिपूर्ण दिखाई देंगी। इन दो सदियों की मानव उपलब्धियाँ, पिछली कई सदियों की तुलना में बहुत अहम् है क्योंकि हमने हर क्षेत्र मे परंपराओं एवं रूढ़ियों को तोड़ने की सफल चेष्टा की है। पहले समृद्धि, कुछ लोगों तक सीमित थी लेकिन अब यह व्यापक हो गई है। विश्व की दूरियाँ घट गई है और बाजारवाद हावी हो गया है। सुविधाएँ किसी की मिलकियत न रहकर जन सामान्य के घर तक दस्तक दे चुकी है। समानता और सबके लिए समान अवसर की भावना के जोर पकड़ने के कारण उपभोग की सामग्री जन-जन की पहुँच में है। कई प्रकार के वैज्ञानिक अविष्कारों का लाभ पूरे समाज को प्राप्त हो रहा है। पिछली दो सदियों की घटनाओं और परिस्थितियों ने वर्तमान सदी को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। वैज्ञानिक अविष्कारों के कारण

•

आई। सूचना एवं संचार क्रांति, बाजारवाद, उर्जा की बढ़ती माँग, जनाधिक्य, सबके लिए स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ कुछ न कुछ गंभीर समस्याएँ मुँह बाए खड़ी है।

खतरनाक हथियारों का फैलाव उन लोगों तक भी हो गया है जो लोग विकृत मानसिकता से ग्रस्त हैं। गरीबी, भुखमरी, बेकारी जैसी परंपरागत समस्याओं से हम अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं तो वहीं आतंकवाद, एड्स, सार्स आदि के रूप में के रूप में विश्व नई तरह के समस्याओं से जूझ रहा है।

गरीब, विकासशील तथा विकसित देशों की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। कई निर्धन तथा अर्द्धविकसित देश अपनी बदहाली को दूर करने की जद्दोजहद में ऋणों के भार से दबते जा रहे हैं। ऐसे कई देशों को आंतरिक विप्लव तथा बाह्य हमले की चिंता हर समया रहती है। इन स्थितियों से बचने के लिए वे हथियारों की होड़ किए बैठे हैं जो उनकी आर्थिक दशा को और भी बिगाड़ देता है।

ऐसे देशों में बेकारी की जटिल समस्या के कारण बेराह युवाओं की संख्या बढ़ रही है। भटके हुए युवा हिंसा का सहारा लेकर दुनियाँ भर में तबाही मचा रहे हैं तो इसका कारण है मुख्य रूप से बेकारी ही है। विकासशील देशों का जागरूक रहने वाल मध्य वर्ग आज उपभोक्तावाद की चपेट में आकर अपनी परिवर्तनकारी भूमिका से विमुख होता प्रतीत होता है।

विकसित देशों की अपनी अलग तरह की समस्याएँ हैं। ये देश सामाजिक विघटन के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि समृद्धि के दौर में वहाँ के लोग स्वयं को समायोजित करने में विफल रहे हैं। आर्थिक नियोजन की तुलना में समाजिक नियोजन एक कठिन कार्य है।

यही कारण है कि समृद्ध देश तनाव, मानसिक भटकाव, हिंसा, नशाखोरी जैसे समाजिक दुगुर्णों से दो-चार हैं। विकसित देश अपने वर्चस्व को हर कीमत पर बचाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। एक अच्छी विश्व व्यवस्था इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस प्रकार की बेकदरी इराक पर अमेरिकी हमले के रूप में हुई, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह संस्था कुछ शक्तिसंपन्न देशों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। स्वाधीन देशों का आत्मस्वाभिमान

विखण्डित होने की घटनाएँ जब तक होती रहेगी, विश्व शांति के सभी प्रयास विफल सिद्ध होंगे। विश्व के सभी देशों को इस समस्या पर मिलकर विचार करना होगा।

विकास की अंधी दौड़ में पृथ्वी का विछिन्न हुआ पर्यावरण संतुलन हमारी चिंता का एक और बड़ा कारण है। इसके लिए विश्व स्तर पर सभाएँ व गोष्ठियाँ हो रही है, चिंताएँ व्यक्त की जा रही है परंतु धरातल पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

यह उपेक्षा भाव हमारी आगामी पीढ़ियों को एक नए तरह से प्रभावित करेगा। वे ऐसी कृत्रिम वायु में साँस लेने के लिए विवश हो जाएँगे जो हर तरह से दूषित होगा। केवल कल्पना कर सकते वह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। पृथ्वी को यदि हम माता कहते हैं तो यह हमारा दायित्व है कि इसे हम हर प्रकार से समन्नुत बनाएँ।

आधुनिक विश्व की चुनौतियाँ मानवीय हैं। इस नजरिए से देखें तो इन सभी चुनौतियों का हम मानवीय प्रयत्नों से सामना कर सकते है। मानव अभी तक तो उन सभी चुनौतियों को स्वीकार कर उनसे जूझने में सफल रहा है जो उसके अस्तित्व को चुनौती देते आए हैं। अत: आशा करनी चाहिए कि आगे भी वह सभी चुनौतियों को स्वीकार कर उसका कोई न कोई हल जरूर जरूर ढूँढ़ निकालेगा।

21 वीं सदी के भारत का विकास- आज हमारा देश विकास की राह पर अग्रसर है। आगे के वर्षों मे खेती के क्षेत्र में हम किसी पर भी निर्भर नहीं रह जाएँगें। उद्योगों के क्षेत्र में हम विश्व के सभी देशों में सर्वोच्च स्थान बनाएँगें। वर्तमान में हम आयात की हुई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन भविष्य में हम अन्य देशों को तकनीक निर्यात करेंगे। रहने के लिए घर, सबके लिए सामान, खाने के लिए भोजन होगा। भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी, वेश्यावृतित्त, बाल विवाह, दहेज-प्रथा जैसी कुरीतियों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर लेंगे। ग्रमीण जीवन का उत्थान होगा, किसानों की हालात में सुधार होगा।

उपसंहार-इस प्रकार 21 वीं सदी में भारत सच्चे अर्थों में भारतीयों के सपनों का भारत होगा। उनका समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक रूप और भी अधिक स्वच्छ एवं सभ्य होगा। भारत विश्व में अपना एक अलग पद कायम करेगा। हम देशवासियों का भी

कर्तव्य है कि हम सब मिलकर इक्कीसवीं सदी के भारत को सुन्दरतम् बनाने का प्रयास करें।

आज, जो हम करते हैं, वही कल होगा। वर्तमान की नींव पर भविष्य खड़ा होता है। हर आने वाले कल में वर्तमान के द्वार से ही प्रवेश करते हैं। इसलिए कल के लिए वर्तमान का महत्व या भूमिका बहुत बड़ी होती है। यही बात हमारे देश भारत के लिए भी लागु होता है कि आज जो भारत है, वह कल का भारत होगा। आज का भारत कल का भारत है।

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने एक बड़ा ही मोहक और आकर्षक नारा दिया था– इक्कीसवीं सदी का भारत। इस नारे का अर्थ यह हुआ कि हम यथा–शीघ्र इक्कीसवीं सदी में पहुँच रहे हैं अर्थात आज के दस वर्षों बाद हम इक्कीसवीं सदी में होंगे, तो क्या होंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसपर जब हम विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि आज भारत की जो स्थिति और स्वरूप है, उससे कुछ ही भिन्न उसका स्वरूप है। यह आज से कुछ अवश्य मिलता–जुलता भारत अवश्य होगा।

हम देखते हैं कि आज भारतवर्ष की जनसंख्या बेतहासा बढ़ती जा रही है। इस पर नियंत्रण पाना किसी के बस की बात नहीं हो रही है। यद्यपि सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और उपाय को किया है, फिर भी जनसंख्या की बाढ़ थमने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए आज से कुछ वर्षों बाद भी भारत विश्व का एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा।

बेरोजगारी हमारे देश की एक भयंकर समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के कमर कस लेने पर भी समाधान नहीं हो पा रहा है, बल्कि यह और भी बढ़ती जा रही है । इसलिए यह निश्चित है कि आज से दस वर्षों बाद भी बेरोजगारी की समस्या किसी न किसी रूप में अवश्य बनी रहेगी, जो तत्कालीन सरकार के लिए चुनौती के रूप में सिर उठाती रहेगी।

जनसंख्या वद्धि और बेरोजगारी की तरह हमारे देश की दूसरी कष्टदायक समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों का विस्तार हमारे देश में दिन–रात चौगुनी गति से हो रहा है। भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आने वाले अनैतिक आचारों में अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि अनैतिक आचारों की बढ़ोत्तरी हमारे देश में बेरोक–टोक हो रही है। जब सरकार ही पूरी तरह से

भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है तो फिर दूसरा कौन इससे मुक्ति दिला सकता है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है। पल्लवित-पुष्पित होकर, हमारे देश के विकास मे रोड़े डाल रहा है। इस दृष्टि से इक्कीसवीं सदी के भारत में भी भ्रष्टाचार की पैठ अवश्य रहेगी।

आज जो भारत में प्रान्तीयता, जातीयता, संप्रदायिकता और धार्मिकता का विष-बीज अंकुरित हो चुका है, वह निश्चय ही इक्कीसवीं सदी में पल्लवित और पुष्पित होकर फलित होगा। इक्कीसवीं सदी के भारत में अत्यन्त जातीयता, क्षेत्रियता, संप्रदायिकता और धार्मिकता का ज्वर भयानक होगा क्योंकि आज जो इसका रूप है,जो निश्चय ही आने वाले कुछ वर्षों के इतिहास में एक महान विघटनकारी तत्व के रूप में दिखाई देगा। इसके विषय में आज इस देश के सभी कर्णधार और राष्ट्र निर्माता चिन्तित होकर प्रयत्नशील हैं।

अशिक्षा और विदेशी अंधानुकरण भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आदत है। इस दुष्प्रवृत्ति के कम होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी कोई ठोस और कारगर कदम हम अभी तक नहीं बढ़ा पाए हैं। इसलिए इस दुष्प्रवृत्ति का प्रवेश इक्कीसवीं सदी में अवश्य होगा। इसे नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि इसका रूप छोटा-बड़ा कुछ बदलता हुआ अवश्य हो सकता है, लेकिन यह अवश्य इक्कीसवीं सदी के भारत में प्रवेश कर जाएगा। इसी तरह महँगाई की जो आज समस्या है, वह शायद कल और बढ़कर होती हुई इक्कीसवीं सदी में सिरदर्द के रूप में होगी।

अब तक देश की जिन दुर्व्यवस्थओं, कमाजोरियों और दुष्प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। वे निश्चित रूप से इक्कीसवीं सदी के भारत में होगी। अब भारत की सद्दुष्प्रवृत्तियों का उल्लेख भी आवश्यक रूप से किया जा रहा है। जिनका प्रवेश इक्कीसवीं सदी में अवश्य होगा।

इक्कीसवीं सदी का भारत, कुछ विशेष अर्थों और कई दृष्टिकोणों से महानतम राष्ट्र होगा। भारत में इलेक्ट्रोनिक्स की धूम इतनी मच जाएगी कि इसे देख करके आज इलेक्ट्रोनिक्स में विकसित राष्ट्र, दाँतों तले उँगलियाँ दबाने लगेंगे। भारत, आज इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में जहाँ पहुँचा है उसमें इक्कीसवीं सदी में अवश्य वृद्धि होगी। इसी तरह से इक्कीसवीं सदी के भारत में कम्प्युटर का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा।

भारत, और राष्ट्रों के समान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगतिगामी होगा। वह अंतरिक्ष के कठिन रहस्यों को खोज करते हुए अंतरिक्ष में अपनी अलग-अलग खोज प्रस्तुत करेगा। इलेक्ट्रोनिक्स की तरह मैकेनिकल क्षेत्र में भी भारत का अद्‌भुत पहुँच होगा। इक्कीसवीं सदी के भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत गहरा होगा। यूँ कहा जा सकता है कि भारत इक्कीसवीं सदी मे परराष्ट्रों का नेता होगा, क्योंकि वर्तमान दशा में उसकी यह स्थिति अत्यन्त पुष्ट और शक्तिशाली है। इस प्रकार से परराष्ट्र सम्बंधों को मजबूत करता हुआ भारत विश्व का एक शक्तिशाली और महान राष्ट्र होगा। आजादी के बाद इतने थोड़े समय में भारत ने जो प्रगति और उन्नति की है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी का एक विकासशील राष्ट्र न होकर एक विकसित राष्ट्र होगा। यही नहीं इक्कीसवीं सदी में भारत विश्वगुरू बनकर उभरेगा।

इक्कीसवीं सदी का भारत

• डॉ. सुनीता पन्द्रो

वर्तमान में हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे है, जिस प्रकार उन्नीसवीं सदी ब्रिटेन का समय कहा जाता है, बीसवीं सदी के अमेरिकन सदी कहते है, इसी प्रकार इक्सवीं सदी भारत की है। आई.बी.एम इन्स्टिटयूट फॉर बिजनेस वेल्यु की रिपोर्ट 'इण्डियन सेंचुरी' के अनुसार भारत एक तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था हैं, आने वाले वर्षों में भारत को सबसे अधिक उन्नती करने वाले देशों में शामिल किया गया हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की हैं, जैसे सामाजिक अर्थ व्यवस्था में प्रगति, वैज्ञानिक अविष्कार, सांस्कृतिक रूप में समृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, खेती के उन्नत तरीके, तकनीकी और विज्ञान का समुचित विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, आदि कई क्षेत्र है, जिनमें अब हम आगे बढ़ चुके है।

डिजिटल भारत- आज के भारत को इक्कीसवीं सदी का भारत कहा गया है, मोदी सरकार के आने के बाद भारत में डिजिटल क्रांति का भी संचार बहुत ज्यादा हुआ है, जिस तरह-ई कार्मर्स ने भारत में जगह बनाई है, ठीक इसी तरह आज भारत में अनेक सरकारी सुविधाओं के लिए हम घर बैठें ऑनलाईन आवेदन कर सकते है, यहाँ तक की अब तो यह सेवा बैंकिग क्षेत्र में भी बढ़ गई है और अनेक डिजिटल बैंक्स भी भारतीयों के लिए उपलब्ध है, आगे बढ़ते हुए भारत को डिजिटल योगदान मिलने के बाद भारत में अनेक तरह के बदलाव आने शुरू हुए है, और हम कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का होगा।

इक्कीसवीं सदी का भारत विभिन्न क्षेत्रों में-

आर्थिक क्षेत्र- आज हमारा देश आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम है, हार्वड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार "भारत की विकास पर (Growth-Rate) लगभग 7 प्रतिशत है जो इसे सबसे तेज

• एम.ए. हिन्दी साहित्य, एम.ए. समाजशास्त्र, नेट उर्त्तीण, यू.जी.सी

गति से विकास करने वाला देश बनाती है और इसी वजह से वर्ष 2024 तक इसे चाइना से भी आगे ले जाएगी, अगर आज भी देखा जाये तो भारत का स्थान दूसरा ही है, अर्थात अर्थव्यवस्था के मामले में हम चाइना के बाद विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं।

हमारे देश की मोदी सरकार और उन वित्तीय मंत्री मण्डल ने अभी हाल ही में विदेशी प्रव्यक्ष निवेश (FDI) पॉलिसी को पूर्ण रूप से अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिससे अब कई बाहरी कम्पनियाँ भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने में नहीं हिच-किचाएंगी और जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में- प्राचीन काल से ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल रहे हैं, परन्तु उपकरणों के अभाव में हम पिछड़ गये थे, परन्तु आज स्थिति कुछ और है, हमारे देश में सभी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, साथ ही उनकी जांच के लिए भी सभी मशीनों की व्यवस्था देश में उपलब्ध कराई गयी है।

स्वतंत्रा के बाद प्रारंभ की गयी प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में, आज हमारे चिकित्सकों और अस्पतालों में पलंगो की संख्या बढ़कर पहले की तुलना में क्रमशः लगभग 2 गुनी से 6 गुनी हो चुकी हैं। मलेरिया टी.बी. हैजा (Cholera) जैसी बीमारियों से लोग पहले की अपेक्षा कम पीड़ित होते हैं, वही जानलेवा बीमारियों जैसे-प्लेग, छोटी माता (Small Pox) आदि से होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आई है, देश में व्याप्त पोलियो जैसी बीमारी को लगभग हम पूर्णतः खत्म कर चुके है। देश में औसत आयु बढ़ी हैं और बिमारियों से होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आई हैं।

नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार हम "सभी के लिए स्वास्थ्य" (Health for All) के लक्ष्य को भी जल्दी ही प्राप्त कर लेंगें। चिकित्सा विज्ञान में उन्नति करने के साथ ही हम देश में बीमारियों के प्रति जानकारी फैलाने और उससे बचाव के प्रति जागरूकता करने में भी सफल रहे हैं।

तकनीकी क्षेत्र में- तकनीकी के मामले में भी हम पहले की अपेक्षा कही अधिक आगे बढ़ चुके हैं कई मशीने, यंत्र, आदि का अब हमे आयात

नहीं करना पड़ता, बल्कि हम स्वयं ही उसका उत्पादन कर रहे हैं, बड़े-बड़े कारखाने में उत्पादन, मशीनों की सहायता से माल बनाना, संगणक से कार्य करना (Computerization) आदि ने इस प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया है।

Computerization-आज हमारे देश का प्रत्येक विभाग कम्पयूटर पर कार्य करता है, किसी भी जानकारी को आप इसके माध्यम से आदान प्रदान कर सकते है। साथ ही सभी सूचनायें भी इस पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अतंर्गत ई-कॉमर्स भी शामिल है, जिसके द्वारा हम घर बैठे- बैठे अपना सामान कम्पयूटर पर खरीद सकते हैं और बेच भी सकते है, ये ई-कॉमर्स कम्पनियाँ स्थानीय बाजारों से प्रतियोगिता करती है, पर वही दूसरी ओर ये कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही है।

ऑटो-मोबाईल क्षेत्र में- इस क्षेत्र में हम सब अब तक वांछित उन्नति नहीं कर पाए हैं, जैसे हमारा देश आज भी कारों के निर्माण के लिए विदेशी तकनीक पर ही निर्भर है, हम केवल इसके कुछ भाग ही बनाते है, परन्तु प्रयास जारी हैं और जल्द ही हम इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में- आज हमारे देश में कृषि करते समय आने वाली बाढ़, सूखे आदि समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त साधन और तकनीकी उपलब्ध हैं, जिसके चलते आज 21 वीं के भारत देश का उत्पादन कई गुना बढ़ गया हैं, आज हम हमारे देश की खाद्य-पदार्थों की जरूरतों को तो पूरा कर ही सकते है, बल्कि दूसरे देशो की जरूरतों के मुताबिक निर्यात करने में भी सक्षम हैं, इस स्थिति को पाने में देश में चलाई गयी हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है फसलों के खराब होने, सड़ने जैसी समस्याओं पर हमने नियंत्रण पा लिया हैं और दूसरी ओर उन्नत बीजों, खाद सिचाईं के पर्याप्त और उन्नत तरीके, संग्रहण क्षमता, आदि ने इसके विकास में बहुत महत्व पूर्ण भूमिका निभाई है।

रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में- हमारे देश में 3 प्रकार की फौजे हैं थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों को सम्मिलित किया जाये तो हम विश्व की प्रथम 7 शक्तियों में स्थान रखते हैं, साथ ही तीनों ही सेनाओं के रक्षा उपकरण भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हाल ही में सबसे कम वजन का लड़ाकू विमान बनाने में भी हमने सफलता प्राप्त की हैं, इस

विमान का नाम तेजस हैं और इसके लगभग सभी कल-पुर्जे, मशीने, आदि भारत में बनाई गई हैं, यह हमारी रक्षा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निजी क्षेत्रों को रक्षा क्षेत्र में सम्मिलित करने से इसके तीव्र गति से विकास की सम्भावनायें व्यक्त की जा रही है। इसमें अम्बानी बंधू, टाटा जैसी कंपनियों को शामिल किया गया हैं, परन्तु अभी इनके प्रोजेक्ट सरकार के पास अनुमति हेतु अटके हुए हैं।

हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी सुधरा हैं परन्तु अभी तक हम केवल प्राथमिक शिक्षा को ही निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा पाए हैं, जो काफी नहीं हैं, आज हमारे देश में विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में शालाएँ, महाविद्यालय आदि खोले गये है, साथ ही हमारे यहाँ बाहर के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, हमारे देश में प्रोढ़ शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाकर देश में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए सराहनीय कदम उठाए गये हैं। देश के सम्पूर्ण विकास के लिए लड़कों के साथ लड़कियों की शिक्षा के लिए भी सुचित प्रयास जारी है, बल्कि आज देश में कल्पना चावला (प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री), इंदिरा गाँधी (प्रथम महिला प्रधानमंत्री), प्रतिभा देवी सिंह पाटील (प्रथम महिला राष्ट्रपति), चंदा कोच्चर (ICICI) बैंक की वर्तमान सी.ई.ओ. एवं एम.डी. आदि जैसी महिलाये तो पुरूषों से भी आगे निकल चुकी हैं।

इक्कीसवीं सदी का भारत जहाँ इन क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त कर रहा हैं, वही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनकी तरक्की अभी बाकी हैं, जिनकी परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता शेष हैं, उनमें से कुछ क्षेत्र अग्र-लिखित है-

बेरोजगारी-आज हमारे देश की युवा-शक्ति के मामले में विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाता हैं, परन्तु रोजगार के अभाव में यह शक्ति व्यर्थ हो रही हैं और इसी कारण हमारे देश की कई प्रतिभाये विदेशों में स्वयं को साबित करके रोजगार प्राप्त कर रही हैं, जिसमें देश का ही नुकसान हैं। देश के युवा दिशा-हीन होकर अपराध के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हमारे देश में हमे रोजगार के अनेक अवसरों की आवश्यकता है। यदि हम बेरोजगारी की समस्या से छुटकरा पा ले तो कई समस्याए स्वयं ही समाप्त हो जाएगी।

गरीबी- हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह हैं कि अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस कारण देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है और अभी तक विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता हैं। इसका कारण कही न कही स्विस बैंकों में रखा काला धन भी हैं, यदि इसे देश में लाये जाने के प्रयास सफल हो, तो यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

जनसंख्या- हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है, जिसके कारण हम लागू योजनाओं का उचित प्रकार से लाभ नहीं उठा पाते और सरकार भी इन्हें व्यापक रूप में सफल नही बना पाती। हम भारतीय आज 125 करोड़ से भी अधिक है। जिसमें सभी सुविधाओं को बांटना, सरकार के लिए भी मुश्किल है। इस पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक हैं अन्यथा हमारी समस्याओं की सीमा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी।

इन सब के बावजूद हमें 'सुपर-पावर' कहा जाता है, इसका कारण है, आज दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति सभी क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में सबसे मजबूत हैं, चाहे वह क्षेत्र आर्थिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सैन्य बल की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो अथवा जन-सांख्यिकी (Demographic) की दक्षिण एशिया की जनसंख्या का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा हमारे देश का है, इसकी जी.डी.पी. में हमारा योगदान 75 प्रतिशत हैं, 77 प्रतिशत भू-भाग हमारे क्षेत्रफल का हिस्सा इसके रक्षा बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा हमारा होता हैं और इसके सैन्य बल में 82 प्रतिशत हमारा सैन्य बल शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में से एक हैं, जिसकी वर्तमान जी.डी.पी. 9.2 प्रतिशत है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही हमारे देश के अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों के साथ समझौते और संधियाँ भी है, जो इसे इक्कीसवीं सदी का सुपर पावर बनाने में और विकास की ओर अग्रसर होने में मदद करती हैं। इस प्रकार इक्कीसवीं सदी के भारत का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है।

निष्कर्ष- आज आधुनिक भारत 21 वीं सदी का भारत है, आर्थिक रूप से मजबूत कब आयेगी? जब सम्पूर्ण भारत ग्रामीण अँचल में निवास कर रहे

गरीब जनता, असहाय, बेरोजगार वृद्धा प्रेन्शन, कृषि, किसानों का स्तर ऊँचा हो, शिक्षा का सुविकास संभव हो, छात्रवृत्तियों, रोजगार योग्यता के आधार पर भर्तिया निकले, पन्नी बीनना बन्द हो, गौरव माँगना बन्द हो, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर लोन सुविधा अस्वस्थ्य गरीब (ग्रामीण) की नि:शुल्क इलाज एवं हमारी बेटियों को सुरक्षित महौल मिले, बलात्कार बन्द हो, दोषी को सजा मिले एवं नवनूतन भारत का विस्तार विकास की गति को वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, संचार, आवागमन, चिकित्सा एवं शिक्षा राजनैतिक, आर्थिक-विकास सामाजिक विकास हो एवं भारत सरकार की सभी योजनाओंका लाभ प्रत्येक भारतवासी तक लाभाँन्वित एवं सम्पूर्ण सुविकास सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण 21 वीं सदी के भारत में होना (अनिवार्य) चाहिए।

सुझाव- एक शोध रिसर्च पेपर की लेखिका एवं सामाजिक महिला के नाते मेरी जिज्ञासा यह है कि एक तरह हमारा देश समृद्धशाली 21 वीं सदी का भारत एवं मोदी जी के भारत सरकार के कार्यकाल में युवाओं को खुशियों भरा महौल एवं स्वच्छ पर्यावरण में (रोजगार + नौकरी) से पूर्ण जीवन अनिवार्य है, कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बने है, सच है, हमने भी देखे है, सुलभ शौचालय एवं घर-घर शौचालय, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण से खिलवाड़ ना करें, जिन्दगी से खिलवाड़ कोई भी ना करें। महिलाओं में शिक्षा की सुविधाओं, चिकित्सा, एवं रोजगार मुखी एवं न्याय युक्त, अधिकार एवं आरक्षण की सुविधा मिले। गम्भीर बीमारियों से राष्ट्र को बचाना है।सभी बेरोजगारों की योग्यता पर एवं आरक्षित पदों पर नौकरियों में भर्तिया निकलना अनिवार्य होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. प्रतियोगिता साहित्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (शिक्षण) एवं शोध अभियोग्यता (Teaching and Research Aptitude) 2005 (साहित्य भवन पब्लिकेशन्स-आगरा)
2. समाजशास्त्र अरहिन्द (नेट जे आर आर एफ स्लेट) (अरहिन्द प्रकाशन इंडिया लिमिटेड) 2017
3. सहायक प्राध्यापक लोक सेवा आयोग महावीर प्रकाशन पाटिल शर्स एण्ड डिस्टीब्यूटर्स इन्दौर 2014, 2013, 2018
4. 2021 करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण समसामयिक

पत्रिकाऐं एवं (पत्रिका)

5. प्रतियोगिता दर्पण जून–2021
6. प्रतियोगिता दर्पण जनवरी–2020

21वीं सदी में सामाजिक गतिशीलता की चुनौतियां एवं संभावनाएं

•भारत एस हरियाले

शोध पत्र में 21वीं सदी में सामाजिक गतिशीलता हेतु रणनीतियों पर ध्यान केन्द्रित हैं जो वर्तमान एवम भावी पीढ़ी के अस्तित्व हेतु आवश्यक है। सामाजिक गतिशीलता को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना है। यह इस बात पर भी केन्द्रित हैं कि वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए साथ ही सामाजिक व्यवस्था को ओर उन्नत किया जा सकें।चौथी औद्योगिक क्रान्ति हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रकार्यात्मक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन ला रही हैं। यह तीव्र परिवर्तन समाज स्तर पर व्यक्तियों एवम् समूहों को सामाजिक गतिशीलता के नए अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी पेश कर रही है। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा व्यापक है। इसके वैचारिक अर्थों को समझना आवश्यक है। यह सोचने का एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत कर सकते हैं। "सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य कोई भी वस्तु जो मानव क्रिया-कलाप द्वारा निर्मित अथवा रूपान्तरित है। एक सामाजिक प्रस्थिति सें दूसरी सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन हैं।"[1]- पी. ए. सोरोकिन

"सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसके अन्तर्गत या तो व्यक्ति या सम्पूर्ण समूह की आर्थिक, राजनीतिक या व्यवसायिक प्रस्थिति में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है।"[2]- एस.एस. दुबे

सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा के बिन्दु निम्न हैं-

- सामाजिक गतिशीलता का सम्बध व्यक्ति या समूह के पद या प्रस्थिति से है।

• सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, नसरूल्लागंज सीहोर (म.प्र.)

- सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन आता है।
- यह परिवर्तन एक समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है।
- सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं हैं।[3]

सामाजिक गतिशीलता की चुनौतियां- सामाजिक गतिशीलता के समक्ष चुनौतियां एवं उनके परिणाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित है, वह –

गरीबी की संस्कृति - आस्कर लेविस (1966) द्वारा प्रणीत एक अवधारणा है, जिसमें सभी स्थानों के गरीबों के व्यक्तियों में एक प्रकार की समानता होती है कि वे वंचित सामाजिक दशाओं में रहते हैं जो अशिक्षा तथा अन्य अभावों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती है। हस्तान्तरित किये जाने वाले प्रमुख लक्षणों में गरीब व्यक्ति का वर्तमान अनुस्थापन, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, भविष्य के लिये किसी योजना बनाने की असफलता और पराधीनता की भावना का होना है। संस्कृति के यह तत्व बहुत छोटी सी उम्र में सीख लिये जाते हैं जो बाद में गरीब की शीर्ष गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। गरीब व्यक्ति दरिद्रता की अपनी दशाओं (संस्कृति) के साथ अनुकूलन करता है जो बाद में अपनी संतति को हस्तांतरित कर इस संसार से विदा हो जाता है।

सामाजिक कुप्रथाएं- प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी होते/चले आ रहे हैं तथा जिनमे समाज कल्याण की भावना निहित होती है। वहीं कुप्रथाएं वह व्यवहार है, जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में उनका पालन किया गया था। इसमें तर्क का होना आवश्यक नहीं है। यह वर्तमान समाज हेतु उपयोगी एवं तर्कसंगत है या नहीं, पर विचार नहीं किया जाता। जिसके कारण समाज में सामाजिक गतिशीलता की गति धीमी होती है। जैसे–मृत्यु भोज, भ्रष्टाचार,दहेज,स्त्री शोषण, भाई–भतीजावाद, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, अस्पृश्यता,बाल श्रम,जाति व्यवस्था इत्यादि कुप्रथाएँ।

धर्मान्धता- स्टीफेन फचस (Stephen Fuchs) के मतानुसार रिलिजन (धर्म) रेलिगेयर (Religarare) से बना है जिसका अर्थ है ''बाँधना'' अर्थात मनुष्य को ईश्वर से सम्बंधित करना। "धर्म किसी न किसी प्रकार

की अतिमानवीय (Super human) या अलौकिक (Super Natural) या समाजोपरि(Super Social) शक्ति पर विश्वास है जिसका आधार भय,श्रृध्दा,भक्ति और पवित्रता की धारणा है।"[4] धर्म में लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं, उससे लाभ उठाने या उसके कोप से बचने हेतु बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के प्रार्थना व बलि करते हैं। जिसके कारण लोगों में अंधभक्ति या धर्मांधता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती हैं। जो मात्र भावना प्रधान होती है तथा व्यक्ति भावनावश धर्मान्ध होकर सामाजिक गतिशीलता में व्यवधान उत्पन्न करता है।

शैक्षिक अवसरों में असमानता- शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत घटक के साथ साधन भी है। शिक्षा के प्रसार एवं विकास ने सामाजिक गतिशीलता को बहुत प्रभावित किया है। जिन समाजों में शिक्षा की सुविधाएँ जितनी सुलभ होती है उन समाजों में सामाजिक गतिशीलता उतनी ही अधिक होती है। सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण कारक है, जो अन्य सभी के कारकों को प्रभावित करता है। सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, कि व्यक्ति को शैक्षिक अवसरों में समानता दी जाएं। इसके अभाव में सामाजिक गतिशीलता को सर्वव्यापक नहीं बताया जा सकता।

बेरोजगारी - "बेरोजगारी व्यक्ति के कार्यहीनता की एक ऐसी दशा है या स्थिति है, जिसमें उसके कार्य करने के योग्य होने तथा कार्य चाहने पर भी उसे कोई लाभप्रद काम नहीं मिल पाता है।"[5] जिसके कारण व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाता है तथा सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो जाती है।

कोविड-19- यात्रा प्रतिबंध, घर में रहने के आदेश और लॉकडाउन नीतियों के रूप में कोविड –19 महामारी के दौरान गतिशीलता प्रतिबंधों ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। ऐसी नीतियों के परिणाम न केवल स्थानीय होते हैं बल्कि सामाजिक भी होते हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे परिवारों के बीच रहने की लागत बढ़ गई है, लेकिन स्वस्थ्य आबादी के बीच भी नौकरी छंटनी और छुट्टी का असर श्रमिकों को और उनके पूरे परिवारों पर पड़ता है। यदि महामारी अमीर और गरीब बच्चों के बीच संसाधनों और सीखने के माहौल में अन्तराल को चौड़ा करती है,तो उन

बच्चों की अंतर–पीढ़ी गतिशीलता जिनकी शिक्षा और परिवार का जीवन महामारी से बाधित होता है। वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए इससे भी बदत्तर होगा।

सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं- सामाजिक गतिशीलता का वैचारिक अर्थ सामाजिक संरचना में बाधा उत्पन्न नहीं करना है। लेकिन यह अवधारणा इस बात से संबंधित है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के बीच एक अंतर सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने के लिए कई संभावित रणनीतियाँ उपयोगी हो सकती है, वह –

आधुनिकीकरण- आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का प्रयोग शामिल है। यह तर्कसंगतता और जीवन के धर्मनिरपेक्ष तरीके को भी संदर्भित करता है। प्रौद्योगिकी में सुधार से मैला ढोने जैसे अल्प सामाजिक प्रतिष्ठा वाले कार्यों में संलग्न व्यक्ति पारंपरिक कार्यों को त्याग कर ऐसे कार्य करता है, जो गंदे नहीं होते हैं तथा जिनका ज्यादा सामाजिक व शारीरिकीय अहितकर प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी प्रस्थिति को परिवर्तित कर सकता हैं। किसी देश के विकास का स्तर भी सामाजिक गतिशीलता को सुगम या बाधित करता है। अल्पविकसित और रूढ़िवादी समाज स्तरीकरण की पुरानी प्रणाली और अभिवृद्धि स्थितियों के साथ जारी है जबकि विकसित और आधुनिक समाजों ने अधिक अवसरों और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया।

आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक क्रांति के कारण एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें लोगों को उनकी दक्षता और प्रशिक्षण के अनुरूप प्रस्थिति प्राप्त होती है। जाति,नस्ल,धर्म, लिंग, स्थान और जातीयता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्तियों ने नया व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और उद्योगों में रोजगार प्राप्त किया। अनुभव और प्रशिक्षण के साथ वे सामाजिक सीढ़ी पर चढ़े। औद्योगिक समाज में प्रस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि भारत जैसे परम्परागत समाज में प्रस्थितियाँ जाति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसलिए औद्योगीकरण अधिक सामाजिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है।

आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक क्रांति के कारण व्यक्ति रोजगार

की तलाश में औद्योगिक शहरो में आते हैं। शहरों में विविध पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहते हैं, उनमें औपचारिक संबंध होते हैं। व्यक्ति अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ही करीब होते हैं। शहरी बस्तियाँ व्यक्ति की जाति और पृष्ठभूमि को गोपनीयता प्रदान करती हैं। व्यक्ति की स्थिति काफी हद तक उसकी पृष्ठभूमि के बजाय उसकी शिक्षा, व्यवसाय और आय पर निर्भर करती है। आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्रांति एवं शहरीकरण उन कारकों को हटाकर सामाजिक गतिशीलता को सुगम बनाता है जो सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालते हैं।

सामाजिक विधान- सामाजिक विधान सरकार द्वारा अभिनियमित वह कानून हैं जो सामाजिक कुप्रथाओं, रूढ़ियों को दूर करने, सामाजिक विघटन को रोकने, वंचित वर्गों का संरक्षण करने, सामाजिक न्याय स्थापित करने तथा समाज में सुधारपरक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लाये जाते हैं। जैसे सन 1829 में सर्वप्रथम बंगाल में सती प्रथा निषेध कानून लागू किया जिसके बाद सम्पूर्ण भारत में सती प्रथा निषिद्ध हैं। नए कानूनों का अधिनियमन सामाजिक गतिशीलता को भी सुगम बनाता है। जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया तो अधिकांश काश्तकार किसान मालिक बन गए, जो उनकी स्थिति में सुधार का संकेत देता है यानी काश्तकारों से मालिक। इसी तरह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नति के कानूनी प्रावधान से भी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो सकी है। जैसे बाल श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, दहेज निषेध अधिनियम 1961 आदि। विभिन्न प्रकार के सामाजिक विधानों के अधिनियम से व्यक्ति, परिवार एवं समाज में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता हैं।

सोशल मीडिया एवं संस्कृतिकरण - प्रोद्योगिकी एवं सोशल मीडिया के उपयोग से अधिकाधिक व्यक्तियों व उनके विचारों से सम्पर्क होता हैं, जिसके कारण लोगों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के साथ विभिन्न समाजों व संस्कृतियों को समझना आसान हुआ। अब व्यक्ति,परिवार या समूह किसी अन्य समाज के परिवार या समूह से अपनी वर्तमान प्रस्थिति में ओर सुधार हेतु आचार-विचारों को आत्मसात कर सकता है। जिससे विश्व

संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिलता है। विश्व संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण तथा पश्चिमीकरण सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है।

शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण- शिक्षा न केवल व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति में सहायक है बल्कि उच्च प्रतिष्ठा या व्यावसायिक स्थिति हेतु वीजा की तरह है। न्यूनतम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति उच्च पदों पर कब्जा करने की इच्छा रख सकता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एम.बी.बी.एस. की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। इसी तरह आई.ए.एस. की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम स्नातक होना जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से ही आधुनिक भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला न केवल अपने पारंपरिक व्यवसाय को बदलने में सक्षम हैं बल्कि उच्च प्रतिष्ठा वाली नौकरियों को प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

समाज में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति न केवल उच्च सामाजिक स्थिति प्रदान करता है बल्कि उन व्यक्तियों को उच्च आर्थिक पुरस्कार और अन्य विशेषाधिकार भी देता है जिनके पास कौशल प्रशिक्षण है। इन प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए लोग सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने की आशा के साथ इन प्रशिक्षणों से गुजरते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण से स्थिति में सुधार होता है जिससे सामाजिक गतिशीलता आती है।

प्रवासन - प्रवासन सामाजिक गतिशीलता को भी सुगम बनाता है। किसी विशेष स्थान में सुधार के अवसर और सुविधाएं नगण्न होने के कारण व्यक्ति अपनी प्रस्थिति को बदलने के लिए अन्य स्थानों पर पलायन करने को मजबूर होता हैं। नए स्थानों पर जहां वह प्रवास करता हैं उसके लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

व्यक्ति गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं क्योंकि शहरी केंद्रों में उच्च स्तर की संस्थाएँ होने के साथ-साथ नौकरियों के अवसर भी होते हैं। व्यक्ति शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में आते हैं और अपने सगे संबंधियों की तुलना में उच्च पदों पर काबिज होते हैं जो गांवों में रहना जारी रखते हैं। इस प्रकार प्रवास सामाजिक गतिशीलता को सुगम बनाता है।

निष्कर्ष- सामाजिक गतिशीलता एक दृष्टि,सोचने एवं कार्य करने का एक तरीका है, ताकि हम वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए रुढ़िवादिता से मुक्त व गतिशील समाज बनाने हेतु प्रयास करें। यह केवल नीतियों द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इसे बड़े पैमाने पर समाज द्वारा एक सिद्धान्त के रूप में लिया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कई विकल्पों का मार्गदर्शन करता है साथ ही बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक निर्णय जो कई को प्रभावित करते हैं।

हम सामाजिक गतिशीलता में तभी तीव्रता ला सकते है, जबकि इसमें नागरिकों और हित धारकों को शामिल करने पर जोर दे। अंत: यह दृष्टि तभी हकीकत बनेगी जब हर कोई एक ऐसी दुनिया के लिए योगदान दे जहां स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और सामाजिक गतिशीलता साथ-साथ चले जिससे हमारी अपनी और आने वाली पीढ़ी को अब से बेहतर बनाया जा सकें।

विश्व स्तर पर सभी समाजों और संस्कृतियों के दीर्घकालिक लाभ के लिए जनरीतियों एवं सामाजिक प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी को अपनी क्षमता हासिल करने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का उचित अवसर मिले तथा हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों की संरचना पर फिर से विचार करें क्योंकि वे भी अक्सर असमानताओं को कम करने के बजाए पुनरुत्पादित करते हैं। प्रभावी नीतियां और सामाजिक जनरीतियां सुनिश्चित कर सकती है कि प्रत्येक बच्चे, युवा और वयस्क के पास बेहतर भविष्य की संभावना में विश्वास करने का एक कारण है। "सामाजिक गतिशीलता अधुनिक युग में प्रत्येक सामाज की अनिवार्य आवश्यकता हो गाई है ओर कोई भी समाज इससे मुक्त नही रहे सकता।"[6] यह शोध पत्र मूलरूप से सैद्धांतिक आयामों पर केन्द्रित हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. Pitirim A. Sorokin, 1959,Social and Cultural mobility, The free press, New York, Page. no. 140
2. S.M. Dubey,1975, Social mobility among the professions, Bombay popular prakashan , Bombay, Page no. 14

3. Pro. M.L, Gupta & Dr. D.D. Sharma, 2010, Sociology, Sahitya Bhawan Publication, Agra, Page no. 257
4. Pro. M.L, Gupta & Dr. D.D. Sharma, 2010, Sociology, Sahitya Bhawan Publication, Agra, Page no. 527
5. Harikrashna Rawat, 2008, Advanced Encyclopaedia of Sociology, Rawat Publications, New Delhi, Page no. 539
6. M.L. Gupta & D.D. Sharma ,2009, Contemporary Sociological theory, Sahitya Bhawan publications , Agra, Page no. 582

21वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति व चुनौतियाँ

• डॉ. सीमा श्रीवास्तव

यह शाश्वत सत्य है कि समय निरंतर बदलता है। समय के साथ-साथ व्यक्ति की आवश्यकतायें, सोच, मान्यतायें भी बदल जाती हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में मनुष्य को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। वर्तमान की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए 21वीं सदी के भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उच्च शिक्षा की है। यद्यपि यदि हम भारत में शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि यहाँ की साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन दूसरी ओर यह भी कटु सत्य है कि यहॉ की शिक्षा पद्धति कई वर्षो पुरानी है जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।

भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति-वर्ष 2019-20 में भारत का सकल नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत है।

AISHE 2019-20 के अनुसार

कुल विश्वविद्यालय	1043
कुल महाविद्यालय	42343
कुल विद्यार्थी	3.85 करोड़
कुल नामांकन अनुपात	27 प्रतिशत

21वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने पर हमारे समक्ष निम्नलिखित चुनौतियॉ स्पष्ट होती हैं-

पुराने पाठ्यक्रम- भारतीय उच्च शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी कमी और मुख्य चुनौती है। यहॉ प्रचलित वर्षो पुराने पाठ्यक्रम, जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। यद्यपि यहॉ कहा जा सकता है कि

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट

प्रतिवर्ष इन पाठ्यक्रमों में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है, किन्तु सच यह है कि यह बदलाव न के बराबर होता है। अधिकांशतः घुमाफिरा कर वही पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के द्वारा बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो चुकी है। जो स्वंय को पढ़ा लिखा मानकर अपने पुश्तैनी कार्यो को हिकारत की दृष्टि से देखती है। इस संबंध में योजना आयोग के सदस्य और पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति नरेन्द्र जाधव का कहना है कि देश के कई विश्वविद्यालयों में पिछले तीन वर्षो में पाढ्यक्रम में कोई बदलाव नही किया गया है।इंफोसिस के संस्थापक नारायणमूर्ति के अनुसार अपनी शिक्षा प्रणाली की बदौलत ही अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सूचना तकनीकि और बायोटेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है।[1]

तालिका क्रमांक 01
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति

क्रमांक	वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालयों की संख्या
1	2013-14	36634	723
2	2014-15	38498	760
3	2015-16	39071	799
4	2016-17	40026	864
5	2017-18	39050	903
6	2018-19	39931	993
7	2019-20	42343	1043

स्त्रोत -AISHE Portal

निम्न सकल नामांकन दर-भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर (GIR) अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। BBC संवाददाता दिल्ली 22 अक्टूबर 2013 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं- स्कूल की पढ़ाई करने वाले 9 छात्रों में से 1 ही कालेज तक पहुँच पाता है। भारत मे उच्च शिक्षा के लिये रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम केवल 11 फीसदी है, अमेरिका मे यह 83 फीसदी है।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव-भारत के विभिन्न ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जो उच्च शिक्षण संस्थायें है उनमे बुनियादी सुविधाओं व गुणवता की कमी है– यह सर्वविदित है। विगत वर्षो में देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उच्च शिक्षण संस्थायें सरकारी व प्रायवेट की बाढ़ सी आ गई है। कई निजी महाविद्यालय तो कागजों पर ही खोल दिये गये हैं और जो वास्तविकता में है इनमें पर्याप्त भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं इत्यादि का अभाव है।

शिक्षकों के रिक्त पद- देश की विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कही तदर्थ शिक्षक तो कही अतिथि विद्वान के नाम से शिक्षण कार्य हेतु काम चलाया जा रहा है। यद्यपि इनका चयन UGC के नियमों के आधार पर ही किया जाता है। कई विश्वविद्यालय ऐसे है जहॉ वर्षो से नियमित नियुक्ति नहीं हुई है अतः संपूर्ण अध्यापन व्यवस्था तदर्थ शिक्षकों के भरोसे ही है। भारतीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की बहुत कमी है। आई.आई.टी. जैसे अतिरिक्त संस्थानों में भी 15 से 25 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है।

पढ़ाई का निम्न स्तर-एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्र प्रत्येक वर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिये 43 हजार करोड़ रूपये खर्च करते हैं क्योकि भारत में पढ़ाई का स्तर निम्न है।

शिक्षा के माध्यम की समस्या-भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। जिसके कारण हिन्दी भाषा क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

शिक्षा का गिरता हुआ स्तर-भारत में उच्च शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है,इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–

1. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक होना
2. शिक्षकों की रूचि कम होना
3. पुस्तकालय में स्तरीय पुस्तकों की उपलब्धता
4. विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का अभाव-यद्यपि विगत वर्षो में भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, बावजूद इसके उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की संख्या एवं उनमें अध्ययन हेतु

विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा सीमित है। उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों में दाखिला कुछ हजार विद्यार्थियों को ही मिल पाता है जबकि इनमें दाखिला हेतु लाखों विद्यार्थी दिन रात कड़ी मेहनत और असीमित तनाव के साथ प्रयास करते हैं।यह सही है कि सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं और छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन उस अनुपात में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हुई।

उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का देश में अभाव होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यहाँ की ऐसी प्रतिभायें जो देश को विकास की नई ऊँचाईयों तक ले जा सकती हैं। वे विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों में चले जाते हैं। भारतीय उद्योग संगठन एसोंचैम की रिपोर्ट के अनुसार "अमेरिका, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर आदि देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 4.50 लाख से भी अधिक भारतीय छात्र विदेश चले जाते हैं, जिसका मुख्य कारण उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का अभाव है।"[2]

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के दोष- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के तीन दोष बताये जा सकते है–

1. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं करती जो हमारे वर्तमान के लिये सार्थक हो।
2. ज्ञान की विशेष शाखायें जो प्रौद्योगिकी, रोजगार की संभावानाओं अथवा निवेश मांग के अर्थो में हमारे विकास की अवस्था में अनुपयुक्त है।
3. वर्ममान शिक्षा व्यवस्था मूल्यों पर आधारित नहीं है अतः ऐसे समर्पित लोगों का अभाव है जो राष्ट्र को नई ऊँचाइयों तक ले जा सके।[3]

व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता-वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मैकाले की नीति के अनुसार बाबुओं की एक लंबी फौज तैयार करने की ओर अग्रसर है, जो वर्तमान में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। इस स्थिति से उबरने के लिये व्यवसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रमों में शामिल करना अतिआवश्यक है। दूसरे शब्दों में सभी विद्यार्थियों को उनकी रूचि के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए जो कि वर्तमान प्रचलित पाठ्यक्रमों में नही है। व्यवसायिक शिक्षा का महत्व हम इसी तथ्य से

समझ सकते है कि दक्षिण कोरिया में 95 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत और जर्मनी में 75 प्रतिशत तक जनसंख्या व्यवसायिक रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित हैं, जबकि भारत में केवल 5 प्रतिशत लोग ही व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त हैं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमेन डॉ. सत्यनाराण जटिया ने 8 फरवारी 2017 को "भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ और समस्यायें" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[4] उनके प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है–

1. संसाधनों की कमी
2. शिक्षकों की रिक्तयां
3. शिक्षकों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन
4. रोजगार परक कौशल का अभाव
5. संस्थाओं का एक्रेडेशन

उच्च शिक्षा की सार्थकता हेतु सुझाव- वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है। इस क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से विकास हो रहा है। यह प्रौद्योगिकी हमारे रोजमर्रा के जीवन से गहराई सी जुड़ी हुई है। यदि हम वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि यह वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है।[5] उच्च शिक्षा की सार्थकता हेतु निम्नांकित प्रयास किये जा सकते है –

1. शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना अति आवश्यक है।
2. विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति गंभीरता उत्पन्न हो, इसके लिये पाठ्यक्रम को रूचिकर बनाना आवश्यक है।
3. उच्च शिक्षा सभी के लिये आवश्यक नही हो। केवल वे विद्यार्थी जो शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हे ही उच्च शिक्षा लेना चाहिए।
4. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
5. उच्च शिक्षा को वर्तमान मे व्यापार बना लिया गया है। नये–नये संस्थानों की संख्या मे दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जहाँ न तो बुनियादी सुविधायें उपलब्ध है और न ही स्तरीय शिक्षक। इसका उच्च शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस प्रकार की संस्थाओं को प्रतिबंधित करना अति आवश्यक है।

6. उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
7. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन विद्यार्थियों को सस्ती गाइड पढ़ कर पास होने के लिये प्रेरित करती है।
8. शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए।
9. प्रतिभा पलायन को रोकने के लिये कार्ययोजना बनाना चाहिए।
10. विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को ध्यान मे रखकर ही शिक्षण संस्थाओं मे विद्यार्थिओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए।
11. देश मे यद्यपि "स्किलइंडिया" कार्यक्रम के तहत लोगों को व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है। लेकिन यह पर्याप्त नही है। इसे बडे पैमाने पर कई क्षेत्रो मे प्रारंभ किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई आशायें लेकर आई है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी चरणों मे विभिन्न स्तरों पर व्यापक बदलाव का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, कि इसमे सृजनात्मक क्षमता के साथ-साथ जीवन मूल्यों का भी समावेश है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषतायें-

1. गुणवता पूर्ण शिक्षा तक पहुँच
2. शिक्षको का प्रशिक्षण
3. विभिन्न स्तरों पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग
4. अभिनव शिक्षण शास्त्र
5. समतामूलक
6. मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन
7. प्रौढ़ शिक्षा को भी महत्व

अंग्रेजों के समय से चली आ रही शिक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन करना समय की आवश्यकता है यद्यपि इस दिशा में नई शिक्षा नीति आशा की एक किरण लेकर आई है लेकिन इसकी प्रभावशीलता व परिणाम आने में लंबा समय लगेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. कुरूक्षेत्र, फरवरी 2020, पृ.-48
2. www.hindivivek/.org/17456
3. www.kailasheducaiton.com/2020/08/mahila-Udyami-samasya.
4. www.informise.com/problems-faced-by-women-entrepreneurs-in-hindi.
5. कुरूक्षेत्र, फरवरी 2020, पृ. 50

21वीं सदी- उच्च शिक्षा में समस्याएँ एवं समाधान

• डॉ. कंचन मसराम

शिक्षा मनुष्य को संस्कारवान चेतनायुक्त जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन करती है। भारत उन देशों में शामिल है जहाँ उत्कृष्ट सभ्यता एवं संस्कृति का प्रार्दुभाव लगभग चार पाँच हजार वर्ष पूर्व हो चुका था। नालंदा तक्षशिला तथा विक्रमशिला जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविघालय उच्चशिक्षा एवं विशेषता के विश्वविख्यात केन्द्र थे।

भारत नें आधुनिक उच्च शिक्षा की विघिवत शुरूआत सन 1817 में राजाराम मोहनराम तथा डेविड हरे के संयुक्त प्रयांसों से खोले गए डेविड हरे कॉलेज कलकत्ता से हुई। सन 1854 में मैकाले द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा एवं सरकारी नौकरी के मध्य तारतम्यता के पश्चात् 1857 में कलकता बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। जो देश भर में कालेजों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण परीक्षा आयोजन एवं डिग्री प्रदान करने का कार्य करते थे। सन 1902 में प्रथम विश्वविद्यालय जाँच आयोग गठित हुआ जिसकी अनुशंसा पर 1909 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम परित किया गया। स्वतंत्रता के बाद के पाचॅ दशकों में भारत में उच्चशिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ है किन्तु उच्चशिक्षा अब भी देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बन पाई है उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की अनेक घोषणाओं के बावजूद यह उद्देश्य पूरा नही हो पाया हैं। विश्वविघालय अनुदान आयोग नौवीं योजना में शिक्षा के विकास के निम्नलिखित चार उद्देश्य रखे–

1. शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार करना
2. उच्चशिक्षा सुविधाओं में सामाजिक विषमता और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।
3. पाठ्यक्रमों को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए उन्हें नए सिरे से तैयार करना

• सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविघालय बालाघाट (म.प्र.)

4. अर्हक कॉलेजों को स्वायत स्तर प्रदान करना।

प्रमुख क्षेत्र-योजना आयोग ने उच्चशिक्षा के लिये निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया है-

1. उच्च शिक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण।
2. उच्च शिक्षा में श्रेष्ठता लाना।
3. उच्च शिक्षा व्यवस्था को वितीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में शिक्षा का न्यायसंगत और कम लागत में विस्तार।
4. बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में उच्चशिक्षा को प्रासंगिक बनाना।
5. नैतिक शिक्षा का उन्नयन।
6. विश्वविद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

वर्तमान में हमारे देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की परीक्षा की घड़ी है, विश्वव्यापी चेतना के युग के अभ्युदय के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हमारे शिक्षण संस्थान नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी ढ़ग से सामने आए इसके लिए विश्वविद्यालयों उद्योगों और राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाओं के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने की जरूरत है क्योंकि उच्च शिक्षा में इस समय अनेक कमजोरियाँ है जैसे-माँगवृद्धि,स्तरहीन संस्थाओं में अंधाधुंध वृद्धि, गुणवत्ता में गिरावट, शिक्षा स्तर को बनाए रखने में विफलता, पुराने पाठ्यक्रम शिक्षा गुणवत्ता में असमानताएँ, अपर्याप्त संसाधन, अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, पिछड़ी व घिसी पिटी प्रबंध व्यवस्था आदि। उच्चशिक्षा के गिरते स्तर को लेकर हमारे देश के पूर्व राष्ट्पति और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति माननीय प्रणव मुखर्जी ने एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जहाँ युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा मिले। उन्होनें छात्रों में आत्मचेतना संवेदनशीलता मौलिक सोच विकसित करने और प्रभावशाली संवाद समस्या समाधान व अंतवैयक्तिक संबंध की दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा तभी उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर हो पाएगी। सही भी है क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया का इतिहास व्यक्ति एवं समाज के विकास की

संपूर्ण प्रक्रिया में ही निहित है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई न कोई समस्या उठना स्वाभाविक है, विद्वानों का मत है कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल भी नही सकता क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की निरंतर गतिशीलता के कारण उसमे समस्याओं का निरंतर उठते रहना स्वाभाविक है।

उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याये प्रमुख है-

1. पाठ्यक्रम की अव्यावहारिकता
2. प्रवेश संबंधी समस्या
3. अध्ययन अध्यापन की अमनोवैज्ञानिक प्रणाली
4. परीक्षा तथा मूल्याकंन की प्रचलित प्रणाली
5. संसाधनों की कमी
6. विचारों की संकीर्णता
7. जनता की निरक्षरता
8. सामाजिक दोष
9. प्राध्यापकों की समस्या
10. दोषपूर्ण शिक्षा प्रशांसन एवं नीति
11. राजनैतिक हस्तक्षेप
12. युवापीढ़ी में बढ़ता आक्रोश

पाठ्यक्रम की अव्यावहारिकता- हमारा पाठ्यक्रम संकुचित एकांगी अव्यावहारिक तथा अरूचिकर है यह जटिल एवं बोझिल भी है। पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होने के कारण विषयों की जटिलता अधिक व व्यावहारिकता कम हैं। अत: आवश्यक है कि हमारा पाठयक्रम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो जिससे विघार्थी रोजगार पाकर अपनी आजीविका के लिये अपने को सुरक्षित कर सके।

प्रवेश संबंधी समस्या-वर्तमान युग में उच्चशिक्षा के क्षेत्र में एक गंभीर समस्या छात्रों को बढ़ती संख्या है जो कि लगभग भारत के विश्वविद्यालयों के लिए एक समस्या बन कर खड़ी है। आज हर विद्यार्थी जिसने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है चाहे उनका स्तर कैसा भी हों यह भारत वर्ष का दुर्भाग्य है कि यहाँ के महाविद्यालयों में जरूरत से ज्यादा संख्या में छात्र प्रवेश लेते हैं। चाहे उनका स्तर कैसा भी हो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी राज्य सरकार व छात्र नेताओं के

सामने असहाय हो जाते है, फलस्वरूप छात्रों को पर्याप्त सुविधाये नहीं प्रदान कर पाते जिसका नतीजा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीधे गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उसका कारण हमारी वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति है, कई छात्र इसलिए कॉलेज जाते है क्योंकि उनके पास करने को और कुछ नहीं होता इसलिए दाखिला लेने वाले विद्यार्थी ज्ञान की खोज में कॉलेजों में नहीं आते बल्कि परिस्थितियो के दबाव से वहाँ पहुँच जाते है।

अध्ययन अध्यापन की अमनोवैज्ञानिक प्रणाली- विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के इस वर्तमान युग में भी अध्ययन अध्यापन कार्य के लिए हम लोग केवल प्राचीन तरीका कक्षा प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में गहन शोधों के कारण शिक्षण की नई– नई पद्धतियों और साधनों का आविष्कार हो चुका है किंतु इन सब आविष्कारों के बावजूद भी कुछ ही क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के संदर्भ में इनका प्रयोग हो रहा है जो कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के संदर्भ में एक समस्या है, इसलिये अध्यापन का तरीका कैसा है। इस पर ध्यान देना होगा सारे पीरियड बोल बोलकर प्राध्यापक चला जाता है विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया की कोई फिक्र नहीं की जाती प्राध्यापक पर भी काम का इतना बोझ होता है कि विद्यार्थियो के करीब आने का उसके पास समय ही नहीं होता। इस कारण प्राइवेट ट्यूशन और कोंचिग कक्षाएँ चल निकली है। इस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, ज्ञान बिकाऊ हो गया है ऐसी शिक्षा प्रणाली में उच्चतम स्थान पाने वाले विद्यार्थी समाज में रचनात्मक योगदान देने में असफल सिद्ध हो रहे है।

परीक्षा तथा मूल्यांकन की प्रचलित प्रणाली- उच्च शिक्षा की सबसे तात्कालिक समस्या है, वह है परीक्षा पद्धति को बदलने की, अभी इस पद्धति की बुनियाद रटना और याद करना है। इस पद्धति को परिवर्तित कर इसे व्यक्ति और समाज के बदलते दृष्टिकोणों के संदर्भ में ज्ञान की परीक्षा का रूप देना होगा। क्योंकि उच्च शिक्षा इस विधि से ऊपर उठकर समझ कौशल और अनुप्रयोग पर आधारित होनी चाहिए। आज भी हम उसी पुरानी मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करते आ रहे है जो कि विश्वसनीय नही है छात्रों की संपूर्ण बौद्धिक मानसिकता को समझने में हमारी मूल्यांकन प्रणाली असमर्थ सी प्रतीत होती है। जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में अपनी कमजोरियाँ पहचानने और इनकी वजह से पढ़ाई में रह गई कमी को

दूर करने में मदद करना है लेकिन छात्रों के मूल्यांकन के लिए अवास्तविक अवैज्ञानिक और अक्सर दोषपूर्ण प्रणाली का इस्तेमाल करते हो।

संसाधनों की कमी- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की कमी भी एक समस्या है। वर्तमान आकड़ों के अनुसार कुल बजट का 3.5 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाता है जो कि बहुत कम है, आज भी कई विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों का वेतन देने से लेकर भवन प्रयोगशाला उपकरण पुस्तकालय इत्यादि के लिए भी पर्याप्त धन नही है, जिसका नतीजा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का निजीकरण है जो की अपने आप में पूर्ण समाधान नहीं है।

विचारों की संकीर्णता- विचारों की संकीर्णता से भारतीय जनमानस अभी भी मुक्त नहीं हुआ है उसमें ऐसी धारणा है कि छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर, शिक्षण संस्थाओं में जाकर, उदण्ड हो जाती है, यदि किसी कारण व शिक्षण संस्थाओं में नामांकरण करा भी लेती है तो एक अथवा दो वर्ष पश्चात् अधूरी पढ़ाई या मध्य में ही पढ़ाई छोड़ देती है जो की अपव्यय का एक कारण है शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारे राष्ट्रीय प्रयासों का महत्वपूर्ण अंग रहा है यधपि इन प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम मिले है फिर भी स्त्री तथा पुरूष में धोर भेदभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा उपेक्षित वर्गी में अभी तक मौजूद है।

जनता कि निरक्षरता- भारत में अधिकांश जनता अभी भी निरक्षर है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें शिक्षा के महत्व से कोई विशेष मतलब नहीं है। बालक बालिकाओं को पढ़ाना लिखना उनके लिए व्यर्थ है। क्योंकि ये लोग इनके महत्व से अनभिज्ञ है। ऐसे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की अपेक्षा धनोपार्जन के लिए मजदूरी कराना ज्यादा अच्छा मानते है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सांस्कृतिक वातावरण के अतर्गत उसके विकास का उपकरण है और जो शिक्षा दी जा रही है वह व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती है।

सामाजिक दोष- शताब्दियों से चली आ रही छुआछूत की सामाजिक भावना से भारतीय समाज आज भी अपने आप को पूरी तरह से इस भावना से अलग नही कर पाया हैं। वर्तमान में उच्च वर्ग के कई लोग हरिजनों को

आज भी अस्पृश्य मानते है। इस भावनाओं के कारण हरिजन छात्रों को मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वे शिक्षा छोड़कर घर बैठने के लिए बाध्य हो जाते है। जबकि शिक्षा सबके लिए वो सभी शिक्षित हो और हर कोई शिक्षित होकर जीवन की समस्याओं से मुकाबला करने में सक्षम हो लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारी सामाजिक व्यवस्था अपनी कमियों के कारण व्यवहार में ऐसे उपाय नहीं कर पाई है कि हर कोई शिक्षा के अवसर पाकर अपने अंत र्निहित गुणों को पूर्णता और प्रखरता प्रदान करें अपने को सक्षम और सशक्त बनाए।

प्राध्यापकों की समस्याएँ- प्राध्यापकों के साथ आवास, चिकित्सा और संचार इत्यादि कई ऐसी प्रमुख समस्याएँ है, जिनके कारण उच्च शिक्षा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रभावित होती है। प्राध्यापक ऐसे क्षेत्रों में नियुक्ति या स्थानान्तरण के बावजूद भी जाना पंसद नहीं करते जिसके फलस्वरूप वर्ष में अधिकतर समय में महाविद्यालयों में छात्र प्रभावित होते है जो अपने आप में एक समस्या है।

दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन एवं नीति- दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के कारण समय-समय पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बदलाव किये जाने के कारण व्यावहारिक रूप से अनेक कठिनाईया उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक हो जाता है प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी इसमें लचीलेपन का न होना है, निर्णय लेने में देरी बहुत ज्यादा कागजी खानापूर्ति, प्रबंध व्यवस्था के निचले स्तर पर अनिर्णय स्थिति, किसी भी मामले पर फैसले को उच्च अधिकारियों पर टालने की प्रवृति, और अलग-अलग मौके पर स्थिति को देखते हुए अलग-अलग तरह के फैसले इस व्यवस्था के दोष है।

राजनैतिक हस्तक्षेप- स्वतंत्रता के बाद ही शिक्षा का राजनीतिकरण शुरू हुआ गुटबाजी एवं पार्टीबाजी के कारण विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों का माहौल बिगड़ने लगा योग्यता के स्थान पर राजनैतिक सिफारिशों आदि के आधार पर नियुक्तियाँ होने लगी। परीक्षा परिणामों में भी हेराफेरी होने लगी। विश्वविद्यालय महाविद्यालय अध्ययन अध्यापन के केन्द्र बनने के स्थान पर राजनैतिक तत्वों के अखाड़े बनने लगे।

युव पीढ़ी में बढ़ता आक्रोश-भारत में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों

में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा निरंतर आंदोलन तथा हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे है। युवाओं द्वारा सामूहिक कुंठा घृणा आक्रोश तथा हिंसा का प्रदर्शन ही विद्यार्थी असंतोष के नाम से जाना जाता है, वास्तव में विद्यार्थी अंसतोष एवं युवाओं की कुंठा तथा आक्रोश एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। वर्तमान में युवा पीढ़ी में आक्रोश की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनका आक्रोश उनके व्यवहार से स्पष्ट परिलक्षित होता है, इसके अनेक कारण है जिनके परिणाम स्वरूप न तो उनके मन में अपने शिक्षकों के प्रति आदर भावना है और न ही वे पूर्णरूप से अपने आप को शिक्षा के प्रति समपित कर पाते है जिससे शिक्षा की गुणवता प्रभावित होती है उच्चशिक्षा के क्षेत्र में यह ज्वलंत समस्या है जिसका निदान करना आवश्यक है।

उच्चशिक्षा में सुधार हेतु समाधान- उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत करना है तो उच्च शिक्षा की प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी होगी। उच्च शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार की अपेक्षा रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है।

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट एवं रोजगारोन्मुखी विषयों के अध्ययन अध्यापन तथा सर्व सुविधा युक्त पृथक केन्द्रो की व्यवस्था करना।
2. शिक्षा के लिये पर्याप्त भवन फर्नीचर पुस्तकालयों आदि की व्यवस्था करना।
3. नवीन टेक्नालाजी को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ना।
4. स्नातकोत्तर स्तर पर केवल योग्य एवं चयनित विघार्थियों को ही शिक्षा की सुविधा प्रदान करना इससे केवल वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे जो वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
5. परीक्षा मूल्यांकन में वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करके सतत मूल्यांकन एवं परीक्षा में लिखित परीक्षा के साथ ही मौखिक प्रायोगिक एवं अन्य नवीनतम प्रक्रियाओं को लागू करना।
6. उच्च शिक्षा हेतु शिक्षकों की नियुक्ति में योग्यता का विशेष ध्यान रखना।
7. शिक्षकों का प्रमोशन उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए न कि

वरिष्ठता के आधार पर इसमें शिक्षकों में विषय के प्रति नवीनतम ज्ञान प्राप्त करने के लिये जागरूकता बनी रहगी।

8. शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात उन्हें अध्यापन हेतु प्रशिक्षित किया जावे।
9. प्रशासनिक स्तर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का आंकलन कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य किया जाये।
10. शिक्षकों को भी शिक्षा के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्णय किया जाये।

निष्कर्ष- भारत में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक विश्व के अनेक देशों का मार्गदर्शन करती रही है फिर ऐसा क्या हुआ वह वर्तमान में मार्गदर्शन नही कर पा रही है। आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से सोचने की और उस सोच के आधार पर संरचना खड़ा करने की जिसमें शिक्षा के दृष्टिकोण से समाज की भूमिका सुनिश्चित हो बाजार की नही। इसलिए समस्त बधंनों से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में आए जो अतीत पर गर्व करना सिखाएं और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। इसलिए उच्च शिक्षा को और अधिक उदेश्य पूर्ण बनाने में ऐसी व्यवस्था को शामिल करना होगा जो कि सार्वभौमिक और बदलते परिदृश्य की उभरती चुनौतियों का सामना कर सके। इसके लिये उच्च शिक्षा में श्रेष्ठता व कुशलता के मापदण्ड़ो पर आधारित प्रशिक्षण व आवश्यकतानुसार अनुसंधान विकास क्षमता पैदा करना जो लोगों को व्यापक ज्ञान के जरिए ज्ञान के नए क्षेत्रों में होने वाले इच्छित परिवर्तनों में प्रति उन्हें अग्रसर कर सके इसके क्रियान्वयन के लिए श्रेष्ठता गुणवन्ता तथा प्रासंगिकता बनाए रखने वाली व्यवस्था का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. डॉ. सुबोध अग्रवाल और माघवेन्द्र इतियाल, भारतीय शिक्षा की समस्यायें तथा प्रवत्तियाँ
2. सुभाष शर्मा, भारत में शिक्षा व्यवस्था अवधारणाएँ समस्याएं एवं संभावनाएँ

नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में ऑनलाईन कक्षाओं की भूमिका

• डॉ. शशिकिरण कुजूर

समाज और मानव पूंजी को न्याय संगत बनाने के लिए शिक्षा मौलिक तत्व है। किसी भी देश में नवाचार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता को शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता काफी हद तक निर्धारित करती है। (किशोर एवं अन्य)

सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित सतत (धारणीय) विकास – 2030 के एजेंडे में सतत विकास के 17 लक्ष्यों में सतत शिक्षा को शामिल किया गया। (ऐथल, 2019) लक्ष्य सतत, समावेशी और समान गुणवत्ता वाले शिक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और SDG-2030 तक सभी के लिए आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा देना चाहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के विजन में भारत एक केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करता है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा प्रदान करके एक सामान और जीवंत सूचना समाज में स्थायी रूप से अपने निवासियों को परेशान किये बिना जीवन की गुणवत्तापूर्ण वातावरण जो हमारे राष्ट्र के स्वरूप को बदलने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। (मरूथवन्न 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होने के साथ-साथ अनेक चुनौतियॉ से परिपूर्ण है। भारत देश को एक विकसित देश के रूप उपर उठाने के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से DG-4 के अनुसार समावेशी, समान गुणवत्ता वाले शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना अनिवार्य है। SDG-4 लक्ष्य को सभी सदस्य देशों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत इस लक्ष्य को कम से कम 2040 तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए समान पंहुच

• सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर, महाविद्यालय भाटापारा (छ.ग.)

के साथ सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना लक्ष्य को हासिल कर सकता है। (अथिल एवं अथिल 2020)

नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में ऑनलाईन कक्षाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व जैसे विशयों पर विशेश ध्यान दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोविड19 संक्रमण काल के अंतर्गत ऑनलाईन शिक्षा पद्धति ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विद्यार्थी ऑनलाईन माध्यम से विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी सुलभता से प्राप्त कर पा रहे है। वर्तमान में ऑनलाईन कक्षा पद्धति व डिजिटल कक्षा ने अपनी मजबूत नींव रख ली हैं, जो शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य रूप से निभाएगी। वर्तमान कार्य सारगर्भित रूप से ऑनलाईन शिक्षा पद्धति का विस्तृत क्षेत्र, ऑनलाईन शिक्षा पद्धति के लाभ एवं उपलब्धियों, ऑनलाईन अध्यापन पद्धति की चुनौतियों एवं समस्याओं तथा नई शिक्षा नीति में ऑनलाईन और डिजिटल शिक्षा पर जोर आदि बिन्दुओं पर केंद्रित हैं।

ऑनलाईन शिक्षा पद्धति का विस्तृत क्षेत्र– नई शिक्षा नीति में ऑनलाईन (कक्षा)(शिक्षण पद्धति) का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत हो सकता हैं इसके लिए डेटा में दूरसंचार इंटरनेट की सुविधा, नवीन शिक्षण उपकरणों का अविष्कार एवं पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान समय में कुछ शैक्षणिक संस्थान द्वारा ही ऑनलाईन अध्ययन अध्यापन कार्य पर जोर दिया है लेकिन इस पद्धति का पूर्णरूपेण व्यापक प्रयोग के लिए देश में तकनीकी विकास (डिजिटल शिक्षा) के साथ-साथ प्रशिक्षण और अधिक समय तथा व्यय की आवश्यकता होगी। जिससे ऑनलाईन शिक्षा पद्धति का क्षेत्र जो अभी संकुचित है समय के साथ तकनीकी विकास से अधिक व्यापक हो जाएगा।

ऑनलाईन शिक्षा पद्धति से लाभ या उपलब्धियां

1. नई शिक्षा नीति को सफल बनाने में ऑनलाईन कक्षाओं से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावशाली होगी और अधिक से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ-साथ शिक्षा पद्धति में सुधार संभव हो सकता है।

2. ऑनलाईन कक्षा के द्वारा एक शिक्षक अधिक से अधिक छात्रों तक शिक्षा प्रदान कर सकता है तथा विद्यार्थियों के लिए भी इस शिक्षण पद्धति से अनेक लाभ हो सकते है।
3. विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन शिक्षा पद्धति में ईकर्टेंट (ई. पुस्तकालय), रिकार्डडेड लेक्चर, ईरिर्सोसेस की सुविधा भी की जा सकती है।
4. ऑनलाईन शिक्षा से नई शिक्षा नीति अधिक कारगार हो सकती है क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत संकाय (स्ट्रीम सलेक्शन) चयन पद्धति में परिवर्तन कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों को अलग-अलग संकायों (कला/विज्ञान/वाणिज्य) के किसी भी विषय का चुनाव कर सकते है। जिसके लिए शिक्षकों की कमी या अल्प उपलब्धता बाधा बन सकती है। इस बाधा का निवारण ऑनलाईन शिक्षा पद्धति से अवश्य रूप से संभव हो सकता है।

ऑनलाईन अध्यापन की चुनौतियां

1. अध्यापक द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाईन तकनीकों का प्रयोग तो किया जा रहा है लेकिन संस्थानगत स्तर पर स्मार्ट क्लास, ईबोर्ड इत्यादि के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
2. अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है, जिससे उन्हें तकनीकी रूप से नई शिक्षण विधियों और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना सिखाया जाए जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा में भी बहुत सहायक होगा।
3. अधिकांशत: विद्यालयों, महाविद्यालयों में एवं वि.वि. ऑनलाईन पद्धति से शिक्षा प्रदान करने की पहल की जा चुकी परन्तु विद्यार्थियों और शिक्षकों का कुछ प्रतिशत ही ऑनलाईन पद्धति से जुड़ पाया है। ऐसे वर्ग जो निर्बल है उनके अभिभावकों के लिए महंगें उपकरण खरीद पाना संभव नहीं है।
4. देश के अधिकांश क्षेत्र में इंटरनेट, बिजली की पहुँच तक नहीं है उन दूरस्थ क्षेत्रों में ऑनलाईन शिक्षा पद्धति का सफल हो पाना अभी असंभव लगता है जब तक वहां पर आधारभूत संरचना का विकास न हो।

नई शिक्षा नीति में ऑनलाईन और डिजिटल शिक्षा पर जोर- वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति में विकल्प के रूप में ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली का उद्गम शैक्षणिक क्रिया में महत्वपूर्ण व अत्यंत आवश्यक परिवर्तन माना जा सकता है। ऐसे में सरकार ने भी NEP-2020 में ऑनलाईन और डिजिटल शिक्षा पर जोर देने की कोशिश की है।

नई शिक्षा नीति में शिक्षा की समानता पर जोर देने के प्रयास को सफल बनाने के लिए ऑनलाईन शिक्षा पद्धति में तकनीक के समावेशी उपयोग यानि सबको साथ लेकर चलने की बात कहीं गई है ताकि सभी को समान शिक्षा मिल सके। साथ ही इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण का उल्लेख है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षा पारंपरिक कक्षा शिक्षण में अच्छा है वो ऑनलाईन क्लास में भी उतना ही बेहतर कर सके।

शिक्षण व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर कई सिफारिशें की गई है। इसके लिए अनेक पहल की शुरूआत हो गई है– संयम, शिक्षा जैसे ईलर्निंग प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा ताकि शिक्षक विभिन्न यूजर फ्रेंडली उपकरणों की मदद से छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सके। शिक्षकों को छात्र केंद्रित अध्यापन में प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभिन्न ऑनलाईन शिक्षण प्लेटफार्मों और उपकरणों का उपयोग कर खुद उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था विकसित करें।

सुझाव-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।
2. इंटरनेट पैक को थोड़ा किफायती होना चाहिए (ग्रामीण क्षेत्रों में)
3. स्वदेशी एवं समेकित फीचर्स वाले एप विकसित किये जाने चाहिए।
4. मोबाईल उपकरणों को छात्रों के लिए सस्ते दर पर कराया जाना चाहिए।
5. मोबाईल एवं अन्य इंटरनेट उपकरणों की चार्जिंग हेतु विद्युत एवं अन्य विकल्प उपलब्ध होने चाहिए।

निष्कर्ष- ऑनलाईन कक्षा की महत्व को देखते हुए निष्कर्षतः यह शिक्षण प्रणाली भविष्य में जब देश में तकनीकी/औद्योगिक विकास उच्च अवस्था

में होगी तब नई शिक्षा नीति 2020 को अधिक सफल बनाने में कारगर होगी। वर्तमान समय में इस शिक्षण व्यवस्था में अनेक चुनौतियॉ है लेकिन इस शिक्षण पद्धति में वर्तमान और भविष्य में अनेक लाभ व उपलब्धियां प्राप्त हो सकेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Implementation Strategies of Higher Education Part of National Education Policy 2020 of India towards Achieving its Objectives. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 5(2), 283-325.
2. Hindi.the print.in/opinion/many-challenge-before-online-education- New-education-Policy-can-open the-way-for-its-solution/160226/?ampऑनलाईन अध्यापन की चुनौतियां एवं कुछ विस्तृत क्षेत्र।
3. Kumar, K., Prakash, A., & Singh, K. (2020). How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generation in India. Journal of Public Affairs, e2500.
4. Maruthavanan, M. (2020). A Study on the Awareness on New Education Policy (2019) among the Secondary School Teachers in Madurai District. Shanlax International Journal of Education, 8(3), 67-71.
5. Pathak, R. (2021). National Education Policy 2020: Can it improve Faculty Motivation and Academic Outcomes in India. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 3(4), 573-579.
6. www.ddnews.gov.in/hi/national/new-education-policy-mhrd-human-resource-development-mphosis-on-unlinked-and-digital-education- नई शिक्षा व नीति में ऑनलाईन और डिजिटल शिक्षा पर जोर।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियां और संभावनाऐं

• डॉ. आशा गोहे

शिक्षा का मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है, शिक्षा ही वह बुनियाद है जिससे व्यक्ति, समाज और देश की तरक्की सुनिश्चित होती है, यह एक साधन है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि देश के विकास को गति देने वाली शिक्षा व्यवस्था भी डायनेमिक हो ताकि बदलते वक्त के साथ स्टूडेंट्स नये ट्रेंड से अपडेट हो सके। देश में काफी लंबे अरसे से शिक्षा प्रणाली में बदलाव पर विचार किया जा रहा था। अत: सन् 2020 में सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई नई शिक्षा नीति क्या है? इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? इसे लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इसमें क्या संभावनाऐं है, प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है।

भूमिका- ज्ञान जीवन का आधार है, जिसे प्राप्त करने की प्रक्रिया ही वास्तव में शिक्षा कहलाती है। शिक्षा ज्ञान रूपी वह सूर्य है जिसकी प्रकाश से हम प्रवर्तित होकर ना केवल परिवार समाज देश बल्कि इसका उपयोग कर पूरे विश्व को चमकाते है। शिक्षा एक मनुष्य की जन्मजात गुणों और शक्तियों को निखारती थी इसके द्वारा ही एक व्यक्ति के भीतर ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रतिभा को उजागर करता है और समाज में एक सभ्य योग्य और व्यवहार कुशल नागरिक बनाता है। शिक्षा एक ऐसी खुशबू है जो केवल मनुष्य को ही नही बल्कि पूरे समाज को सुगंधित करती है।

शिक्षा नीति बच्चों को उचित दिशा उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। शिक्षा नीति को केन्द्र सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है फिर शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न तैयार किया जाता है । उस शिक्षा व्यवस्था के पैटर्न

• सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महा. बालाघाट

को पूरे देश में लागू किया जाता है। इसलिए इसे शिक्षा नीति कहा जाता है। भारत में सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति बनाई गयी थी। उसके बाद उसमें संशोधन करके नई शिक्षा नीति 1986 में लाये थे। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है जो 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है आज इन परिवर्तनों के फलस्वरूप शिक्षा का स्वरूप शिक्षा की विधियों विद्यार्थियों की रूचियों– आवश्यकताओं एवं देश की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं में भारी फेर बदल किया गया है।

नयी शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु

1. 5 **वर्ष Foundation stage (Pre- primary) और कक्षा** 1, 2- शुरूआत के पांच वर्ष फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इस स्टेज में प्री प्राईमरी स्कूल की शिक्षा तीन साल तक तथा कक्षा 1 और 2 की पढाई होगी जहां पहले सरकारी स्कूल में दाखिला 6 वर्ष में होता था वहीं आज 3 साल में ही बच्चों का नामांकन होगा। तीन साल तक पूर्व प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई होगी और दो साल कक्षा 1 और 2 कक्षा की पढ़ाई होगी इस स्टेज में बच्चों को परीक्षा नही देनी पड़ेंगी बच्चों के मन से परीक्षा का भय समाप्त होगा।

2. 3 **वर्ष Pre paratory stage (Class 3,4,5)**– फाउंडेशन स्टेज पूरी करने के बाद इस स्टेज में बच्चा तीन कक्षा में आएगा, इस स्टेज में बच्चा तीन साल तक रहेगा यानि कक्षा तीन, चार और पांचवीं तक की पढ़ाई होगी इस स्टेज तक बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस स्टेज से बच्चे की परीक्षा शुरू होगी यानि कक्षा तीन से बच्चों को परीक्षा देनी होगी।

3. **दूसरा** 3 **वर्ष Middle stage (Class- 6,7,8)**– पांचवी कक्षा तक की पढाई पूरी करने के बाद बच्चा मिडिल स्टेज में आएगा। इस स्टेज में बच्चा कक्षा 6 में आएगा एवं 3 साल तक इसी स्टेज में रहेगा, यानि मिडिल स्टेज में बच्चा कक्षा छठी, सातवी और आठवी तक रहेगा। इस स्टेज में बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा (Vocational training) दी जाएगी जैसे कम्प्युटर ट्रेनिंग, कोडिंग, सिलाई, बुनाई, बढ़ई कार्य आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्टेज में पढाई किसी भी भारतीय भाषा में दी जाएगी।

4. 4 **वर्ष Secondary stage(Class- 9,10,11,12)**– मिडिल स्टेज के बाद बच्चा सेकेण्डरी स्टेज में जाएगा, यह स्टेज कक्षा नौवी से बारहवी तक

का होगा। इस स्टेज में बच्चा 9 क्लास में आएगा और बारहवीं कक्षा तक रहेगा इसमें बच्चा जिस विषय की पढ़ाई कराना चाहता है वह विषय रख सकता है साइंस, कॉमर्स, आर्टस इन सभी स्ट्रीम को हटा दिया गया है। Multiple subject का प्रावधान है, कोई भी स्ट्रीम नही होगा बच्चा जो विषय पढ़ना चाहता है वह विषय रख सकता है जैसे अगर बच्चे को साइंस अच्छा विषय लगता है तो एक साइंस का विषय सामाजिक विज्ञान का कोई विषय जैसे, राजनीति विज्ञान या इतिहास लेना चाहे तो ले सकता है।

परीक्षा पद्धति में भी परिवर्तन किया गया है पहले 9 से 12 तक वार्षिक परीक्षा होती थी नयी शिक्षा नीति के तहत नौ से बारहवी कक्षा की परीक्षा सेमेस्टर में होगी। प्रत्येक छः महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इस स्टेज में एक विदेशी भाषा यानि फॉरेन लैग्वेंज की शिक्षा दी जाएगी।

महाविद्यालय स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020- अभी तक देखा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बारहवी तक क पढ़ाई इन चार स्टेज में होगी। अब विचारणीय बिंदु यह है कि छात्र की स्नातक डिग्री की शिक्षा किस प्रक्रिया में होगी? नई शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन यानि बी.ए. की डिग्री 4 वर्ष की होगी प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

- 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन सर्टीफिकेट दिया जाएगा।
- 2 साल पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- 3 वर्ष तक पढ़ाई करने वाले को ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा।
- 4 वर्ष का स्नातक करने वाले को रिसर्च यानि शोध ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

इससे विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा जैसे अगर कोई बच्चा एक साल स्नातक की पढ़ाई करता है तो उसे ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्राप्त होगा और यदि ग्रेजुएशन का डिप्लोमा दिया जाएगा उसके बाद अगर वह किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है उसके बाद फिर एक या दो वर्ष के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी चाहता है तो उसे फिर से प्रथम वर्ष में एडमिशन नही लेना होगा उसे सीधा स्नातक तृतीय वर्ष में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि पहले से उसके पास दो वर्ष का प्रमाण पत्र है।

अगर स्नातकोत्तर की बात करे तो यह 1/2 वर्ष का होगा । आप एक या दो वर्ष में पी.जी. कर सकते है। इसके कुछ नियम है जैसे छात्र ने

स्नातक 3 वर्ष डिग्री कोर्स किया है और पी.जी. करना चाहता है तो उसे दो वर्ष का स्नातकोत्तर करना होगा और चार वर्षीय ग्रेजुएशन करने वालों को 1 वर्षीय स्नातकोत्तर में प्रवेश मिलेगा। 2020 की नयी शिक्षा नीति के तहत पी.एच.डी. कुल चार वर्ष की होगी।

महाविद्यालय स्तर की शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं

- स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठयक्रम रहेगा।
- च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम रहेगा।
- विद्यार्थी केन्द्रित अकादमिक लचीलापन रहेगा।
- बहुविषयक दृष्टिकोण।
- बहुआगमन एवं निर्गमन की उपलब्धता।
- रोजगारपरक एवं निर्गमन की उपलब्धता।
- रोजगारपरक व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
- व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान होगा।
- भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश।
- शोध प्रविधि एवं स्नातक शोध प्रबंध।
- क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर
- कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और एन.सी.सी, एन.एस.एस और योग जैसी अन्य पाठयेत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों में जीवन कौशल विकसित करना।
- परिणाम आधारित व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- स्नातक स्तर पर निम्नानुसार विषय का अध्ययन अनिवार्य होगा।
- एक मुख्य विषय, एक गौण विषय, एक वैकल्पिक विषय, एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम), इंटर्नशिप/परियोजना/शिक्षुता, स्नातक चतुर्थ वर्ष में अध्ययन के विषय।
- तीन मुख्य प्रश्नपत्र, शोध प्रविधि स्नातक, शोध प्रबंध,

इंटर्नशिप/परियोजना/शिक्षुता।

इस प्रकार हम देखते है कि उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु व्यावसायिक व कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग है।

नई शिक्षा नीति की चुनौतियां- नई शिक्षा नीति 2020 (NEP2020) के माध्यम से शैक्षिक ढांचे को बेहतर बनाने का सरकार का प्रयास अपने आप में एक सराहनीय कार्य है लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

- भारत में लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते है यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक और दिव्यांग समूहों से संबंधित है।
- एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित है यह आमतौर पर देखा गया है कि स्कूलों और कॉलेजों में बिजली, पानी, शौचालय, चार दीवारी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर आदि की कमी है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2018 दी लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रामिस के अनुसार भारत की शिक्षा प्रणाली बदत्तर स्थिति में है।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों में विफल होने का खतरा है। इसका कारण नीति में बदलाव करते समय रोडमैप का पालन नही करना और नीतियों को बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नही रखना है।
- ASER के अनुसार जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में बच्चों के साथ कम करता है इनके अनुसार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढॉचे में निवेश किया है लेकिन अपेक्षाकृत यह सफल नही रहा हैं नई शिक्षा नीति के सामने एक चुनौती शिक्षकों की कमी को दूर करना भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2017 की रिपोर्ट के

अनुसार एकल शिक्षक के भरोसे बड़ी संख्या में स्कूल चल रहे है जो शिक्षा की गुणवता को प्रभावित करता है। हाल ही में यूजीसी के एक सर्वेक्षण के अनुसार कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से प्रोफेसर के 35 प्रतिशत एसोसिएट प्रोफेसर के 46 प्रतिशत पद और 26 प्रतिशत सहायक प्रोफेसर के पद भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त है।

- एक अन्य चुनौती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है यह उल्लेखनीय है कि बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष–200 विश्व रैकिंग में जगह मिलती है।
- शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों और कॉलेजों मे प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने से संबंधित सूत्र को लागू करना भी है।
- मसौदे में त्रिभाषी नीति भी NEP2020 के सामने एक चुनौती पेश कर रही है, जिसमें गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की सिफारिश की गई है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि NEP2020 सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत है लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी है। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, लेकिन उपलब्धियां सराहनीय नही रही है।

आज भी देश के कई स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात पूरा नही है यहां तक कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में भी शिक्षक नही है अतिथि शिक्षकों की बदौलत पढ़ाई करवाई जा रही है। नई वेकैंसी नही निकल रही है और जो अतिथि शिक्षक है, उनके मन में असुरक्षा का भाव बना रहता है।

उच्च शिक्षा को ऑटोनामस बनाने के नाम पर कहीं न कही शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है अब उच्च शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर होने वाली है। यदि शिक्षा का निजीकरण होगा तो उच्च शिक्षा महंगी भी हो जायेगी।

प्राचीनकाल में शिक्षा दान की वस्तु समझी जाती थी और उसे नि:शुल्क देना उचित माना जाता था परंतु अब शिक्षा एक बिकने वाली वस्तु

बन चुकी है। सामान बेचने वाले आम भ्रष्ट व्यापारियों व दुकानदारों की ही भाति सभी प्रकार की निजी संस्थाएं कई तरह की बेईमानी व जाल फरेबों से विद्यार्थियों से धन लूटने में लगी है।

सुझाव- शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए कुछ सुझावों पर अमल करने की आवश्यकता है। इस नीति के तहत शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार नागरिकों, सामाजिक संस्थानों, विशेषज्ञों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों को अपने स्तर पर काम करना चाहिए, शैक्षिक संस्थान, कार्यान्वयन एजेंसियों और औद्यौगिक क्षेत्रों के नेताओं के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित किया जाये। इसलिए नवाचारों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है जिसमें रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकते है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उद्योग शिक्षण संस्थानों से जुड़े हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिष्ठित उद्योग संगठनों, मीडिया हाउस और पेशेवर निकायों को भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रेटिंग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक मजबूत रेटिंग प्रणाली विश्वविद्यालय के बीच एक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और उनके प्रदर्शन में सुधार करेगी क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय अभी भी दुनिया के शीर्ष 200 रैंक वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नही हैं। स्कूली शिक्षा में भी सुधार के अलावा शिक्षण और प्रशिक्षण विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष- इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य बहुत अच्छे है बशर्त यह वास्तव में लागू हो। इसके क्रियान्वयन पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए तभी नई शिक्षा नीति लागू करने की सार्थकता सिद्ध होगी। शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हे दूर करनें का भी सरकार को प्रयास करना पड़ेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. वायती श्री जमनालाल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राजस्थान प्रकाशन त्रिपोलिया बाजार जयपुर प्रथम संस्करण, 1989
2. उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त दस्तावेज
3. google.com/amp/s/ Zedhindi.com
4. https://sayhindi.in>nai-siksha-niti
5. bachpanexpress.com
6. mahiworlds.com/education

कोविड-19 का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव : एक चुनौती

• डॉ. बृजेश चन्द्र त्रिपाठी
••डॉ.राहुल कुमार तिवारी

प्रस्तावना- वैश्विक महामारी 17 नवम्बर, 2019 को चीन के वुहान शहर से प्रारम्भ होकर पूरे विश्व में फैल चुका है। इससे सभी देश में रहने वाले व्यक्ति प्रभावित है। यह महामारी शिक्षा क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित की है। इसके प्रभाव से विश्व के अनेक देशों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कोविड–19 का नाम घोषित किया है।

भारत में सर्वप्रथम कोविड–19 से प्रभावित व्यक्ति केरल राज्य में 30 जनवरी 2020 को पाया गया। 12 मार्च 2020 को भारत में पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई जो कोविड–19 से ग्रस्त था। यूनेस्को रिर्पोट के अनुसार अप्रैल तक 90 प्रतिशत छात्र/छात्राएं पूरे विश्व में इस वैश्विक महामारी से प्रभावित हुए हैं। जून 2020 तक 67 प्रतिशत छात्रों में कमी भी मिली है।

लॉकडाउन के दौरान पूरे विश्व में लगभग 120 करोड़ विद्यार्थी कोविड–19 से प्रभावित हुए है जबकि लगभग 32 करोड़ छात्र/छात्राएँ सिर्फ भारत में प्रभावित हुए है। यूनेस्को रिर्पोट के अनुसार यदि देखा जाये तो भारत में लगभग 14 करोड़ प्राथमिक छात्र एवं 13 करोड़ माध्यमिक छात्र/छात्राएँ की शिक्षा प्रभावित हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा सामाजिक दूरी अर्थात् दो व्यक्ति के बीच दूरी बनाकर रहने की सलाह दी गयी। साथ ही मास्क को प्रत्येक व्यक्ति को पहनना अनिवार्य किया गया हैं। विश्व के प्रत्येक देशों में अलग–अलग समय में अनेक लॉकडाउन किया गया ताकि इस वैश्विक महामारी से बचाया जा सके। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज एव विश्वविद्यालयों को

• एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ
असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ

पूर्णतः बन्द कर दिया गया। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं तथा विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बन्धित परीक्षाओं को भी रोक दिया हैं परन्तु इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान डिजिटल/ऑनलाइन, शिक्षण को स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों ने महत्ता प्रदान किया हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत से छात्रों को लाभ हुआ तथा बहुत से छात्रों को कोई लाभ नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त तकनीकी के अभाव एवं नेटवर्क समस्या के कारण उनका नुकसान ही हुआ है। लेकिन एक बात यह सिद्ध होता है कि कोविड-19 ने व्यक्तियों की जीवनशैली को बदल दिया है। व्यक्तियों को समाज में कैसे सुरक्षित रहना है, यह सीख मिली है।

कोविड-19 ने छात्रों एवं शिक्षकों को ऑनलाइन सीखने का अवसर प्रदान किया है। तकनीकी के माध्यम से छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक भी एक दूसरे से वार्तालाप करने के अवसर इस महामारी ने दिया है। डिजिटल लर्निंग को विश्व के लगभग अधिकांश देशों ने प्रमुख स्थान दिया है। भारत में भी बहुत से शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा तकनीकी के माध्यम से सीखने पर जोर दिया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य- वर्तमान में इस अध्ययन के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझ सकते हैं-

1. शिक्षा पर कोविड-19 के सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
2. शिक्षा पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
3. शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उठाये गये विभिन्न कदमों का अध्ययन करना।

प्रयुक्त अध्ययन विधि- इस अध्ययन विधि के अन्तर्गत पत्र-पत्रिकाओं एवं ई-विषयवस्तु का भी प्रयोग किया गया है। अध्ययन में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिए गये विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचनाओं को संग्रहित किया गया है। साथ ही विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी को भी सूचनाओं के अध्ययन का आधार बनाया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने इस महामारी को रोकने का भरपूर

प्रयास किया है ताकि इसका प्रभाव कम से कम लोगों पर पड़े। अनेक बार लॉकडाउन को लागू किया गया। विभिन्न परीक्षा बोर्ड संस्थाओं ने अपने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। भारत सरकार समय-समय लॉकडाउन के दौरान दिशा-निर्देश भी दिया। जिसमें मास्क एवं 2 गज की दूरी को अनिवार्य किया। किसी भी परीक्षा के लिए 20-25 छात्रों को एक कक्ष में अनुमति प्रदान किया। यू.पी.एस.सी. ने सभी प्रकार के साक्षात्कार को स्थगित किया। भारत सरकार ने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू एवं 25 मार्च 2020 से प्रथम भारत बन्द की घोषणा की। भारत सरकार ने पॉच लॉकडाउन के बाद 6वें लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ 1/7/2020 से 31/7/2020 तथा 08 अप्रैल 2021 21 मई 2021 तक लागू करने का फैसला किया। इस प्रकार लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 में व्यक्तियों की जॉच एवं अन्य गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू किया एवं स्कूल एवं कॉलेजों को पूर्णतः बन्द किया। साथ ही सभी शैक्षिक संस्थाओं को आदेश दिया किय वे अपने सभी कक्षाओं को प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन शुरू करे। लॉकडॉउन के दौरान डिजिटल तकनीकी का महत्व शिक्षा के क्षेत्र को बहुत प्रभावी बनाया। इस वैश्विक महामारी ने छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन सीखने एवं तकनीकी प्रयोग का अवसर प्रदान किया। कोविड-19 के आगमन पर यदि तकनीकी के स्थान का वर्णन किया जाये तो पता चलता है कि ऑनलाइन सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। भारत में "डिजिटल इंडिया" का आवाहन भारत सरकार द्वारा किया गया था, इसके लिए कोविड-19 वरदान साबित हुआ हैं, वास्तव में तकनीकी पर आधारित शिक्षा कोविड-19 के दौरान अधिक पारदर्शी साबित हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसमें विभिन्न शैक्षिक पोर्टल और शैक्षिक चैनल को विकसित किया है। लॉकडाउन के दौरान छात्रों ने सोशल मीडिया, टी.वी., रेडियों, मोबाइल आदि का भरपूर प्रयोग किया है। गूगल मीट, जूम, व्हाटसैप, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों द्वारा पर्याप्त मात्रा में किया गया है।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर तकनीकी का प्रभाव-

(अ) प्राथमिक स्तर पर तकनीकी का प्रभाव- प्राथमिक स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के पोर्टल एवं तकनीकी का प्रयोग किया गया है। शिक्षण

अधिगम प्रक्रिया को जारी रखने के लिए शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा भरपूर प्रयोग किया गया हैं, ग्रामीण स्तर हो या शहरी स्तर दोनों स्तर पर प्रयोग किया गया है। कोविड–19 के दौरान मीना मंच तथा दीक्षा, सभी प्रकार के एप का प्रयोग किया गया परन्तु ऑनलाइन शिक्षा प्राथमिक स्तर के लिए एवं उच्च स्तर के लिए उतना प्रभावी नही हुआ जितना माध्यमिक एवं उच्च स्तर के छात्र/छात्राओं के लिए हुआ है।

(ब) माध्यमिक स्तर पर तकनीकी का प्रभाव- दीक्षा पोर्टल का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों द्वारा वीडियों पाठयोजना, टेक्सबुक और मूल्यांकन में किया गया है। सीबीएसई एवं एनसीईआरटी के दिशा निर्देर्शो में 250 शिक्षकों के द्वारा विषयवस्तु को तैयार किया गया है, जो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से शिक्षण के लिए उपयोगी साबित हुआ है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सीबीएसई एवं एनसीईआरटी द्वारा लगभग 80000 ई–बुक को विकसित किया गया। ई–पाठशाला जो कि ई–अधिगम एप का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया है। जिसका प्रयोग विभिन्न भाषाओं के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्रों के लिए किया गया। मोबाइल एप का भी प्रयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया है।

(स) उच्च शिक्षा स्तर पर तकनीकी का प्रभाव- 'स्वयं एप' एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है, जिसके माध्यम से लगभग 1900 विषयों का शिक्षण कार्य संचालित हो सकता है, जिसे कक्षा–9 से कक्षा 12 एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। 'स्वयं प्रभा' एक ऐसा एप है जिसमें 32 DTH टी.वी. चैनल के द्वारा 24 X 7 आधारित शिक्षा से सम्बन्धित विषय–वस्तु को प्रसारित किया जाता है। यह चैनल कक्षा 9 से कक्षा 12 तक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।

'ई–पी.जी.पाठशाला' का प्रयोग परास्नातक छात्रों के शिक्षा के लिए किया जाता है। पी.जी. के छात्र इसका प्रयोग लॉकडाउन के समय ई–बुक, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अध्ययन–विषयवस्तु के रूप में किए है।

कोविड-19 का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव– कोविड–19 का प्रभाव शिक्षा पर बहुत नकारात्मक पड़ा है। परन्तु नकारात्मकता के साथ– साथ

सकारात्मक प्रभाव भी पड़े है। जिसको हम निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते है–

- कोविड–19 ने शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को अधिक बढ़ाया है।
- कोविड–19 शैक्षिक संस्थाओं को मिश्रित अधिगम की तरफ प्रोत्साहित किया है।
- कोविड–19 के दौरान सभी शिक्षकों एवं छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया है।
- पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है।
- कम समय में अधिक विषय–वस्तु सीखने में सहयोग किया है।
- कोविड–19 वर्चल मीटिंग, टेलीकॉनफ्रेसिंग, वेबिनार और ई–कान्फ्रेरेंस का व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया है।
- इस वैश्विक महामारी ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया है जैसे तकनीकी के माध्यम से सीखना एवं इसके प्रयोग।
- इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सूचनाओं के आदान–प्रदान अधिक हुआ है।
- इस विश्वव्यापी महामारी में छात्रों के लिए अधिगम विषय–वस्तु को सुविधाजनक प्रदान करने एवं छात्रों के प्रश्नों को इमेल, एस. एम.एस और फेसबुक के माध्यम से समाधान में सहायक सिद्ध हुआ है।
- छात्रों के समय का सदुपयोग के लिए 'ऑनलाइन शिक्षा' महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा में कोविड–19 के दौरान छात्रों को आत्म सीखने का अवसर मिला है।

कोविड-19 का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव- कोविड–19 का शिक्षा पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। इसने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते है–

- कोविड–19 ने सभी शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित किया है सभी प्रकार के कक्षाएँ, परीक्षाएँ को इस देश व्यापी महामारी के

दौरान स्थगित करना पड़ा।

- लॉकडाउन के कारण लगभग 5 से 7 महीना नया सत्र 2021-22 बिलम्ब हो गया।
- कोविड-19 ने छात्र/छात्राओं को इतना प्रभावित किया है कि 5-7 महीने के गैप के बाद पुनः शिक्षा में गतिशीलता लाना बहुत कठिन हो गया है।
- बहुत से संस्थानों, कम्पनियों में नवयुवकों के प्लेसमेन्ट नहीं हो पाये है, जिससे उनके नौकरी का खतरा पैदा हो गया है।
- इस विश्वव्यापी महामारी ने समाज में अधिक बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि कर दिया है, जिनमें असन्तोष व्याप्त से चुकी है।
- भारत के साथ विश्व के अनेक देशों में भी लोग भुखमरी के शिकार हो गये है।
- प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तियों की नौकरियॉ समाप्त सी हो गयी है।
- ऑनलाइन शिक्षा का लाभ बहुत से छात्र/छात्रों एवं शिक्षकों को नहीं मिला है, खासकर ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले सभी छात्रों का का नुकसान ही हुआ है। क्योंकि वहॉ पर पर्याप्त मात्रा में भौतिक सुख/सुविधाओं का अभाव है जैसे- नेटवर्क, बिजली, आर्थिक स्थिति का अभाव आदि।
- बहुत से भारतीय छात्र/छात्राएँ जो विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करते थे, उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित हुई है।
- कोविड-19 ने प्राथमिक शिक्षा को तो पूरी तरह प्रभावित किया है। इस स्तर के बच्चों की शिक्षा शत-प्रतिशत बाधित हुई है।
- लॉकडाउन के दौरान बहुत से अभिभावकों की नौकरी चली जाने के कारण अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज में फीस नही जमा कर पाये हैं अर्थात् स्कूल, कॉलेज के ट्यूशन फीस को कोविड-19 ने प्रभावित किया।

सुझाव- सरकार को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम अवश्य उठाने चाहिए

जिससे बच्चों के शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान की जा सके। सफल छात्र/छात्राओं को कोविड–19 के प्रभाव को सामान्य बनाने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को अनेक स्तरों पर संचालित करके व्यक्तियों में प्रोत्साहन पैदा करना चाहिए। भारतीय परम्पराओं को ज्ञान के रूप में जाना जाता है अतः इसे वैज्ञानिक नवाचार, मूल्य और सम्भावित तकनीकी एवं दवाओं के विकास पर जोर देना चाहिए तथा उच्च शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में तकनीकी एवं इन्टरनेट युक्त प्रणाली की आवश्यकता है। अतः संस्थाओं में इनकी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों एवं छात्रों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकारी एवं प्राइवेट संस्था प्रमुख को करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो सुलभ सबको आसानी से हो इस पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों एवं समाज के जिम्मेदार अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष - कोविड–19 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न किया है। साथ ही सीखने के विभिन्न अवसर भी छात्र/छात्राओं को प्रदान किया है। भारत सरकार एवं शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्तियों ने ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी एवं विभिन्न शैक्षिक पोर्टल के प्रयोग पर बल दिया है। बहुत से छात्र/छात्रों को जो तकनीकी के प्रयोग से अनभिज्ञ से उनका नुकसान तथा बहुत से छात्र/छात्रों एवं शिक्षकों को अधिगम प्रक्रिया को गतिशील बनाने में सहायता भी मिला है। कोविड–19 अभी कब तक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा। अनिश्चितता के बावजूद अधिक समय तक डिजिटल तकनीकी एवं ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने पर जोर दिया गया है। सरकार को एक प्रभावी नीति बनाकर शिक्षा में गतिशीलता लाने का प्रयास करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक संचार प्रौद्योगिकी पहुँच को सुनिश्चित करना पड़ेगा ताकि देश के प्रत्येक छात्र/छात्राओं चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण पूर्णतः विकास को निर्धारित किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. डब्ल्यू.एच.ओ. डब्ल्यू.एच.ओ. कोरोनावाइरस डिसीज (कोविड-19), दराबोर्ड, रिट्राइव्ड, 20 मई 2020
2. दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान, लखनऊ, 25 अंक 001-304, 2020
3. प्रभात कुमार जीना (2020) "चैलेन्जेज एण्ड आ. क्रियेटेड बाई कोविड-19 फार इण्टरनेशनल जर्नल फॉर इनोवेटिव रिसर्च इन मल्टी डिसप्लीनरी फील्ड वैलूम-6, इसूज-5
4. एम.एच.आर.डी. (20 मार्च, 2020), कोविड-19 स्टडी सेफ : डिजिटल इनीसिएटिल, रिट्राइव्ड 25 मई 2020
5. यूनेस्को. कोविड-19 एजुकेशनल डिस्कशन एण्ड रिस्पान्स
6. स्टडी एब्रोड लाइफ (2020) हाऊ कोविड-19 विल इफेक्ट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, रिट्राइव्ड, 25 मई 2020

वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा की संकल्पना

• आशुतोष भण्डारी

शारीरिक शिक्षा सम्पूर्ण नीति का एक आन्तरिक भाग है। शारीरिक शिक्षा व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं, मानसिक क्षमताओं, सामाजिक पहलुओं, भावनात्मक दृढ़ता एवं आध्यात्मिक विकास सम्मलित है। शारीरिक शिक्षा की संकल्पना व्यक्ति का अधिकतम विकास करता है, जिससे वह अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति अपने अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करता है। शारीरिक शिक्षा के अर्न्तगत शारीरिक क्रियाओं का तात्पर्य केवल व्यायाम करने तक सीमित नही है बल्कि इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का विश्लेषण करना है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास को प्राप्त किया जाता है, शारीरिक शिक्षा में शारीरिक क्रियाओं का बाहरी एंव आन्तरिक पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में समग्र शिक्षा नीति में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसी कारण शारीरिक शिक्षा की सभी विधाओं में अनिवार्य किया गया है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व विकास की सीढ़ी को आसानी से चढ़ा जा सकता है और व्यक्ति एक नये पायदान पर पहुँच कर राष्ट्र निर्माण करने में सक्षम बनता है।

शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ (Meaning of Term Physical Education)- शारीरिक शिक्षा की उत्पत्ति दो अलग-अलग शब्दों से मिलकर हुयी है। जिसमें "शारीरिक" और "शिक्षा" है, शारीरिक का अर्थ साधारण भाषा में "शरीर के सम्पूर्ण भाग को दर्शाता है, जिसमें शरीर से सम्बन्धित शारीरिक ताकत, शारीरिक सहनशीलता, शारीरिक बनावट एंव शारीरिक स्वास्थ्य है, इसी प्रकार दूसरे शब्द शिक्षा का अर्थ है, एक

• एसोसिएट प्रोफेसर,शारीरिक शिक्षा विभाग, बी.वी.आर.आई., बिचपुरी, आगरा

व्यवस्थित ट्रेनिंग और तैयारी किसी विशेष कार्य हेतु अर्थात दो शब्दो का सम्मिलित अर्थ है वह व्यवस्थित प्रशिक्षण और तैयारी जो किसी शारीरिक क्रिया के द्वारा शरीर की क्षमता एंव विकास को बढ़ाता है और जिससे व्यक्ति की क्रियाशीलता लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। वर्तमान समय और शुरूआती दौर को देखकर शारीरिक शिक्षा के बारे में विद्धानों के अपने अलग- अलग विचार सामने आये हैं। जिनके आधार पर हम शारीरिक शिक्षा को समझने की कोशिश कर सकते है। कुछ प्रमुख सिद्धान्तों द्वारा दी गयी परिभाषाएं निम्नांकित हैं-

1. **एच.सी. बक**(H.C. Buck)-शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धित क्रियाओं के द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास एंव शिक्षा दी जाती है। यह वह शिक्षा है जिसमें सम्पूर्ण बच्चे को शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है। शारीरिक क्रियाएं उपकरण है। इन्हे चयनित एंव आयोजित करके बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू जैसे-शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एंव चारित्र आदि को प्रभावित किया जा सके।

(Physical Education is that part of the general Education programme which is concerned with the growth, development and education of children through the medium of big-muscles activities. It is the education of the whole child by means of the physical activities. Physical activities are the foods. They are so selected and conducted as to influence every aspect of child's life, physically, mentally, emotionally and morally.)

2. **चार्ल्स ए. बूचर** (Charles A. Bucher)-शारीरिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का आन्तरिक भाग है। यह कठोर परिश्रम का क्षेत्र है। जिस कारण इसका लक्ष्य शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव क्षमता को बढ़ाना है और जिन्हें वास्तव में लक्ष्य प्राप्ति या उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु चयनित किया जाता है।

(Physical Education, an integral part of the total education process, is a field of Endeavour that has as its aim the improvement of human performance through the medium of physical activities that have been selected with a view to realize this outcome.)

3. **डैल्बर्ट ओवरटयूफर** (Delbert Oberteffer)–शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति के उन सभी अनुभवों को जोड़ है जो उसे शारीरिक क्रियाओं या जातियों के द्वारा प्राप्त होता है।

(Physical education is the sum of those experience which comes to the individual through movement)

शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारण- (A set goal of physical Education)– किसी भी कार्य की अंतिम सीढ़ी या पावदान का कार्य का उच्चतम स्थान लक्ष्य होता है। लक्ष्य तक पहुँचने के कई उद्देश्य, सिद्वान्त एवं पद्वतियॉ होती है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में विद्वानों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किये है, जिनके आधार पर हमें शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को समझने में मदद मिलेगी, जो प्रमुखत: निम्नलिखित है–

1. शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यो के बारे में जे.एफ. विलियम्स ने अपने विचार इस प्रकार रखे है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कुशल नेतृत्व क्षमता और उचित मात्रा में सुविधाएं देना जिससे कोई व्यक्ति या संगठन किसी परिस्थिति में अवसर प्राप्त कर सकें और जो शारीरिक रूप से शानदार, मानसिक रूप से उत्प्रेरित और संतोषजनक हो एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो।
2. थॉमस वुड ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के लिए कहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य उतना ही बड़ा होना चाहिए जितनी कि शिक्षा है और जो व्यक्ति के जीवन को शांतिप्रिय और प्रेरणादायी बनाये।
3. जे. आर.शरमन ने बताया है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य लोगो के अनुभवो को एक सीमा तक प्रभावी करता है जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर समाज में सफलतापूर्वक समायोजित हो सके एवं अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा एवं सुधार सके तथा अपनी क्षमताओं को विकसित करके अपनी आवश्यकताओ को संतुष्ट कर सके।
4. निक्सन और कोजेन के अनुसार किसी व्यवस्थित शारीरिक शिक्षा लक्ष्य इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं या गुणो को विकसित करने में अधिकतम योगदान हो, जिससे वह जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना कर सके, और उसे

स्वस्थ वातावरण में और अधिकतम सुविधाजनक जितना हो सके एवं ऐसी मॉसपेशीय क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का आयोजन करना जिससे लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान हो सके।

5. बुकवाल्टरस के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक पहल का सम्पूर्ण विकास किया जाता है और व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के प्रभाव एवं विभिन्न प्रकार की चयनित क्रियाओं जैसे सम्पूर्ण शरीर से सम्बन्धित खेल, डॉन्स, जिमनास्टिक आदि जिन्हे समाज एवं स्वच्छता के मानकों के आधार पर आयोजित करके उसे समाज में समायोजित करना है।

इन सभी विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है किसी व्यक्ति का अधिकतम एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना जिससे वह अपनी जीवन यापन आसानी से कर सके।

शारीरिक शिक्षा के बहुआयामी उद्देश्य(Multiple objectives of Physical education)-किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य किसी कार्य की संपूर्णता से होता है या अन्य शब्दों में व्यक्ति अपने जीवनकाल में श्रेष्ठ स्थान पाने की सोचता है। किसी भी विशिष्ट लक्ष्य पाने के लिए कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं जो लक्ष्य तक पहुँचने में सीढ़ी का कार्य करते हैं। किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग उद्देय हो सकते है। लेकिन सभी उद्देश्य आपस में परस्पर संबंधित होते हैं जिस कारण लक्ष्य प्राप्ति होती है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य किसी व्यक्ति का "सर्वांगीण विकास" करता है, जिसके लिए अलग-अलग विद्धानों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है जो कुछ अग्रलिखित हैं-

चार्ल्स ए. बुचर(Charles A. Bucher)- इन्होने शारीरिक शिक्षा के प्रमुख चार उद्देश्य दिये हैं।

1. शारीरिक विकास उद्देश्य (Physical Development)
2. गामक एंव गत्यात्मक विकास (Motor and Movement development)
3. मानसिक विकास (Mental development)
4. सामाजिक विकास (Social development)

लॉस्की (Laski)– इनके अनुसार पॉच प्रमुख उद्देश्य हैं–

1. शारीरिक पहलू विकास (Development of physical Aspect)
2. भावानात्मक पहलू का विकास (Development of emotional Aspect)
3. सामाजिक पहलू का विकास (Development of social Aspect)
4. बौद्धिक पहलू का विकास (Development of Intellectual Aspect)
5. न्यूरो–मांसपेशी पहलू का विकास (Development of Neuro Muscular Aspect)

जे. आर. शेरमन– इनके अनुसार मुख्यत: छ: उद्देश्य हैं–

1. शरीर के जैविक तंत्र का विकास (Development of the organic majors of the body)
2. क्रियाओं में कौशल विकास एंव खेल के लिए उचित वातावरण बनाना (Development of skills in activities and favourable environments towards experiences)
3. सामाजिक दृष्टिकोण एंव आचरण का विकास (Development of social attitude and conduct)
4. अच्छी स्वास्थ्य आदतों का विकास (To develop correct health habits)
5. भावानात्मक एंव बौद्धिक विकास (Emotional and intellectual development)

जे. बी. नैश (J.B. Nash)– इनके अनुसार चार प्रमुख उद्देश्य हैं–

1. जैविक विकास (Organic Development)
2. न्यूरो–मांसपेशी विकास (Neuro muscular development)
3. समझने की योग्यता का विकास (Interpretine development)
4. भावानात्मक विकास (Emotional development)

एच.सी.बक(H.C. Buck)– इनके अनुसार पॉच उद्देश्य हैं–

1. शारीरिक अंगो का विकास (Organic development)
2. न्यूरो मांसपेशीय परस्पर विकास (Development of Neuro

muscular coordination)

3. खेल और शारीरिक क्रियाओं के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास (Development of correct view pint regarding sports and physical activities)
4. सामाजिक दृष्टिकोण एंव आचरण का विकास (Development of social attitude and conduct)
5. उचित स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों का विकास (Development of correct health habits)

बक वाल्टर (Buck Walter)– इन्होने तीन उद्देश्य बतायें हैं–

1. स्वास्थ्य का विकास (Development (Development of health)
2. नैतिक आचरण का विकास (Development of moral character)
3. समय का सदुपयोग करना (Worth use of leisure time)

ए. सारजेन्ट (A.Sargent)– इनके अनुसार चार उद्देश्य हैं–

1. स्वास्थ्यकर विकास (Hygienic development)
2. शैक्षिक विकास (educational development)
3. मनोंरंजनात्मक विकास (Recreative development)
4. उपचारात्मक विकास (Remedial development)

एगनस स्टूड्ली (Agnes Stoodley)– इनके अनुसार पॉच प्रमुख उद्देश्य हैं–

1. स्वास्थ्य, शारीरिक एवं अंगो का विकास (Health, Physical and organic development)
2. मानसिक एंव भावनात्मक विकास (Mental and Emotional development)
3. न्यूरोमांसपेशीय विकास (Neuro muscular development)
4. सामाजिक विकास (Social development)
5. बौद्धिक विकास (Intellectual development)

इ. एफ. वाल्टमर (E.F. Voltmer)– इन्होने 03 उद्देश्य दिये हैं,

1. शारीरिक विकास (Physical development)
2. गामक विकास (Motor development)

3. ज्ञान एंव समझदारी का विकास (Knowledge and understanding development)

ओबरटयूफर एंव अलाटिस (Oberteoffer and Ulrich)-इन्होने उद्देदश्यों को दो भागों में बांटा है-

1. त्वरित उद्देदश्य (क्रियाओं में कौशल, जैविक मूल्य और मनोंरंजन के आधार)Immediate objectives (skill in activities, organic values and fundamental amusement)
2. दूरगामी उद्देदश्य(मनोवैज्ञानिक विशेषताएं एवं सामाजिक नियंत्रण)Long range objectives (Psychological characteristics and social control.

125**कोवेल एंव रौन** (Cowell and Sehein)- इन्होने उद्देदश्यों को पॉच भागो में बॉटा है।

1. जैविक शक्ति या अंगो की शक्ति (Organic power)
2. न्यूरो मांसपेशीय विकास (Neuri mucular development)
3. व्यक्तिगत एंव सामाजिक दृष्टिकोण एंव समायोजन (Personal and social attitudes and adjustment)
4. अनुकूलन की क्षमता को बनाये रखने का विकास (Development of ability to maintain adaptive effort)
5. समझने की योग्यता, बौद्धिक विकास एंव भावानात्मक प्रतिक्रिया (Interpretine, Intellectual and emotional responsiveness)

ब्लूम एंव कार्थवोल (Bloom and Karthwall)-इन्होने तीन उद्देदश्य दिये हैं जो आपस में परस्पर जुड़े हुये हैं जो निम्न हैं-

1. ज्ञानात्मक विकास (Logitive development) (ज्ञान, विशेषण, मूल्यांकन, बौद्धिक)
2. भावात्मक विकास (Affective development)
3. क्रियात्मक विकास (Psychomotor development) (विभिन्न गामक या क्रियात्मक क्रियाओं में दक्षता एंव शारीरिक सजगता)

वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा का अनुकूलित कार्यक्षेत्र (Adaptable and Adjustable Scope of Physical Education)- प्रत्येक व्यवसायिक शिक्षा का एक वृहद कार्यक्षेत्र होता है और उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने पर सम्बन्धित व्यवसायिक शिक्षा की सहजता बढ़ती है और समाज उसको स्वीकार करता है, शारीरिक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक शिक्षा है जो रोजगार के अनेक अवसर अलग-अलग क्षेत्रो में उपलब्ध कराती है, शारीरिक शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन), एम. फिल, पीएच.डी, डी.लिट, नेट, स्पोर्टस कोचिंग डिप्लोमा, शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा, स्पोर्टस मैनेजमैट डिप्लोमा, शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा, स्पोर्टस मनैजमैन्ट डिप्लोमा, फिटनेस डिप्लोमा, स्पोर्ट्स जरनलिज्म डिप्लोमा आदि। प्रमुख रूप से शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र को दो भागो में बॉटा जा सकता है।

1-सरकारी क्षेत्र(Govt. Sector)-

1. **स्कूल स्तर पर** (At school level)– शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गयी है। बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसे प्रतिपादित करने के लिए स्कूलो में शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाया जाता है। स्कूल या विद्यालयों में टी.जी.टी. शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाया जाता है। स्कूल अनुदेशक शारीरिक शिक्षा आदि रखे जाते हैं। सभी राज्यों की स्कूलों, केन्द्रीय विधालयों एंव नवोदय विधालयों में शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रखा जाता है।
2. **उच्च शिक्षा स्तर पर**(In Higher Education)- उच्च शिक्षा में भी शारीरिक शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उच्च शिक्षा के स्तर विश्वविद्यालयों एंव महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कोर्सो एवं विषयों हेतु यू.जी.सी. मानकों के आधार पर शारीरिक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जो बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम.पी.ई., एम.फिल, एंव पीएच.डी. जैसे शोधकार्यो में प्रयुक्त होता है।
3. **खेल संस्थान एंव विभागों के स्तर पर**-(In sports institute education) शारीरिक शिक्षा एंव खेल में भारत सरकार एंव राज्य सरकारों के खेल विभाग एंव संस्थान हैं। इन संस्थानों में खेल प्रशिक्षण के लिए सभी खेलों में अलग-अलग प्रशिक्षक (कोच)

रखे जाते हैं जो खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के स्टेडियम, विभाग एंव संस्थानों में अपने शैक्षणिक अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षण कार्य करते हैं। इसके अलावा ट्रेनर, कोच, डी.एस.ओत्र, आर.एस.ओ., आदि विभिन्न स्तर पर कार्य करते हैं।

2-प्राइवेट क्षेत्र (In Private Sector)-

1. **कान्वेंट स्कूल स्तर पर**(In convent schools)-शारीरिक शिक्षा शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कान्वेंट स्कूलों में अच्छी सेलरी पर अध्यापन कार्य टी.जी.टी. एंव पी.जी.टी. स्तर पर कर सकते हैं।
2. **उच्च शिक्षण संस्थानों में** (In Higher Institute) - कई प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों में बी.पी.ई., एम.पी.ई., बी.पी.एड., एम. पी.एड.,पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं जहॉ पर यू.जी.सी. नियमानुसार प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा नियुक्त किये जाते हैं।
3. **खेल अकादमी में** (In Sports Academy)- खेल के महत्व को देखते हुये प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न प्रकार की अकादमियों अलग-अलग खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें फिटनेस ट्रेनर एंव डिप्लोमाधारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. **जिम एंव खेल क्लब में** (In Gym and Sports club)-स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूकता खेल के कारण आजकल सामान्य व्यक्ति में विभिन्न जिमों में अपनी शारीरिक दक्षता (Fitness) को बढ़ाने जाते है। शारीरिक शिक्षा प्राप्त विधार्थी या प्रोफेसनल अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुँचाते के लिए फिटनेस ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की जिम, क्लब, होटल आदि में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता (Increasing Need of Physical Education in the modern society)- शारीरिक शिक्षा का एक विशिष्ट रोल है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के वर्तमान व भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा स्वस्थ्य शरीर का निर्माण होता है जिससे मस्तिष्क अपने कार्य भलिभॉति संपादित कर पाता है।

आज के आधुनिक युग में कार्य करने में कम उर्जा की खपत करनी पड़ती है। क्योंकि हमारे अधिकतर कार्य करने में मशीनों का उपयोग अधिकतर होने लगा है। कार्यो को आसानी से करने के लिए नये अविष्कार विज्ञान द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता पर पड़ रहा है। व्यक्ति पूरे दिन में अपने रोजमर्रा के कार्यो मुश्किल से कुछ कैलोरी ऊर्जा की ही खपत कता है, जिसका उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की उन सभी समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है जो उसके द्वारा बतायी गयी होती है। आज के आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व सारांश इस प्रकार से है–

सर्वांगीण विकास (Optimum development)–शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति का सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंव शारीरिक विकास शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है।

शारीरिक विकास (Physical development)–शारीरिक क्रियाएं आवश्यक हैं, जिन्हें आयोजित करके व्यक्ति के जैविक क्षेत्रों (Organic system) का विकास किया जा सके। जिससे व्यक्ति का शरीर कार्यो को आसानी से संपादित कर सके और उसकी क्षमता में वृद्धि हो और व्यक्ति स्वस्थ एंव अधिक कार्यशील हो सके।

मानसिक विकास (Mental development)–शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति मानसिक रूप में विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम हो पाता है। विभिन्न क्रियाओं के द्वारा मानसिक आराम (Relaxation) प्राप्त करता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

सामाजिक विकास (Social development) शारीरिक शिक्षा में विभिन्न खेलों एंव अन्य क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति या खिलाड़ियों को अन्य लोगों के साथ आपसी समझ या वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति अलग–अलग परिस्थितियों में सामाजिक मूल्यों जैसे खेलभावना, सहयोग, ईमानदारी, दोस्ती, दया, आत्मसंयम, भाईचारा, समायोजन आदि को सीखता है।

भावानात्मक विकास (Emotional development)–शारीरिक शिक्षा में भावनाओं को नियंत्रित करने का अवसर मिलता है। खेलों एंव शारीरिक क्रियाओं में व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता

है लेकिन उसे नियंत्रित एंव उचित मात्रा में प्रदर्शित करने का गुर सिखाता है।

मस्तक मांसपेशीय विकास- (Neuro-muscular development)–शारीरिकि क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी मांसपेशियों एंव मस्तिष्क के बीच में सामंजस्य बिठाता सीखता है। मस्तिष्क मांसपेशीय विकास तभी संभव होता है जब कोई व्यक्ति किसी कौशल या क्रिया को बार–बार लम्बे समय तक करता है।

स्वास्थ्य एंव बचाव की आदतें (Health and safety habits)–शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भावानात्मक एंव आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास होता है एवं खेलों के द्वारा चोटों से कैसे बचा जा सके एवं उसके उपचार के बारे में सामान्य स्तर पर सीखता है।

1- **शारीरिक विकास**(Character development)–शारीरिक क्रियाओं में सभी के साथ आपस में सहयोग के साथ खेलने एवं सभी के सुझावों को समर्थन देने एवं लक्ष्य प्राप्ति में भूमिका निभाने आदि गुणों का विकास होता है और यह सभी गुण समाज में उसके व्यवहार से चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं।

2- **सांस्कृतिक विकास**(Cultural development)–शारीरिक शिक्षा में खेल एंव अन्य शारीरिक क्रिया एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। अलग–अलग राज्यों, समुदाय, वर्गो के लोग आपस में किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं एंव साथ–साथ एक दूसरे सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं तथा उनके रहन–सहन, खानपान, भाषा, बोली आदि को समझकर उनके साथ सम्मान का भाव दिखाते हुये समय व्यतीत करते हैं।

3- **नेतृत्व क्षमता**(Leadership quality)–शारीरिक शिक्षा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है और व्यक्ति में आत्म विश्वास, ईमानदारी, वफादारी, बौद्धिकता, सहयोग, समर्पण आदि गुणों का विकास होता है।

4- **लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास**(development of democratic values)–शारीरिक शिक्षा का संगठन एंव प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, जिसमें सभी लोगो को बराबर का अवसर प्राप्त होते हैं। इसकी योजनाओं में सभी को बराबर अवसर दिया जाता है एंव खिलाड़ियों में इन मूल्यों को सिखाने का

प्रयास किया जाता है।

5- **नागरिक गुणों का विकास**(Development of citizenship qualities)–शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों/छात्रों एंव खिलाड़ियों में एक अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास किया जाता है जैसे–नियमों का पालन, खेल भावना, सम्मान की भावना, देश के प्रति जिम्मेदारी का अहसास आदि।

6- **आर्थिक विकास**(Economic development)–शारीरिक शिक्षा आज एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें आर्थिक रूप से समर्थ एंव आत्मनिर्भर बनने के कई अवसर है। विभिन्न खेल एजेन्सी, प्रतियोगिताएँ, रोजगार आदि प्रमुख अवसर हैं, जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं।

7- **राष्ट्रीय एकता की भावना**(National integration)–शारीरिक शिक्षा एंव खेलों के द्वारा हमारे सभी नागरिकों में एकता की भावना का विकास होता है। विभिन्न देशो के साथ खेलते समय हम सभी देशवासी एक होकर अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं।

8- **अर्न्तराष्ट्रीय समझ का विकास** (International understanding)– शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के द्वारा खिलाड़ियों तथा नागरिकों को अलग–अलग देशों मे जाकर एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। और उन देशों के बीच में हमारा आपसी सहयोग बढ़ता है तथा सभी के साथ भाईचारे, दोस्ती, शांति एवं सहयोग को बढाने का अवसर मिलता है।

निष्कर्ष–शारीरिक शिक्षा का बहुआयामी स्वरूप आज के परिदृश्य के लिए स्पष्ट रूप से उपयुक्त हैं। व्यक्ति अपने लक्ष्यों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करके समाज में अपना योगदान दे सकता है। शारीरिक शिक्षा समाज में व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी करती है इसलिए शारीरिक व्यक्ति के सार्वांगिण विकास हेतू अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा समाज में एक उपयुक्त स्वस्थ्य वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। शारीरिक के द्वारा खेल के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जिससें खेल प्रतिभाएं विश्व पटल पर अपना सर्वोच्च प्रर्दशन दिखा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का आन्तरिक भाग माना गया है जिसमें व्यक्तियों का सम्पर्ण

शारीरिक विकास के साथ साथ शैक्षिणिक विकास की संकल्पना भी पूर्ण होती है अत: शारीरिक शिक्षा आज के परिदृश्य के लिए एक रोजगार परक, स्वस्थ्य वातावरण एवं स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. Singh, Dr. Ajmer, Essentials of Physical Education, kalyni Publishers, 2003
2. S. Dheer, M Basu , R. Kamal, Introduction to Health Education. A.P. Publishers, 1989.
3. Gangopandhyay, S.R, Sports Psychology, S.R. Gogopadhyay Publisher's 2002
4. Awals Kamal, History of Physical Education , A.P. Publishers.
5. बधेला हेतसिंह, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण राजस्थानप्रकाशन, 2004
6. असतारे, डॉ एम.एम, शिक्षण तथा शारीरिक शिक्षण पद्धति अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन 1999
7. कंवर, डॉ रमेश चंद, शरीर रचना क्रियाविज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन 2004
8. Atwalo Kamal , Principles of physical education, A.P. Publishers.
9. रंजन, डॉ. राजकुमार, शौकतअली गुलाम मुस्तफा, स्वास्थ्य एवं शरीरिक शिक्षा, राखी प्रकाशन, 2005
10. दशमेरा श्री नन्दलाल, पातंजल योग सूत्र, रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार, 2003
11. गंगवार बी. आर., शारिरीक शिक्षा एवं खेलों का मनोविज्ञान, ए.पी. पब्लिशर्स
12. Sharma Dr. P.D. Yoga, Yogasana and Pranayam for Health , Gala Publishers.
13. डा. लाजवन्ती, शारीरिक शिक्षा, एस.आर. साइन्टिफिक पब्लिकेशन 2013
14. कंवर, डा. आर.सी., आरोग्य शास्त्र एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन, 2004

आत्मनिर्भर भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी शक्ति

• डॉ. जगतसिंह बामनिया

प्रस्तावना- भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति वर्तमान समय में भी दयनीय है। अधिकांश क्षेत्र में महिलाओं का जीवन स्तर एवं उनकी स्थिति निम्न है। भारत यूं तो कई तरह की समस्याओं से जूझता है, 21वीं सदी के इस युग में महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल पाया जो कि वास्तव में उन्हें मिलना चाहिए। इसका एक मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में शिक्षा की कमी है। इनके जीवन स्तर में वृद्धि हेतु विशेषकर महिलाओं में शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा सशक्त माध्यम है, जो मानव का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा आर्थिक उत्थान करता है।

बालिकाओं को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए पहले समाज की सोच को बदलना होगा। शिक्षारूपी दीपक से समाज में फैले अशिक्षा रूपी अंधकार को मिटाना होगा तथा लड़के व लड़की के बीच का भेद मिटाना होगा। सरकार के द्वारा महिला विकास की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित योजनाएँ संचालित की गई। जिनमें जननी सुरक्षा योजना, लाड़ली लक्ष्मी, उषा किरण योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरी बालिका उचित शिक्षा योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ, दीनदयाल रोजगार योजना आदि प्रमुख है। इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के स्वयं सहायता समूह की स्थापना की गई है जो कि महिलाओं के कार्यक्षमता एवं सहभागिता में वृद्धि कर मजबूत बनाती है।

सरकार के द्वारा महिला विकास की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित योजनाएँ संचालित की

• अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.)

गई। इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के स्वयं सहायता समूह की स्थापना की गई है जो कि महिलाओं के कार्यक्षमता एवं सहभागिता में वृद्धि कर मजबूत बनाती है।

आवश्यकता-भारत की विभिन्न जातियों तथा समाजों में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी हुई है। महिलाऐं अपने जीवन में परिवार तथा समाज से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहीं है। आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनों के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करना तथा परिवर्तनों पर चिन्तन के द्वारा मार्ग प्रस्तुत करना ही शोध का प्रमुख उद्देश्य है। केन्द्र तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाऐं संचालित है, जैसे संपूर्ण साक्षरता अभियान, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, अनुपूरक सम्पोषण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिला बाल एवं विकास कार्यक्रम के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक संगठनों जैसे महिला मण्डल युवा क्लब स्वावलंबी समूह आदि संस्थाओं को प्रोत्साहित कर महिलाओं को विकास कि मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। यद्यपि शासन सभी वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सक्रिय है। फिर भी लाभान्वित हो सकने वाली महिलाओं की विकास कार्यक्रमों से जुड़ने के प्रति रूझान कम है महिलाओं के जीवन स्तर में आये बदलाव का विश्लेषण करना है।

पूर्व शोध कार्यो की समीक्षा-अन्सारी, रसीदा अबूहल मुनाफ (2012), "आदिवासी महिलाओं के जीवन का मार्ग संघर्ष" में बताया कि दक्षिणी बस्तर में दंतेवाड़ा में साक्षरता दर 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। महिलाओं में तो 17 प्रतिशत से भी कम है। कुपोषण में मरने वाले इनके बच्चों की संख्या जीवित बच जाने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा है।

गौड़, सुरभि (2018), "महिलाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन" अध्ययन में बताया गया कि सामाजिक लोकतांत्रिकता और राष्ट्र के स्वास्थ्य का निर्धारण महिलाओं की सहभागिता और सशक्तिकरण से होता है। आगे बताया कि बालिकाओं की स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई जो कि सरकार द्वारा 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं' योजना से संभव हुआ है।

कोरगिल, सतनाम (2012), "जनजाति स्वास्थ्य पर वनों, स्व-सहायता समूह जनजाति समुदाय की महिलाओं के स्वास्थ्य को

बेहतर बनाने का एक साधन'' ने अपने अध्ययन में बताया कि सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योजनाएँ प्रारम्भ की है।

रानी, आशु (1997), "महिला विकास कार्यक्रम'' में महिला विकास पर जोर दिया है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए हर पहलु पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है, उनके अनुसार महिला विकास से तात्पर्य केवल महिलाओं पर किये जाने वाले सरकारी व्ययों की राशि में वृद्धि से ही नहीं है। अपितु उसके माध्यम से महिला वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक दृश्य तथा अदृश्य प्रभावों से लिया गया है।

ममता गर्ग (2011), "जनजातीय महिला सशक्तिकरण, अल्फा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली प्रस्तुत पुस्तक में महिला सशक्तिकरण को एक व्यापक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है।

उद्देश्य-

1. महिला विकास में आ रहे परिवर्तनों को देखना एवं विश्लेषण करना।
2. महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

सन् 2010 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जन साधारण के लिए शुरू की गयी। इन्दिरा गांधी जननी सहयोग योजना के अंतर्गत 19 साल या उससे अधिक उम्र की महिला को उसके बच्चों तक कुछ राशि दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य जननी को बच्चे के जन्म के समय सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना तथा साथ ही साथ बच्चे के जन्म के बाद उसकी ठीक तरह से देखभाल प्रदान करना है ताकि एक महिला सुरक्षित रहते हुए बच्चे को जन्म दे सके। उसकी देशभाल कर सके। यह जननी सुरक्षा योजना 53 चुने हुये जिलों में शुरू की गई है। सन् 2011-12 में इससे लाभान्वित लोगों की संख्या 2.05 है तथा 2012-13 में लाभान्वितों की संख्या बढ़कर 3.76 हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की हितग्राही महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की हितग्राही महिलाओं को 1000 रूपये के भुगतान की पात्रता है जिसे अब नए आदेश के तहत शहरी क्षेत्रों में 2000 और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूताओं को 3000 रूपए दिये जाते है। हितग्राहियों को उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए सुविधायुक्त शासकीय एवं अभिप्रमाणित स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसूति कराना आवश्यक है। हितग्राही महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव के दौरान समस्त सेवाएं (औषधि,

सामग्री) संबंधित शासकीय संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

प्रक्रिया-गर्भावस्था का पंजीयन आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में तीन बार प्रसव पूर्व जांच की जाती है। यह जांच ए.एन.एम. द्वारा की जाती है। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रसव पूर्व जांच का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिला अस्पतालों में हितग्राही की सहायतार्थ हेल्प डेस्क स्थापित किए गए है, जिनमें पदस्थ कर्मचारी सुविधा प्राप्त करने में सहायता करते हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात् ग्राम एवं पोषण दिवस में प्रसव पश्चात् जांच तथा बच्चे का टीकाकरण किया जाता है यह सुविधा अस्पताल में भी उपलब्ध है।

पूरक पोषण आहार-6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को हलुवा (प्रीमिक्स) बाल आहार एवं खिचड़ी तथा गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को गेहूं सोया बर्फी (प्रीमिक्स) आटा, बेसन, लड्डू एवं खिचड़ी एम.पी. एग्रो के माध्यम से निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में पूरक पोषण आहार दिया जाने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के परियोजनाओं में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्व सहायता समूह/महिला मण्डल/मातृ सहयोगिनी समिति के द्वारा लोकल फूड माडल के आधार पर सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक-पृथक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक-पृथक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार को समस्त हितग्राहियों को खीर पूड़ी दिये जाने का प्रावधान है। 06 माह से 06 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु तीसरा मील के रूप में चावल सोया का लड्डू, मीठी मठरी, मूंगफली, चना चिक्की दिये जाने का प्रावधान है। उक्त पोषण आहार में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा 500 कैलोरी ऊर्जा होना आवश्यक है। कुपोषित बच्चों को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एवं

800 कैलोरी एवं गर्भवती/धात्री माताओं को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी ऊर्जा मात्रा में पोषण आहार दिया जाता है।

स्वास्थ्य जांच-प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए. एन.एम. तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। स्वास्थ्य जांच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।

संदर्भ सेवाएं- स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड /जिलास्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।

टीकाकरण- प्रति आंगनवाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह के कोई एक दिन टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम. द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण के दौरान हितग्राहियों की स्वास्थ्य जांच भी की जाती है।

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृह भेंट के दौरान महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा संतुलित भोजन के बारे में सलाह दी जाती है।

स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा-आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है, जिससे वह प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे- जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है। बच्चों के खेलने हेतु खिलौनों का क्रय करने के लिये प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष 500 रूपये की राशि का प्रावधान है। जिसके द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रतिवर्ष प्री-स्कूल किट उपलब्ध कराया जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं- विभाग द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं पृथक से नहीं दी जाती है बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलबध कराया जाता

है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती है। विभाग द्वारा प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष एक मेडिसिन किट उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें सामान्य बीमारियों के प्राथमिक उपचार के लिए दवाईयां दी जाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उक्त दवाईयों का उपयोग ए.एन.एम. की मदद एवं मार्गदर्शन में किया जाता है। मेडिसिन किट्स के लिए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये अधिकतम राशि रूपये 1000 प्रतिवर्ष तथा उप आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये राशि रू. 500 प्रतिवर्ष का प्रावधान है।

महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति-वर्तमान में महिलाओं के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना है। शिक्षा के क्षेत्र पिछड़ी महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पिछड़ती चली जाती है। चाहे सामाजिक क्षेत्र ही क्यों न हो, आर्थिक स्वास्थ्य, राजनीतिक या पारिवारिक क्षेत्र ही क्यों न हो। शक्ति व सत्ता उनके हाथ से फिसलती चली जाती है। महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च दशा की क्षमताओं के आंकड़े तो बहुत नगन्य है ही माध्यमिक शिक्षा के स्तरो पर भी उनकी स्थिति कमजोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 82.44 प्रतिशत तथा महिला साक्षतरता 65.48 प्रतिशत है जो भारतीय महिला आबादी के अनुपात में बहुत कम है। भारत में 272950.015 लोग आज भी निरक्षर है जिनमें 96568351 पुरुष तथा 176381664 महिलाएं साक्षरता से वंचित है। कुल भारतीय महिलाओं में 34.54 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर है। महिला पुरुषों की साक्षरता का अन्तर आज भी 16.68 प्रतिशत है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति-महिलाओं की आर्थिक स्थिति को आजकल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि महिलाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षत: आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती है। वे समस्त पारिवारिक दायित्वों का बोझ स्वयं उठाकर पुरुषों को केवल आर्थिक क्रियाएं संपादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती है। अथवा स्वयं भी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ-साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होती है। आज भागीदारी की दृष्टि से

कृषि, पशु व्यवसाय, हैण्डलूम आदि में महिलाओं के अनुपात में काफी हद तक वृद्धि हुई है। यही नहीं पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से संबंधित नये आयाम उभर कर सामने आए है। अब वे इलेक्ट्रानिक्स, टेली कम्युनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन संगठित क्षेत्र के उद्योग, विधि संबंधी, चिकित्सा संबंधी, प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों में भाग ले रही है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से भली–भांति स्पष्ट किया जा सकता है–

रोजगार- महिलाओं के लिए 'कार्य' शब्द का कोई अर्थ परिभाषा व सीमा निर्धारित नहीं है। यद्यपि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में 70–80 प्रतिशत तक योगदान देती है, तथापित क्रियाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अनुमानों के आधार पर महिलाओं के अभुगतानित श्रम की नकद वार्षिक कीमत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर होती है जो विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पादक का एक–तिहाई भाग है। भारत में कुल वर्किंग कोर्स का 20 से 30 प्रतिशत महिलाओं का है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सर्वेक्षण अनुसार कुल महिला कार्यबल का 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 8.1 प्रतिशत कृषि व्यवसाय में कार्यरत महिलाएं है।

निष्कर्ष- संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सामाजिक विकास को अग्रसर करने के महिलाओं की दशा के उन्नयन को प्राथमिकता देना अपरिहार्य है। विकास के सहयोगी और उसके उपभोक्ता दोनों रुपों में सक्षम बनाने के लिये उनकी क्षमताओं के विकास के अवसर की आवश्यकता है। दशायें अन्योन्याश्रित होती हैं तथा चक्र के रूप में काम करती है। इस दुष्चक्र को भेदने के लिये प्रयास कहाँ से किया जायें इस पर मतभेद हो सकता है तथापि कार्य में सहभागिता शिक्षा और समान स्वामित्व कुछ आरम्भिक मुद्दे है। भारत विशेषकर मध्यप्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में चक्रव्यूह तोड़ने के लिए शिक्षा का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर जीवन के सभी आयामों को प्रभावित करता है।इसके बावजूद शासन द्वारा संचालित महिला विकास के लिए योजनाओ की प्राप्ति में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस कि जा रही है। क्योंकि महिलाओं को योजनाओं के लाभ लेने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पडता है। समय पर लाभ न मिलना, बार–बार कार्यालयों के

चक्कर लगाना जिसके कारण महिलाओं को योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में देरी हो जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. उषा किरण योजना (2008), संचालनालय महिला एवं बाल विकास, भोपाल
2. आहुजा, राम (2011), सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
3. वर्मा, सवालिया बिहारी (2011), 'ग्रामीण महिलाओं की स्थिति', यूनिवर्सिटीपब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. तिवारी, सुधीर (2015), मातृ-शिशु देखभाल की दिशा में नए प्रयास, नई दिल्ली
5. शुक्ला, पश्यंती (2016), भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, नई दिल्ली
6. पटेल, सपना (2019), महिला कल्याण योजनाएँ (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में), नई दिल्ली
7. जिला लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, धार www.mpgramodhyog.gov.in

भारत में सौर ऊर्जा की बदलती तस्वीर

• मंजरी अवस्थी

प्रस्तावना- सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तित करती है। यही धरती सभी प्रकार के जीवन (पेड़ पौधे और जीव जन्तु) का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है किन्तु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की उष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनित्र चलाकर सौर ऊर्जा सबसे अच्छी ऊर्जा है। यह भविष्य में उपयोग करने वाली ऊर्जा है।

सौर ऊर्जा की विशेषतायें- सूर्य एक दिव्य शक्ति स्त्रोत शान्त व पर्यावरण सुहृद प्रकृति के कारण नवीकरणीय सौर ऊर्जा को लोगो ने अपनी संस्कृति व जीवन यापन के तरीके के समरूप पाया है। विज्ञान व संस्कृति के एकीकरण तथा संस्कृति व प्रौद्योगिकी के उपकरणों के प्रयोग द्वारा सौर ऊर्जा भविष्य के लिये अक्षय ऊर्जा का स्त्रोत साबित होने वाली है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई खास विशेषतायें हैं जो इस स्त्रोत का आकर्षण बनाती है। इनमें इसका अत्यधिक विस्तारित होना, अप्रदूषणकारी होना व अक्षुण होना प्रमुख है। संपूर्ण भारतीय भू भाग 5000 लाख करोड़ किलोमीटर घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है जो कि विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत के कई गुना अधिक है। साफ धूप वाले (बिना धुंध व बादल के) दिनों की प्रति दिन का औसत और ऊर्जा सम्पात 4 से 7 किलो वाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक होता है। देश में लगभग 250 से 300 दिन ऐसे होते है जब सूर्य की रोशनी पूरे दिन भर उपलब्ध रहती है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके क्या क्या बनाया जा सकता है –

• सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

सौर पाचक (सोलर कुकर)- सौर उष्मा द्वारा खाना पकाने से विभिन्न प्रकार के परम्परागत ईधनों की बचत होती है। बाक्स पाचक, वाष्पपाचक, उष्मा भंडारक प्रकार के एवं भोजन पाचक, सामुदायिक पाचक आदि प्रकार के सौर पाचक विकसित किये जा चुके हैं। जो बरसात या धुंध के दिनों में बिजली से खाना पकाने हेतु प्रयोग किये जा सकते हैं। अब तक लगभग 4,60,000 सौर पाचक बिक्री किये जा चुके है।

सोलर कुकर बनाना: आवश्यक सामगी-

- एल्यूमीनियम पेपर 1 नग
- काला पेपर 1 नग
- कार्ड बोर्ड पेपर 1
- पारदर्शी कांच 1 नग

सोलर कुकर बनाने की विधि - कार्ड बोर्ड पेपर को काटें और 8 सेंटीमीटर चौडाई 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर का एक बाक्स बनायें। कार्ड बोर्ड पेपर की लंबाई 2 सेंटीमीटर चौडाई 1.5 सेंटीमीटर काटें और इसे काले कागज पर चिपका दें। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौडाई 2.5 सेंटीमीटर कार्ड बोर्ड पेपर को काटें और एल्यूमीनियम पेपर को इसमें संलग्न करें। बाक्स के शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर चौडाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिये। लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौडाई 2.5 सेंटीमीटर का कार्ड बोर्ड ढक्कन बनाकर एल्यूमीनियम पेपर से लगायें और सभी सामग्री की जांच करके धूप में रखकर उपयोग करें।

सोलर कुकर ओवन- सोलर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो खाना बनाने या गर्म करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नही करते हैं। इस प्रकार इन्हें संचालित करना भी बहुत सस्ता होता है। ओवन में खाना पकाने का ऐसा बर्तन इस्तेमाल करते है जिस पर सूर्य के प्रकाश या गर्मी को केंद्रित करने के लिये परावर्तक सतह जैसे कांच या धातु की चादर का उपयोग होता है। बर्तन को सूरज की रोशनी से गर्मी अवशोषित करने के लिये काले या गहरे गैर रिपलेक्टिव पेंट से रंगा जाता है। जिस कारण बर्तन अवशोषित गर्मी के माध्यम से खाने को पका सके। भारत के अधिकतम स्थानों पर सूर्य का प्रकाश अपने उच्च स्तर सौर विकिरण के साथ 275 दिनों के लिये

प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से सौर कुकर को इन दिनों में सूर्योदय के एक घंटे बाद से सूर्यास्त से एक घंटे पहले तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। विभिन्न कारक जैसे ईंधन की कमी बायोमास के जलने से स्वास्थ्य पर प्रभाव और जलवायु परिवर्तन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर का उपयोग करने का एक मजबूत मामला अवश्य बनाते हैं।

सावधानियां- सोलर कुकर को उठाते समय ध्यान रखें कि कांच और आइना फूटने न पाये। सोलर कुकर ओवन के अंदर पानी गिरने न पाये। सोलर कुकर ओवन के अंदर वजनदार वस्तु नहीं रखना चाहिये।

सोलर मोबाइल चार्जर- कम लागत में तैयार होने वाला यह मोबाइल चार्जर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लाभप्रद एवं उपयोगी है। ग्रामीण अंचल में आज भी कई जगह विद्युत लाईन का विस्तार नहीं हो पाया है। किन्तु तकनीकि युग में लोगों के लिये मोबाइल बहुत ही जरूरी हो चुका मोबाइल के उपयोग के साथ साथ मोबाइल की चार्जिंग की भी उतनी ही आवश्यकता पडती है। जिसके लिये कम लागत में तैयार होने वाला मोबाइल चार्जर बनाया गया है। इसकी लागत 500-600 रूपये के अंदर ही तैयार हो जाता है और अन्य चार्जर की अपेक्षा अधिक दिनों तक उपयोग में भी आता है।

सोलर मोबाइल चार्जर हेतु आवश्यक साधन सामग्री - सोल्डर गन - 1 नग, 12 वॉट का डीसी सोलर प्लेट - 1 नग, चार्जिग पिन - 1 नग, 07805 ट्रांजेस्टर - 1नग, 5145 - 1N 4007. 1 नग, साकेट - 1नग, सोल्डर पेस्ट - 1नग

विधि- सोलर मोबाइल चार्जर बनाने हेतु दिये गये सर्किट को देखकर ही डायग्राम बनाये। सोलर प्लेट से निकले हुये लाल एवं काला वायर के बीच 0780 ट्राजेस्टर को सोल्डर किया जाता है। और सर्किट के 2 पाइंट में सोल्डर किया जाता है। चार्जर पिन को साकेट में लगाकर सोलर प्लेट को धूप में रख कर मोबाइल को चार्ज कर सकते है। यह सर्किट बहुत ही सरल है व कम लागत में तैयार होने वाला मोबाइल चार्जर है।

सोलर लालटेन- सोलर लालटेन एक हल्का ढोया जा सकने वाला फोटो वोल्टायिक तंत्र है। इसके अन्तर्गत लालटेन रख रखाव सहित बेटरी इलेक्ट्रिानिक लेम्प युक्त माड्यूल तथा एक 10 वाट का फोटो वोल्टायिक माड्यूल आता है। यह घर के अंदर व घर के बाहर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक प्रकाश दे सकने में सक्षम है। किरोसिन आधारित लालटेन, ढिबरी,

पेट्रोमेक्स आदि का एक आदर्श विकल्प है। इनकी तरह न तो इससे धुआं निकलता है न आग लगने का खतरा रहता है और न स्वास्थ्य का अब तक लगभग 250,000 के ऊपर लालटेन देश के ग्रामीण इलाकों में कार्यरत है।

सौर जल पम्प- फोटो वोल्टायिक प्रणाली द्वारा पीने व सिंचाई के लिये कुंओ से जल का पंप किया जाना भारत के लिये एक अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। सामान्य जल पम्प प्रणाली में 900 वॉट का फोटो वोल्टायिक माड्यूल, एक मोटर युक्त पम्प एवं अन्य उपकरण आवश्यक होते है। अब तक 4500 से ऊपर सौर जल पम्प संस्थापित किये जा चुके है।

सौर ऊर्जा कृषि पंप के फायदे-

- बाहरी ऊर्जा की खपत नही
- परिचालन लागत कम होना सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप मुक्त उपलब्ध सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करता है।
- आसान और विश्वसनीय
- पर्यावरण के अनुकूल
- आर्थिक रूप से लाभकारी
- पर्याप्त और स्थानांतरण आसान

सौर ऊर्जा स्वच्छ अक्षय ऊर्जा है इसका अधिकतम दोहन देश के ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता बनाने का काम करेगा और इसका लाभ देश की प्रगति में अनेक क्षेत्र में उपलब्ध होगा। यदि बात करें तो सोलर पैनल की कीमत लगभग 20,000 रूपये से लेकर 36,000 रूपय तक होती है। Techonology, Quantity, Quality, Board और उसके सर्विस पर निर्भर करता है। सौर ऊर्जा प्लेट पर वाट की कीमत 18 रूपये से लेकर 36 रूपये तक मार्किट में उपलब्ध है।

10 वाट	750	75 रूपये
20 वाट	1300	65 रूपये
40 वाट	1900	47 रूपये
50 वाट	2400	48 रूपये
75 वाट	4000	53 रूपये
124 वाट	6000	48 रूपये
180 वाट	7500	41 रूपये
330 वाट	4500	34 रूपये
375 वाट	1300	34 रूपये
400 वाट	1400	35 रूपये

इनवर्टर - सोलर पैनल के बाद दूसरा मुख्य भाग है जो सोलर पेनल के द्वारा उत्पन्न हुयी बिजली को दिव्य विद्युत धारा या डीसी करंट में परिवर्तित करता है।

भारत में मुख्य सोलर कंपनियॉ-लुमिनस, पतंजली सोलर, माइक्रोटेक, गौतम सोलर, लूम सोलर, शक्ति सोलर, टाटा पावर सोलर, लूबी सोलर

सोलर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम - सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का पहला स्थान है। यहॉ सर्वाधिक (1264 मेगावाट) सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है।इसके बाद क्रमशगुजरात 1024 मेगावाट, मध्यप्रदेश 679, तमिलनाडु 419, आंध्र प्रदेश357.34, छत्तीसगढ़ 73.18मेगावाट का उत्पादन किया है।

सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ-

- सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाला संसाधन है। और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है।
- सौर ऊर्जा वातावरण के लिये लाभकारी है जब इसे उपयोग किया जाता है तो यह वातावरण में कार्बन डायक्साइड और अन्य हानि कारक गैसे नहीं छोड़ती जिससे वातावरण प्रदूषित नही होता है।
- सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों के लिये प्रयोग की जाती है। इनमें उष्णता भोजन पकाने और विद्युत उत्पादन करने के काम शामिल है।
- सौर उर्जा प्राप्त करने के लिये विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नही होती है। एक सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के पैनलों (सौर ऊर्जा की प्लेट) को आसानी से घरों पर कहीं भी रखा जा सकता है। इसलिये ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों की तुलता में यह काफी सस्ता है।

सौर ऊर्जा की बढ़ावा देने में सरकार की पहल-

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का उद्देश्य फासिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ बिजल सृजन एवं अन्य उपयोग के लिये सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य दीर्घकालीन नीति बड़े स्तर पर परिनियोजन लक्ष्यों महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल

अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है।

- प्रयास योजना–भारत सरकार ने देश की फोटो वेल्टिक क्षमाता को बढ़ाने के लिये सोलर पैनल निर्माण उद्योग को 2010 अरब रूपये की सरकारी सहायता देने की योजना बनाई है।
- PRAYAS– Pradhan Mantri Yojna for Avgmenting SolarManvfacturing नामक इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा का 40 प्रतिशत हरित ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है।
- अन्तराष्ट्रीय सौर गठबंधन–यह गठबंधन सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन (Treaty based international governmental organization) है। ISA की स्थापना की पहल भारत ने की थी और पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु संमेलन के दौरान COP 21 से पृथक भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त शुरूआत की थी।कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 122 सौर संसाधन संपन्न देशों के इस गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा में है।ISA में जुड़ी 67 देश गठबंधन में शामिल हो गये है। और फ्रेम वर्क समझोतों की पुष्टि की है।

सौर ऊर्जा की राह में चुनोतियां-

- सौर ऊर्जा प्लेटों को स्थापित करने के लिये जमीन की उपलब्धता की कमी
- कुशल मानव संसाधनों का आभाव
- चीन से आयातित फोटोवोल्टइक तेलों की कीमत कम एवं उसकी गुणवत्ता भी काम चलाउ है
- भारत में बने सोलर सेल (फोटोवोल्टइक तेल) भी अन्य आयातित सोलर सेलों के मुकाबले कम दक्ष है
- अन्य उपकरणों के दाम भी बहुत अधिक है
- विभिन्न नीतियों और नियम बनाने के बावजूद सोलर पेनल लगाने के खर्च में कमी नही
- गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिये गुणवत्ता पूर्ण पैनल बनाने की नीतियों का अभाव।

निष्कर्ष- भारत में विगत एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी आधुनिक सेवाओं तक पहुंच विद्युतीकरण की दर तेज हो और GDP में वृद्धि होने की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ती है। और माना जाता है कि इसे पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के बजाय सौर ऊर्जा के जरिये आसानी से पूरा किया जा सकता है। देश में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिये न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है। बल्कि ऊर्जा के नये स्रोत तलाशना भी जरूरी है। ऐसे में सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच भी बढती खाई को बहुत हद तक पार सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. कृषक भारती, मासिक पत्रिका 2021
2. कृषक जगत, मासिक पत्रिका 2021
3. कृषक समाचार, पत्र 2021
4. कृषि द'ान, मासिक पत्रिका 2021
5. कृषि जागरण पत्रिका, मासिक पत्रिका 2021

महिला उद्यमियों हेतु अवसर और चुनौतियाँ

• डॉ. रचना कोरी

स्वतंत्र भारत में महिलाओं को समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से पुरूषों के समकक्ष समानता का दर्जा प्राप्त है। देश में बालिका शिक्षा की ओर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें अनेक योजनाओं के अंतर्गत अवसर प्रदान कर रहीं हैं। स्त्री शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ महिला आर्थिक सशक्तिकरण की अवधारणा क्रमशः समर्थन प्राप्त कर रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए अनेक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार योजनाओं को केन्द्र स्तर पर एवं राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है। महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को भी कारोबार शुरू करने को प्रेरित करती हैं। इससे महिलाओं के लिए और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे अंततः श्रमशक्ति में स्त्री-पुरूष असमानता कम करने में मदद मिलती है।

विश्व की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, इसलिए उन्हें समाज का बेहतर आधार माना जाता है। पारंपरिक भारतीय समाज में पुरूषों के काम और महिलाओं के काम के बीच एक अंतर किया गया था। विशेष रूप से परिवार की जिम्मेदारी वाली महिलाओं का इसने बदलते समय और सामाजिक विचारधाराओं के साथ आर्थिक गतिविधियों के पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पर अंकुश लगाया, महिलाओं की स्थितियों में भारी बदलाव आया है, वे अब पुरूषों के साथ एक समान स्थिति का आनंद ले रहीं हैं और अर्थव्यवस्था के विकास में समान रूप से योगदान दे रही हैं।

महिलाओं में समानता की भावना विकसित करने एवं चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में

• सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी,स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट(म.प्र.)

महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। भारत में सबसे अधिक महिलाएं कृषि और खनन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में काम करती हैं। कृषि के साथ अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है महिला श्रम मानवीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन होता है और आर्थिक संरचना की निर्माण प्रक्रिया प्रस्फुटित होती है। ऐतिहासिक विकास के साथ-साथ महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति और जीवन शैली में सुधार हुआ है। भारत सरकार ने महिला उद्यमिता को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि महिलाओं के अधिपत्य एवं नियंत्रण वाली कोई भी संख्या जिसका कम से कम पूंजी का 51 प्रतिशत लाभ महिला को प्राप्त हो तथा संस्था द्वारा उपलब्ध रोजगार का 51 प्रतिशत महिलाओं को प्राप्त हो तो इस संस्था को महिला उद्यमिता से संबंधित माना जा सकता है।

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने बताया कि 2015 के एक अध्ययन के अनुसार भारत की जी डी पी 2025 तक 16 से 60 प्रतिशत के बीच बढ़ सकती है, अगर महिलाएँ अर्थ व्यवस्था में पुरूषों के साथ समान रूप से भाग लेती हैं इसका मतलब यह है कि अर्थ व्यवस्था में 2-9 ट्रिलियन(खरब) डॉलर जोड़ा जाए।इससे हमें पता चलता है कि आर्थिक विकास के लिए महिला उद्यमी आवश्यक है।

आज के युग में उद्यमिता खासतौर पर मझोले और छोटे उद्यमों से संबंधित गतिविधियां अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या लगभग सभी देशों में बढ़ रही हैं, महिलाओं की उद्यमिता संबंधी क्षमता में भी उनकी भूमिका और समाज में स्थिति के अनुरूप लगातार बदलाव आ रहा है। व्यावसायिक उपक्रमों में महिलाओं के उभरकर सामने आने का कारण है- कौशल, ज्ञान और कारोबार में समायोजन करने की उनकी क्षमता योजना आयोग और भारत सरकार महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की आवश्यकता को समझते हैं। महिला उद्यमिता को आज ग्रामीण और शहरी गरीबी की समस्या के समाधान की कारगर रणनीति के रूप में देखा जाने लगा है। देश में आर्थिक विकास और स्थिरता में सुधार के पीछे महिला उद्यमियो की संख्या में बढ़ोत्तरी होना एक प्रमुख कारण है। महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को भी कारोबार शुरू करने को

प्रेरित करती है। इससे महिलाओं के लिए और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। जिससे अंततः श्रमशक्ति में स्त्री-पुरूष असमानता कम करने में मदद मिलती है। महिला उद्यमिता से परिवार और समाज में आर्थिक खुशहाली लाने गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण में जबरदस्त मदद मिलती है और इस तरह यह सहसृब्दि विकास लक्ष्यों(एम डी जी एस) को प्राप्त करने में भी सहायक है।

वैश्विक महिला उद्यमिता अनुसंधान के अनुसार केवल आर्थिक उद्यम स्थापित करने के बजाय सामाजिक उद्यम बनाने की सम्भावना पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में 117 गुना अधिक होती है इसी प्रकार उनमें अर्थ केन्द्रित उद्यमों की अपेक्षा पर्यावरण केन्द्रित उद्यम चलाने की संभावना 123 गुना अधिक होती है। हाल के समय में भारत में महिला उद्यमियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दिखी है और वे रोल मॉडलों के रूप में उभरकर सामने आई हैं।

आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए उन्हें स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना अत्यावश्यक है क्योंकि स्वरोजगार के माध्यम से जहाँ एक ओर महिला-बेरोजगारी कम होगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और महिलाओं का आर्थिक जीवन-स्तर भी उन्नतशील होगा। आजादी के बाद देश में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक दर्जे में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। केन्द्र सरकार में पृथक रूप से महिला एवं बाल विकास की स्थापना की गई हैं तथा यह विभाग अपनी नोडल क्षमतानुसार सकारात्मक कार्यवाही कर महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं महिला रोजगार विषयक अनेक कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1988 को मध्यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना की गई है। यह महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रसर करते हुए उनकी आर्थिक विकास में सहभागिता सुनिश्चित कराने वाली प्रमुख संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन फर्म्स एण्ड सोसाइटीज के अन्तर्गत हुआ है।

महिला उद्यमियों हेतु विभिन्न योजनाएँ-

ऋण तथा अनुदान सम्बन्धी योजनाएँ - ऋण तथा अनुदान सम्बन्धी प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

1-ग्राम्या योजना - यह योजना मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लघु व्यवसाय में संलग्न ऐसी ग्रामीण महिलाओं के लिए संचालित है, जो अपना व्यवसाय दैनिक या साप्तहिक हाट बाजारों में करना चाहती हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को कार्यशील पूँजी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें प्रति हितग्राही 500 रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है और समय पर ऋण का भुगतान करने पर 1,500 रुपये के पुनः ऋण की पात्रता प्रदान की जाती है। इसमें विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा, निराश्रित एवं अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

2-फोटो कॉपियर योजना - इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को फोटो कॉपियर व्यवसाय आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में 1 या 2 महिलाओं को बैंक द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना राशि का 10: या 10,000 रूपये मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया जाता है तथा उसे कलेक्टर, ब्लॉक या तहसील परिसर में व्यवसाय हेतु स्थान भी दिलाया जाता है।

3-मार्जिन मनी योजना - इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को कुल परियोजना लागत के 20: या 20,000 रुपये तक के मार्जिन मनी की योजना भी प्रस्तावित की गई थी।

प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाएँ- प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमुख योजनाएँ निम्नांकित हैं-

1-समर्थ योजना - इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संस्थान के प्रवेश शुल्क एवं शिक्षा व्ययों का भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

2-टंकण योजना - इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को निगम के द्वारा आई.टी.आई. अथवा अन्य टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थान से 6 माह का टंकण प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इस प्रशिक्षण का सम्पूर्ण व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है। इसमें 50: स्थान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाता है।

3-उद्यमिता जागरूकता शिविर– महिलाओं में उद्यमिता विकास के प्रति जागरूकता पैदा करने, स्वरोजगार के प्रति रूचि पैदा करने और उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा तीन दिवसीय उद्यमिता जागरण कार्यक्रम तथा एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जाता है।

विपणन सम्बन्धी योजनाएँ- निगम द्वारा विपणन सम्बन्धी निम्नांकित योजनाएँ संचालित की जाती हैं–

1-ममत्व मेला- प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा ममत्व मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में महिला स्व–सहायता समूहों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाता है। इन मेलों के माध्यम से महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को सीधे शहरों में बेचने का अवसर मिलता है और पूरा मूल्य प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में ममत्व मेला का आयोजन वर्ष 1990 से आरम्भ हुआ है। पहला ममत्व मेला मई, 1990 में भोपाल में आयोजित हुआ था। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर,सागर एवं रीवा में ममत्व मेलों का आयोजन किया गया।

2-हाट बाजार योजना - महिला स्व–सहायता समूहों एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा हाट–बाजार योजना का संचालन किया जाता है। यह योजना जिला–स्तर पर संचालित है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विपणन में सहायता प्रदान करना है।

विकासात्मक योजनाएँ - इसके अन्तर्गत स्वशक्ति परियोजना संचालित है।

1-स्वशक्ति परियोजना - यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के स्वावलम्बी स्व–सहायता समूह गठित किए जाते हैं और उनमें उद्यमीय क्षमता का विकास करते हुए रोजगार प्रदान कर विकास

प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। इस योजना का संचालन महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। इनकी वित्त पोषक संस्था विश्व बैंक है।

महिला उद्यमियों की समस्याएँ–वैज्ञानिक प्रगति एवं अनेक सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद आज भी महिलाओं को समाज में अबला, निरीह एवं असक्षम प्राणी के रूप में देखा जाता है। आदिकाल से उद्यमिता पर पुरूषों का वर्चस्व रहा है, इस कारण इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को अवाँछनीय व अनुपयुक्त समझा जाता है। महिला उद्यमियों के मार्ग में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं–

1-पुरूषों से प्रतिस्पर्द्धा - अधिकांश उद्यमी पुरूष होते हैं तथा वे महिलाओं के प्रति उदासीनतापूर्ण अथवा उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। एक ही क्षेत्र के उद्यम में महिलाओं को पुरूष उद्यमियों से सहयोग मिलने की अपेक्षा प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है।

2-आत्मविश्वास का अभाव - पुरूषप्रधान क्रियाकलापों, मीटिंग, सेमिनारों एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में महिलाएँ पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं जुटा पातीं, क्योंकि प्रायः उनके सकारात्मक एवं उपयोगी सुझावों एवे प्रस्तावों को भी पुरूषों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है।

3-दूसरा दर्जा - भारतीय समाज में महिलाओं को आरम्भ से ही दूसरी श्रेणी का दर्जा देकर पुरूषों से कम अधिकार दिये गये हैं। पुरूषों से बहस करना, उनका प्रतिकार करना, उनसे प्रतिस्पर्द्धा करना आदि कार्यो को स्त्रियोचित प्रकृति के प्रतिकूल माना जाता है, इसलिए वे पुरूषों से बराबरी से बहस या तर्क–वितर्क नहीं कर सकती है।

4-पारिवारिक दायित्व- महिला उद्यमियों को व्यावसायिक दायित्वों के अलावा पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह भी करना होता है। पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह की अनिवार्यता के कारण महिला उद्यमी अपने उद्योग या व्यवसाय पर पूरा ध्यान एवं समय नहीं दे पाती हैं। इस प्रकार महिला उद्यमियों पर दोहरा कार्यभार होता है।

5-रुढ़िवादी विचारधारा- अनेक प्रकार के उद्यमों एवं सेवा व्यवसायों में स्त्रियों के प्रवेश को अवाँछनीय तथा वर्जित माना जाता है। पुरुष प्रधान कार्यो या सेवाओं में जाने से महिलाएँ हिचकिचाती हैं।

6-सामाजिक बंधन- यद्यपि पर्दा प्रथा, रात्रिकालीन कार्य तथा व्यवसाय विशेष में विशेष प्रकार की वेशभूषा का आज उतना महत्व नहीं रह गया है। तथापि रात्रि में देर से आना,पुरुषों के संग उन्मुक्त भ्रमण एवं भाषण को आज भी समाज में शंका से देखा जाता है, जबकि उद्यम के क्षेत्र में ये सब बातें आवश्यक हैं।

7-कटाक्ष-व्यंग्य का सामना- अनके बार उद्यमी महिलाओं को समकक्ष पुरुषों के कटाक्षों एवं व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। इससे उनका मानसिक उत्पीड़न होता है। ऐसी परिस्थितियाँ प्रायः तब अधिक उत्पन्न होती हैं, जब महिला उद्यमी बाजार में अपना उत्पाद बेचने जाती हैं।

8-गतिशीलता का अभाव - महिला उद्यमियों में गतिशीलता का अभाव होता है। महिलाएँ एक उद्यम को छोड़कर दूसरे उद्यम को अपनाने की जोखिम नहीं उठा पाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने में भी कतराती हैं।

9-स्वयं निर्णय क्षमता का अभाव - सामान्यतया महिला उद्यमी अपने व्यवसाय या उद्योग संचालन के लिए अपने पति, पुत्र, भाई, रिश्तेदार या पुरुष अधिकारियों की सलाह पर निर्भर रहती हैं। उनमें स्वंय निर्णय क्षमता का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में शीघ्र निर्णय नहीं लिये जा सकते हैं।

10- सरकारी औपचारिकताओं की पूर्ति में परेशानियाँ- वर्तमान समय में उद्योग की स्थापना एवं संचालन में कई सरकारी औपचारिकताओं की पूर्ति करना पड़ता है। सरकारी कार्यालयों के पुरुष अधिकारी एवं कर्मचारी महिला उद्यमियों को बराबर सहयोग नहीं करते हैं। महिलाएँ रिश्वत देने में प्रवीण नहीं होतीं, इसलिए शासकीय कार्यालयों में उनके प्रस्ताव अटके पड़े रहते हैं।

इस प्रकार नारी–पुरुष समानता के इस युग में महिला उद्यमियों को कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि पुरुषों की तुलना में उन्हें आगे आने से रोकती हैं।

निष्कर्ष- उद्यमिता आज आर्थिक चुनौतियों से निपटने की दुनिया भर में सबसे चर्चित अवधारणा है जिसे जोर–शोर से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दुनिया की कुल आबादी का काफी बड़ा हिस्सा महिलाओं का है और वे किसी भी राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान की भरपूर क्षमता रखती हैं। इसलिए कार्यक्रमों और नीतियों में ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए जिससे न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा मिले बल्कि युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों पर अमल भी सुनिश्चित किया जा सके। मीडिया में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पूरी क्षमता है। मीडिया, महिलाओं और पुरुषों में नवाचार और उद्यमिता को तमाम मंचों से उजागर कर लोगों को उद्यमिता की संस्कृति को अपनाने को प्रेरित कर सकता है। विकासशील देशों को तो महिला उद्यमिता जनशक्ति बड़ी शीघ्रता और आसानी से उपलब्ध होने वाली श्रमशक्ति है जिसकी मदद से कारोबारी उपक्रमों की अनजान क्षमताओं का फायदा उठाया जा सकता है। आमतौर पर आज दुनिया भर में कारोबारी जगत ने यह बात महसूस की है और वह व्यावसायिक और बाजार की चुनौतियों से निबटने के आखिरी उपाय के तौर पर उद्यमिता के सृजन के लिए युद्ध-स्तर पर कार्य कर रहा है। महिलाएं आज कारोबार चलाने और देश की उन्नति में योगदान को उत्सुक हैं। उनकी भूमिका की पहचान की जा रही है और महिला उद्यमिता को उभारना आज समय की मांग है। महिला उद्यमियों को सही तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। जिनसे वे वैश्विक बाजारों के बदलते रुझानों और चुनौतियों से निबट सकें और स्थानीय आर्थिक क्षेत्र में टिके रहने तथा आगे बढ़ने में भी पूरी तरह सक्षम हों।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. International Journal of Reveiews and research in Social ScienceVolume no 06 years-2018 page 333-338 ISSN Online-2454-2687.
2. https://WWW.franchise india.com
3. कुरुक्षेत्र, फरवरी 2020 पृष्ठ क्र. 48-49
4. https://WWW.sidbi.in.article
5. शर्मा डॉ. राजीव, शर्मा डॉ. राजेन्द्र उद्यमिता विकास, देवी अहिल्या प्रकाशन 26, सुभाष चौक इन्दौर पृष्ठ क्र.127

6. शुक्ल प्रो. त्रिभुवननाथ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग बानगंगा, भोपाल 2008, पृष्ठ क्र.162-164
7. अग्रवाल डॉ. बी.के.,पाठक डॉ. अभय, उद्यमिता विकास,रामप्रसाद एण्ड संस अस्पताल रोड, आगरा, पृष्ठ क्र. 306-309
8. जैन डॉ. सुरेशचन्द्र, उद्यमिता विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2021 पृष्ठ क्र. 217-218

21 वीं सदी में भारत में महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली बाधाएं एवं भविष्य में सम्भावनाएं- एक अध्ययन

• डॉ. नीलम श्रीवास्तव

मानवपूंजी की पोषिका, परिवार की पालनहार, शक्तिस्वरूपा, शक्तिपुंज नारी आज घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर नित नए क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। आज बदले हुए परिदृश्य में महिलाएं शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, सामाजिक कार्यों और अन्य गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं में बढ़ती जागरूकता ही उद्यमशीलता का नया क्षेत्र खोल रही हैं और वे अपने पोषित पेशे को प्राप्त करने में समर्थ है, जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता एवं आत्म समर्थन भी है। आज महिलाएं स्वत: कौशल सम्पन्न हैं, पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षिक उपलब्धियों के साथ ही साथ वह आर्थिक क्षेत्र में भी कामयाब हो रही है। वह अपने स्तर से घर से भी अपने कौशलों का उपयोग करके धनोपार्जन करके परिवार का संचालन कर रही है। महिलाएं अपने आस-पास की महिलाओं को संगठित कर नये रोजगार का सृजन कर रही हैं। महिला उद्यमियों के समुचित प्रशिक्षण और प्रशासन द्वारा परिवारों का आर्थिक उन्नयन हो रहा है। आज महिलाएं अपने अस्तित्व, भूमिका और अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक है। महिला उद्यमी किसी भी विकसित देश में, विशेष रूप से आर्थिक विकास में अपने योगदान के संदर्भ में प्रमुख खिलाड़ी हैं। आज छोटे-छोटे व्यवसायों में भी महिलाओं की भूमिका अहम है।

आज वैश्वीकरण और उदारीकरण के आधुनिक युग में हमारे देश ने एक क्रान्तिकारी पद्धति को आमंत्रित किया जिसमें महिलाओं की आबादी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जीवन की लागत में लगातार वृद्धि के कारण महिलाओं को अपने परिवारों के समर्थन के रूप में खड़े

• सहायक प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, डी.बी.एस. कालेज, कानपुर

होने के लिए आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होना आवश्यक हो गया है। महिलाओं ने न केवन नौकरी क्षेत्रों में खुद को साबित किया है बल्कि उद्यमिता की निषिद्ध भूमि पर आक्रमण करने का साहसिक कदम भी उठाया है। आज महिलाएं सच्चे उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं। संसाधनों का प्रबन्धन कर रही हैं और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिये अनेकानेक चुनौतियों को स्वीकार कर समाज में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित कर रही हैं।

महिला उद्यमी कौन- महिला उद्यमी को उन महिलाओं या महिलाओं के समूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो व्यवसाय या उद्यम को शुरू, व्यवस्थित और संचालित करती हैं। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे आर्थिक गतिविधि के नवाचार अनुकरण या उसे अपनाने के लिये महिला उद्यमी कहलाए।

महिला उद्यमी बनने के कारण- अब प्रश्न यह उठता है कि महिलाएं उद्यमी क्यों बनना चाती हैं। निम्नांकित कुछ आवश्यकताएं है जिसकी पूर्ति के लिये महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं-

1. समाज में अपनी पहचान स्थापित करने के लिये
2. आर्थिक रूप में स्वतंत्र होने के लिये
3. अपना उद्यम या कोई उद्योग स्थापित करने के लिये
4. जोखिम उठाने की क्षमता विकसित करने के लिये
5. खुद में आत्मविश्वास लाने के लिये
6. प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये
7. अपनी स्वतंत्रता एवं गतिशीलता को सुरक्षित करने के लिये
8. समाज में समानता की स्थिति का दावा करने के लिये

उपरोक्त आवश्यकताओं के आधार पर आज भी वैज्ञानिक प्रगति एवं अनेक सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद महिलाओं को समाज में अबला, निरीह और असक्षम प्राणी के रूप में देखा जाता रहा है। आदिकाल से ही उद्यमिता पर पुरूषों का ही वर्चस्व रहा है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को अवांछनीय व अनुपयुक्त समझा जाता रहा है। कैसी विडम्बना है कि आज 21वीं सदी में भी भारत में महिला उद्यमियों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां एवं बाधाएं हैं या यूं कहें कि महिलाओं के

समक्ष ये बाधाएं चुनौतियों के रूप में अपना विकराल रूप धारण किये हुए हैं।महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाले बाधांए निम्न है–

1. **पुरूष प्रधान समाज-** हमारा भारतीय संविधान स्त्री एवं पुरूष दोनों के मध्य समानता की बात करता है लेकिन सामान्यत: महिला को आज भी अबला माना जाता है उन्हें पुरूष के बराबर नहीं माना जाता। यह महिलाओं के व्यवसाय में उनके प्रवेश की मुख्य बाधा है।
2. **वित्तीय बाधा-** वित्त हर उद्योग का आधार स्तम्भ है। एक व्यवसाय लॉग टर्म और शार्ट टर्म दोनों पर निर्भर होता है लेकिन सामान्यत: महिला उद्यमियों के नाम पर सम्पत्ति नहीं होती बैंक भी महिलाओं को कम क्रेडिट योग्य मानते हैं और महिला उद्यमियों को इस विश्वास पर हतोत्साहित करते हैं कि वे अपना व्यवसाय कभी भी छोड़ सकती हैं। फंड इत्यादि की मात्रा भी महिलाओं के लिये नगण्य है जिससे महिला उद्यमी विफल हो रही हैं। ये महिला उद्यमियों के लिये एक बहुत बड़ी बाधा है।
3. **कड़ी प्रतिस्पर्धा-** समाज की यह भावना कि महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद गुणवत्ता में निम्न हैं, उसके प्रचार व प्रसार के लिये उनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है यह एक महिलाओं के समक्ष बहुत बड़ी बाधा है या यूं कहें कि समाज की यह भावना ही पुरूष से कड़ी प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। फलत: महिला उद्यमियों को संगठित उद्योगों और पुरूष उद्यमियों के उत्पादों के लिये कड़ी प्रतिस्पर्धा करती होती है।
4. **बिचौलियों पर अधिक निर्भरता-** कहीं न कहीं बिचौलियों पर निर्भर रहने के कारण महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद को बाजार में उतारने और उसे लोकप्रिय बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
5. **कच्चे माल की कमी-** कच्चे माल की कमी भी महिला उद्यमियों के समक्ष महत्वपूर्ण बाधा है।
6. **उत्पादन की लागत-** उत्पादन की उच्च लागत महिला

उद्यमियों की एक कठिन समस्या है। यद्यपि कि सरकार का अनुदान और सब्सिडी इन्हें इस कठिनाई से निकालने में मद्द करती है लेकिन ये शुरूआती चरणों में ही उपलब्ध है।

7. **सीमित गतिशीलता-** भारत में महिलाओं की उद्योग के प्रति गतिशीलता विभिन्न कारणों से सीमित है। महिला उद्यमियों के प्रति अधिकारियों का व्यवहार भी उन्हें उद्यम छोड़ने पर मजबूर करता है।
8. **पारिवारिक सम्बन्ध-** पारिवारिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक सम्बन्ध भी महिला उद्यमियों के लिये एक बाधा है। परिवारों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि और पतियों के शैक्षिक स्तर का महिला उद्यमिता के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है और कहीं न कहीं ये सम्बन्ध ही महिला उद्यमियों के विकास में बाधा है।
9. **शिक्षा का अभाव-** अशिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है जिससे आज भी महिलाएं व्यापार, तकनीक, उद्योग, बाजार आदि से अनभिज्ञ हैं। कहा जा सकता है कि शिक्षा का अभावा महिलाओं के लिये व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने और उसके संचालन में बाधा उत्पन्न करता है।
10. **सामाजिक दृष्टिकोण-** एक कठोर सामाजिक दृष्टिकोण महिला एवं पुरूष में व्यापक मतभेद रखता है यद्यपि कि हमारा संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है। स्पष्ट है कि एक संकुचित और कठोर दृष्टिकोण महिलाओं को सफल और स्वतंत्र उद्यमी बनने से रोकता है जोकि महिलाओं के समक्ष एक बहुत बड़ी बाधा है।

इसके अतिरिक्त भी महिला उद्यमियों के सामने कुछ बाधाएं हैं जैसे- उधारी वसूलने की समस्या, असफलता का डर, दौड़ भाग करने में असमर्थता, श्रमिको व कर्मचारी के साथ मिलकर कार्य न कर पाना इत्यादि।उपरोक्त अध्ययन से यह बात सामने आयी कि जहाँ एक ओर उद्यम शुरू करने के बाद महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक जीवन में

काफी सुधार आया है वहीं दूसरी तरफ उनको अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हुए निम्न उपचारात्मक उपाय किये जा सकते हैं-

उपचारात्मक उपाय-

1. अलग वित्त प्रभाग (महिला उद्यमियों के लिये)
2. कच्चे माल की आपूर्ति
3. सहकारी महिला विपणन समितियां
4. समुचित शिक्षा व्यवस्था
5. सामाजिक परिवर्तन
6. उचित प्रशिक्षण
7. पारिवारिक सहयोग
8. समाज की सहभागिता
9. सरकार से सहायता
10. समानता का अधिकार

निष्कर्ष- आज 21वीं सदी के भारत में उन्नति के पथ पर अग्रसर महिला उद्यमियों को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। वे स्वयं और दूसरों के लिये रोजगार का सृजन करती हैं साथ ही प्रबंधन, संगठन और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के लिये समाज को समाधान भी प्रदान करती हैं। महिलाओं की उद्यमशीलता परिवारों और समुदायों के आर्थिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण में अपना अभूतपूर्व योदान दे सकती हैं। इस प्रकार वे सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

उद्यमिता की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेने वाली महिलाओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों से काफी बढ़ी है वैसे इनकी संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण भारत में महिला उद्यमिता को अभी काफी लम्बा रास्ता तय करना है। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक महिलाओं को नया उद्यम प्रारम्भ करने एवं संचालन कर उससे संबंधी उनकी क्षमताओं को आश्वस्त करने की है। 21वीं शताब्दी में महिलाओं ने न सिर्फ धनोपार्जन करने में अपनी भूमिका दर्ज कराई है बल्कि भावी संगठनों का निर्माण करते हुए अभिकर्ताओं

का स्वरूप भी परिवर्तित किया है।

आज महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने उद्योग जगत में अनेक बाधाओं को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हुए महत्वपूर्व सफलता हासिल की है। सामाजिक नैतिकता की बाध्यताओं को पार करते हुए घर तथा कार्यस्थल पर स्वयं को सफल उद्यमी एवं कार्यकारी व्यावसायिकों के रूप में साबित किया है। भारतीय महिला उद्यमी वर्ग ने नए उद्यमों को प्रारम्भ करने एवं उनका सफलतापूर्वक संचालन करने में बेहतर कार्य निष्पादन के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

अन्त में ये कहा जा सकता है कि नारी की महान शक्ति स्रोत को पहचान कर ही भारत ने इसे सदा नमन किया है। आज भारत सरकार और विभिन्न विकास संगठन अपनी योजनाओं और प्रोत्साहनपरक उपायों के माध्यम से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। नि:संदेह वर्तमान सरकार ने भारतीय महिला उद्यमियों को आर्थिक, शैक्षिक तथा भावात्मक रूप से स्थिर और उन्नत बनाने के लिये अपना अथक प्रयास किया है। महिला उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिये सरकार के प्रयास निम्न है–

1. महिला उद्यमिता मंच
2. महिलाओं हेतु मुद्रा योजना
3. महिला सशक्तिकरण और विकास के लिये योजना
4. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
5. व्यापार सम्बन्धी उद्यमिता सहायता और विकास
6. महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन
7. स्टार्ट अप इंडिया

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यालय (2006) महिला व बालिकाओं के विकास कार्यक्रम, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म.प्र.शासन, भोपाल 2006
2. अंसारी, एम. ए. (2010) महिला व मानवाधिकार, जयपुर प्रकाशन, जयपुर।
3. Verma, Sudhir. (1997) Women's Struggle for Politcal Space.

Rawat Publications, Jaipur. P. 2

4. डॉ. रानी, आंशु (1999) महिला विकास कार्यक्रम, ईनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ सं. 19
5. भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय के लिये वित्त सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की रिपोर्ट, 2014
6. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2018, महिला एवं आर्थिक सशक्तिकरण
7. भारत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19
8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2016, असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं और उनके विशेषाधिकारों का अध्ययन
9. पी आई बी, एम एस एम ई योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने पर प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 04 फरवरी, 2019
10. विश्व बैंक समूह, ग्लोबल फाइन्डेक्स डेटाबेस 2017, वित्तीय समावेशन और फिटनेस क्रांति का मापन
11. एमएमएमई जनगणना 2016 छठी आर्थिक जनगणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्राप्त
12. विश्व बैंक 2018, महिला श्रम बल भागीदारी दर

महिला उद्यमियों हेतु अवसर एवं चुनौतियाँ

• पूजा तिवारी

महिला उद्यमिता को किसी भी किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है। महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन करती है। वर्तमान में हमारे देश में महिलाओं द्वारा कई उद्यम चलाए जा रहे हैं और इनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं की यह कारोबारी भागीदारी देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है, साथ हो महिलाएं स्वयं आगे बढ़ते हुए दूसरी महिलाओं को भी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में मददगार बन रही है। महिला उद्यमी देश के मानव संसाधन का अहम हिस्सा है, इसके बावजूद भी काराबारी परिवेश में आज भी महिला नेतृत्व वाले संस्थानों के प्रति लोगों में असहजता तथा अविश्वास का माहौल देखने को मिलता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से मात्र चौदह प्रतिशत महिलाओं द्वारा संचालित है, इनमें से अधिकांश उद्यम छोटे स्तर के और स्व-वित्त पोषित है।

प्रस्तावना- भारत में श्रमशक्ति का एक तिहाई से कुछ अधिक हिस्सा महिलाओं का है जो जीडीपी को बढ़ाने कोई रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इतिहास पर नजर डाले तो हमारे देश के महानगरों में ही नहीं बल्कि गांव-कस्बों में भी महिलाओं द्वारा पापड़, अचार, बड़ी आदि बना कर बेचने का चलन बहुत पुराने समय से चला आ रहा हैं। पर यह भी कड़वा सच है कि अधिकांश महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है कि वे नवाचार या उद्यमिता का रास्ता नहीं चुन पाती है। क्षमता तथा योग्यता के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाती है । कौशल एवं नवाचार की अपनी सोच को व्यवसाय के तौर पर स्थापित नहीं कर पाती है।

• सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

शोध का उद्देश्य-

- महिला उद्यमियों की संख्या पता करना।
- महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियों को जानना।
- महिला उद्यमियों की सामाजिक,आर्थिक स्थिति का ज्ञान करना।

अध्ययन क्षेत्र- प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र छिन्दवाड़ा जिला रखा गया है।

उत्तरदाताओं का चयन एवं शोध प्रविधि- शोध पत्र के अध्ययन हेतु छिन्दवाड़ा में 100 महिला उत्तरदाताओं का चयन निर्देशन पद्धति से किया गया है।

प्राथमिक सामग्री संकलन- उत्तरदाताओं के उत्तर संकलन हेत साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अवलोकन विधि एवं अनौपचारिक वार्तालाप का प्रयोग किया गया हैं।

द्वितीयक सामग्री – इस हेतू विभिन्न पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र तथा पत्रिकाए एव इंटरनेट द्वारा भी सूचना स्त्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं।

तालिका 01

महिला उद्यमी के विभिन्न व्यवसाय

व्यापार, कार्यसंबंधी जानकारी

क्र.	व्यवसाय का नाम	महिला उद्यमी की संख्या	स्वयं का व्यवसाय	साक्षेदारी	कुल योग	प्रतिशत
1.	ब्यूटी पार्लर	34	34	निरंक	34	34
2.	बुटिक	32	30	02	32	32
3.	टिफिन व्यवसाय	15	15	निरंक	15	15
4.	चाय की दुकान	02	02	निरंक	02	02
5.	किराना दुकान	03	03	निरंक	03	03
6.	कपड़ा व्यवसाय	05	03	02	05	05
7.	चूड़ी/मनिहारी व्यवसाय	04	04	निरंक	04	04
8.	टोकरी/चटाई/झाडू /कूलर की खस/कुर्सी बुनाई	03	03	निरंक	03	03
9.	बेकरी व्यवसाय	02	01	01	02	02
	योग-	100	95	05	100	100

तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि शोध अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक उद्यमी महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम करना पसंद करती है जो कि 34 प्रतिशत है इसके बाद 32 प्रतिशत महिला उद्यमी को बुटिक चलाना अच्छा लगता है जबकि 15 प्रतिशत महिलाएं घर से ही टिफिन

तैयार करके सप्लाई करती है,चाय की दुकान 2 प्रतिशत,किराना दुकान 03 प्रतिशत, कपड़ा व्यवसाय 05 प्रतिशत,चूड़ी मनिहारी व्यवसाय में 4 प्रतिशत महिलाएं संलग्न है जबकि टोकरी,चटाई आदि बुनने एवं बेचने में 3 प्रतिशत,जबकि बेकरी व्यवसाय में 2 प्रतिशत महिला उद्यमी कार्यरत है तथा अधिकांश महिलाए स्वयं का व्यवसाय करना पसंद करती है तथा साक्षेदारी में व्यवसाय करने को घाटे का सौदा कहने से नहीं चूकती है। उपरोक्त में से छोटे व्यवसाय वाली महिलाए बहुत कठिनाई से बातचीत करने तैयार हो पायी तथा वो स्वयं को महिला उद्यमी कहलाने में भी झिझक रही थी।

तालिका 02

महिला उद्यमियों के शिक्षा संबंधी जानकारी

क्र.	निरक्षर	प्राथमिक/माध्यमिक	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
संख्या	07	02	25	50	16	100

तालिका 03

महिला उद्यमियों की समस्या से संबंधित जानकारी

क्र.	समस्या का विवरण	संख्या		कुल
		हाँ	नहीं	
1.	आत्मविश्वास की कमी	85	15	100
2.	कम जोखिम लेने की क्षमता	80	20	100
3.	पारिवारिक समस्या	90	10	100
4.	पुरूष प्रधान समाज	98	02	100
5.	समाजिक दृष्टिकोण	95	05	100
6.	लिंग भेद	98	02	100
7.	अनुभव की कमी	75	25	100
8.	प्रशिक्षण का अभाव	90	10	100
9.	संचार साधनों एवं तकनीक ज्ञान की कमी	75	25	100
10.	अपर्याप्त वित्तीय संसाधन	95	05	100
11.	सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव	90	10	100

तालिका क्रमांक 03 से स्पष्ट है कि महिला उद्यमियों को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है जिसमें पुरूष प्रधानता,लिंग भेद,सामाजिक दृष्टिकोण अपर्याप्त वित्तीय साधन, सरकारी योजना की जानकारी का होना,आत्मविश्वास की कमी, जोखिम लेने की कम क्षमता,अनुभव की कमी तथा संचार एवं तकनीक ज्ञान का अभाव आदि

कुछ मुख्य समस्या है, जिस पर महिला उत्तरदाताओं ने अपने विचार व्यक्त किये जिससे स्पष्ट हुआ कि महिला उद्यमियों को कदम-कदम पर लिंग भेद का सामना करना पड़ता है,पारिवारिक सामंजस्य की समस्या भी होती है एवं सामाजिक भेदभाव, उपेक्षा, तिरस्कार का सामना भी करना पड़ता हैं।

भारतीय समाज में महिला उद्यमियों को अवसर देने के लिए सामाजिक,पारिवारिक और आर्थिक मोर्चा पर बदलाव की दरकार है, मानसिक सोच बदलने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण सन 2019-20 के अनुसार इस वर्ष की शुरूआत तक देश में 27 हजार चौरासी अधिकृत नये स्टार्टअप कंपनियां में महिला निदेशक वाली कंपनियों का हिस्सा मात्र 43 प्रतिशत ही था। पूर्व वर्ष में हमारा देश महिला उद्यमी सूचकांक में भी कुल 57 देशों में 52 वें स्थान पर रहा। वर्तमान स्थिति और ज्यादा विचारणीय हो जाती है क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी "स्टार्टअप इंडिया" योजना भी महिला उद्यमी संख्या बढ़ाने में नाकाम रही। इसका आशय यह है कि केवल सरकार के सोचने एवं योजना बनाने से उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की संलग्नता नहीं बढ़ सकती,इसके लिए,सामाजिक सोच,पारिवारिक सहयोग, समानता के अवसर,सामाजिक सुरक्षा, गैर सरकारी संघटन एवं स्वयं महिलाएं को भी आगे आना होगा।

निष्कर्ष- अंत में यह कहा जा सकता है कि भारतीय कार्यबल में प्रत्यक्ष श्रमशक्ति में चालीस प्रतिशत और अप्रत्यक्ष श्रमशक्ति में नब्बे प्रतिशत योगदान महिलाओं का ही है, आज ऐसे विकास मॉडल की दरकार है जो अधिक से अधिक महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करें, यकीनन नीतिगत बदलाव एवं तकनीक का सहयोग लेकर कारोबार की दुनिया में महिला-पुरूष का अंतर पाटा जा सकता है। भारत में महिला उद्यमियों के समक्ष कई चुनौतियां है,जिनका सामना सभी को मिल कर करना होगा ताकि महिलाए उद्यमिता के क्षेत्र में मिलने वाले सुनहरे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे सके एवं आत्मनिर्भर भारत का सपना को साकार कर सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. डॉ. श्रीमती बी बरूआ, महिला उद्यमियों हेतु अवसर एवं चुनौतियां, कुरूक्षेत्र फरवरी 2020, पृ.क्र.48-51
2. मोनिका शर्मा, राजनीतिः महिला उद्यमियों की चुनौतियाँ, जनसत्ता दिनांक 27 फरवरी 2020
3. डॉ.राजीव कुमार, सामयिक : महिला उद्यमियों की चुनौतियाँ, सहारा समय लाइव दिनांक 06 मार्च 2020
4. जयश्री सेनगुप्ता, महिला दिवस : भारतीय महिलाओं के लिए चुनौतियाँ, ओ. आर.एफ. दिनांक 08 मार्च 2020

महिला उद्यमियों हेतु अवसर और चुनौतियाँ

• सिद्धार्थ मिश्र

दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है और महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करके दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्रान्ति लाई जा सकती है। सन् 1974 से 1978 में 'अतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2001 के 'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष' में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेतु महिला विकास की अनेक योजनाएं जारी की गयी। महिलाओं के स्वामित्व वाले सबसे अधिक उद्यम भारत के दक्षिणी राज्यों-तमिलनाडु (13. 5प्रतिशत), केरल (11.35 प्रतिशत) और आंध्रप्रदेश (10.58 प्रतिशत) में है। महिला उद्यमियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय अपनाएं जा सकते है, जैसे-अलगवित्त प्रभाग, कच्चे माल की आपूर्ति, सहकारी महिला विपणन समितियां, प्रशिक्षण आदि। पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकतर महिला कारोबारी पारम्परिक उद्यमों, जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प जैम-जैली और अचार बनाने, व्यूटीपार्लर व बेकरी चलाने में लगी है। आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि महिलाएं पारम्परिक क्षेत्रों से आगे बढ़े और अपने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और कौशल के आधार पर अवसरों की तलाश कर सकें। महिलाओं के अन्दर उद्यमिता की ऐसी विशेषताएं और कौशल विकसित किये जाने चाहिए, जिनमें वे वैश्विक बाजारों के बदलते रूझानों और चुनौतियों से निबट सके और स्थानीय आर्थिक क्षेत्र में टिके रहने तथा आगे बढ़ने मे भी पूरी तरह सक्षम हो।

ऐसे समय जब विविधता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और महिलाओं को अज्ञात बाधाओं से निबटकर उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित

• सह

किया जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें 'उद्यमी' बनाकर और अधिक संख्या में श्रमशक्ति में भागीदार बनाया जा सकता है। दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है और महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करके दुनिया की अर्थ व्यवस्था में क्रांति लायी जा सकती है। इससे न सिर्फ विकास की रफ्तार तेज होगी, बल्कि जिम्मेदारियां भी साझा हो जाएंगी और समस्याओं के और अधिक वैकल्पिक समाधान उपलब्ध होगे। विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों को, इस बात का अहसास हो चला है कि किसी देश को अधिक दृष्टि से प्रभावशाली राष्ट्र बनाने के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना अपरिहार्य है। इसलिए उद्यमितापरक संस्कृति के विकास के लिए मंच तथा नेटवर्क तैयार करना दुनिया भर में प्रमुख मुद्दा बन गया है।[1]

भारतीय समाज में नारी शक्ति स्वरूपा है, शक्तिपुंज है। यद्यपि पुरूषों को शक्तिशाली मानने वाले उसके 'तन बल' को महत्व देते है, लेकिन स्त्री में 'तन बल' की अपेक्षा मन बल शक्तिशाली होता है। वह पुरूष के समान शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती वरन् शक्ति को अपने अंदर समेट कर उसका सदुपयोग करती है।

मानव पूंजी की पोषिका, परिवार की पालनहार, नारी आज चहारदीवारी से बाहर निकल कर नित नए क्षेत्रों में कामयाबी के झण्डे गाड़ रही है।महिलाएं स्वतः कौशल संपन्न होती है। पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षिक के साथ ही वह आर्थिक क्षेत्र में भी कामयाब हो रही है। वह अपने स्तर पर घर से भी अपने कौशलों का उपयोग करके धनोपार्जन करके परिवार चला सकती है। महिलाएं अपने आस-पास की महिलाओं को संगठित कर, नए रोजगार का सृजन कर सकती है। महिला उद्यमियों के समुचित प्रशिक्षण और प्रशासन द्वारा परिवारों का आर्थिक उन्नयन हो सकता है।[2]

सन् 1974 से 1978 में 'अंतराष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया गया। सन् 1991 में महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में महिला उद्यमियों का प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देने का कार्य तेजी से बढ़ा। देश की पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2001 के 'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष' में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेतु महिला विकास की अनेक योजनाएं

जारी की गयी। वर्तमान सरकार द्वारा विशिष्ट महिला उद्यमी योजनाओं के कारण भारतीय सामाजिक संरचना में महिला उद्यमियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन होने के साथ ही, निरंतर विकास हो रहा है।

अगर हम छठी आर्थिक जनगणना पर नजर डाले तो पता चलता है कि 13.76 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले है यानी देश में कुल 5.85 करोड़ कारोबारों में से करीब 80.5 लाख महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले है। विश्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, जिनमें दुनिया भर के देशों के तुलनात्मक आंकड़ें उपलब्ध है, 10.7 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऐसे है जिनके स्वामित्वों में महिलाओं की भी भागीदारी है। महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के राज्य-स्तरीय वितरण को देखने से पता चलता है कि देश में ऐसे उद्यमों के वितरण में अंतर है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल के लिहाज से अलग-अलग राज्यों में स्थिति भिन्न है। महिलाओं के स्वामित्व वाले सबसे अधिक उद्यम भारत के दक्षिणी राज्यों-तमिलनाडु (13.5 प्रतिशत), केरल (11.35 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (10.58 प्रतिशत) मे है। महिलाओं के एकल स्वामित्व वाले उद्यमों की दृष्टि से दस प्रमुख राज्यों में से छह पूर्वोत्तर भारत से है। महिला उद्यमियों के मार्ग में आने वाली प्रमुख कठिनाईयां इस प्रकार है-

1. **पुरूषों से प्रतिस्पर्धा-** अधिकांश उद्यमी पुरूष होते है तथा वे महिलाओं के प्रति उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण रखते है। एक ही क्षेत्र के उद्यम में महिलाओं को पुरूष उद्यमियों के सहयोग मिलने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
2. **आत्मविश्वास का अभाव-** पुरूष प्रधान क्रियाकलापों, मीटिंग, सेमिनारों एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में महिलाएं पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं जुटा पाती, क्योंकि प्रायः उनके सकारात्मक एवं उपयोगी सुझावों एवं प्रस्तावों को भी पुरूषों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है।
3. **पारिवारिक दायित्व-** महिला उद्यमियों को व्यावसायिक

दायित्वों के अलावा पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह भी करना होता है। पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह की अनिवार्यता के कारण महिला उद्यमी अपने उद्योग या व्यवसाय पर पूरा ध्यान एवं समय नहीं दे पाती। इस प्रकार महिला उद्यमियों पर दोहरा कार्य भार होता है।[3]

महिला उद्यमियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय अपनाए जा सकते है।

1. **अलग वित्त प्रभाग-** महिला उद्यमियों को आसान और तैयार वित्त प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा अलग-अलग वित्त विभाग खोले जा सकते है। इन प्रभागों के माध्यम से वे महिला उद्यमियों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान कर सकते है।
2. **कच्चे माल की आपूर्ति-** नियंत्रित और दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति में महिला उद्यमियों को अन्य उद्यमियों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हो सके तो स्थानीय अधिकारियों की सरकार महिला उद्यमियों को कच्चे माल की आपूर्ति पर कर में छूट दे।
3. **सहकारी महिला विपणन समितियां-** उत्पादों का विपणन महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वे सहकारी समितियां शुरू कर सकते है। ये समितियां महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को एकत्र कर सकती है और बिचौलियों को खत्म कर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेच सकती है।
4. **प्रशिक्षण-** उद्यमिता की आधुनिक अवधारणा यह है कि 'उद्यमी पैदा नहीं होते बल्कि बनते है।' उचित प्रशिक्षण देकर हम किसी व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर उसे उद्यमी बना सकते है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थान

महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग-अलग डिवीजन स्थापित कर सकते है। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि महिलाएं प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सके।[4]

यह देखा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकतर महिला कारोबारी पारम्परिक उद्यमों, जैसे-हथकरघा और हस्तशिल्प, जैम जैली, अचार बनाने, व्यूटी पार्लर व बेकरी चलाने में लगी है। हमारी महिला कारोबारियों को अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है ताकि वे परम्परागत रूप से महिलाओं के लिए माने जाने वाले क्षेत्रों से आगे सोच सकें और अवरोधों को दूर कर अन्य कारोबारी विचारों पर भी ध्यान दे सके। आज इस बात की बड़ी जरूरत हैं कि महिलाएं पारम्परिक क्षेत्रों से आगे बढ़े और अपने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और कौशल के आधार पर अवसरों की तलाश कर सके।

शिक्षा के क्षेत्र में भी हाल के वर्षों में कई सुधार हुए है जो देश को ज्ञान के केन्द्र के रूप में बदलने की क्षमता रखते है। शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र में, प्री-नर्सरी शिक्षा से 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा, पूरक शिक्षा, पाठ्येत्तर गतिविधियां, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कॉलेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापकों और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए एक मंच बनाने तथा स्कूलों आदि के लिए आंतरिक प्रशासन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ईआरपी व सीआरएम सुविधा का विकास आदि शामिल है।

भारत में एक अन्य जबर्दस्त कारोबार और अरबों रूपयों का उद्योग है पर्यटन। भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का दुनिया में 40वां स्थान है (विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी दुनिया की 136 अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित टूरिज्म एण्ड ट्रेवल काम्पीटिटिव इडेक्स टीटीसीआई-2017 के आंकड़ों के अनुसार)। पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक रूझानों में साहसिक पर्यटन, ईवेंट प्लानिंग, टैक्सी और बस शटल कारोबार, फेरी व्यवसाय, बोट क्रूज व्यवसाय, तीर्थयात्रा कराने वाली कंपनियाँ, ऑनलाइन होटल बुकिंग बेवसाइट चलाना, यात्रा और पर्यटन से संबंधित विषयों पर ब्लॉग लिखना आदि गतिविधियां शामिल है।[5]

सरकार की विभिन्न पहलों के बावजूद महिला कारोबारी की

बैंकों ऋणों तक पहुंच बहुत सीमित होती है और ज्यादातर उद्यमी अपने कारोबार के लिए खुद वित्तीय संसाधन जुटाती है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न नीतियां बाजार तक पहुंच की समस्या के समाधान में विफल रहती है, जो महिला कारोबारियों के उद्यमों के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

उद्यमिता आज आर्थिक चुनौतियों से निबटने की दुनिया भर में सबसे चर्चित अवधारणा है जिसे जोर-शोर से प्रोत्साहित किया जा जाता है। दुनिया की कुल आबादी का काफी बड़ा हिस्सा महिलाओं का है और वे किसी भी राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान की भरपूर क्षमता रखती है। इसलिए कार्यक्रमों और नीतियों में ऐसे बदलाव किये जाने चाहिए जिससे न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा मिले बल्कि युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों पर अमल भी सुनिश्चित किया जा सके। उद्यमिता को उभारना आज समय की मांग है। महिला उद्यमियों को सही तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। उनमें उद्यमिता की ऐसी विशे'ताएं और कौशल विकसित किये जाने चाहिए जिनमें वे वैश्विक बाजारों के बदलते रूझानों और चुनौतियों से निबट सके और स्थानीय आर्थिक क्षेत्र में टिके रहने तथा आगे बढ़ने में भी पूरी तरह सक्षम हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुरूक्षेत्र, फरवरी 2020, पृ.-48
2. www.hindivivek/.org/17456
3. www.kailasheducaiton.com/2020/08/mahila-Udyami-samasya.
4. www.informise.com/problems-faced-by-women-entrepreneurs-in-hindi.
5. कुरूक्षेत्र, फरवरी 2020, पृ. 50

पर्यावरणीय चुनौतियां एवं जनजागृति

• डॉ. उषा सिंह

पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि + आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है निकटवर्ती और आवरण का अर्थ आच्छादित एवं घेरे हुए से है अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण है। पर्यावरण जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जैविक विकास, संवर्द्धन और रक्षा के लिए पर्यावरण ऐसी दशा का निर्माण करता है जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते है तथा पर्यावरणीय घटकों का जीवों पर प्रभाव पड़ता है। संतुलित पर्यावरण में जीवों का स्वस्थ विकास होता है। असंतुलित पर्यावरण के घटक स्वस्थ जीवन को बाधित करते है।

ओडम के अनुसार "वातावरण के अथवा जीवमण्डल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों के उपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। अन्य शब्दों में हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कह सकते है। प्रदूषण, वायु, जल और मृदा के रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जो हमारे लिये हानिकारक है।

भारतीय पर्यावरण एक्ट 1986 के अनुसार कोई ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जो इतनी सांद्रता में उपस्थित हो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाए प्रदूषक कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब प्रदूषक तत्व सीमा से अधिक सांद्रता में पर्यावरण के तत्वों में सम्मिलित होकर उसकी गुणवत्ता को समाप्त करने लगते है, तब पर्यावरण लाभकारी होने के बजाय हानिकारक होने लगता हैं।

पर्यावरण प्रदूषण 21वीं सदी में न केवल भारत देश अपितु सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक गंभीर समस्या है जिससे समूचा विश्व समुदाय जूझ

• प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.)

रहा है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण पृथ्वी, आकाश, वायु और जल प्रदूषित हो गया है। इसकी रोकथाम अतिशीघ्र आवश्यक है। सन् 1980 में विश्व 2000 नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि, यदि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित नही किया गया तो सन 2030 तक तेजाबी वर्षा, भुखमरी और प्रदूषण का ऐसा ताण्डव होगा जिससे सम्पूर्ण मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

भारत ऐसा पहला देश है जहाँ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को मूलभूत-कर्तव्यों में शामिल किया गया है और इस प्रकार इसे सरकार और नागरिकों का संवैधानिक दायित्व बनाया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क में कहा गया है कि "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार और वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा।"

संविधान के अनुच्छेद 51-क में कहा गया है कि "भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे और सभी सजीव प्राणियों के प्रति करूणा रखे।"

तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास, शहरीकरण और औद्योगीकरण में अनियंत्रित वृद्धि, जंगलों का नष्ट होना, प्राकृतिक स्त्रोतों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ के कारण वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण, मृदा-प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसी अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई है। अत: विभिन्न प्रकार की प्रदूषण समस्याओं को नियंत्रित करने के ठोस व सबल प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रदूषकों के स्त्रोत मुख्यत: दो प्रकार के होते है-पहला है प्राकृतिक जैसे ज्वालामुखी की राख व गैसें, आँधी तूफान के समय उड़ती धूल, भूकम्प से उत्पन्न दशाओं में पृथ्वी की सतह पर लाए गए तत्व, बाढ़ का जल, जंगलों में लगी आग का धुँआ और कोहरा आदि और दूसरा स्त्रोत है मानव जनित स्त्रोत जैसे औद्योगिक स्त्रोत, घरों में ईंधन के जलाने से, वाहनों से निकलने वाले धुँआ से, कृषि कार्यों से, उद्योगों व घरों से निकलने वाले कचरों से, रेडियोधर्मी कारकों से, वनो की अंधाधुन्ध कटाई से, जनसंख्या स्त्रोत आदि से। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में औद्योगिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन और उर्जा स्त्रोत भण्डार ही मानव

जीवन के प्रमुख आधार है जो आज तेजी से समाप्त होते जा रहे है। पर्यावरण प्रदूषण आधुनिक सभ्यता और औद्योगिक यांत्रिकी की दी हुई एक गंभीर समस्या है।

स्वच्छ पर्यावरण को हमारे देश में प्राचीन काल से ही वरीयता दी गई है। हमारा भारतीय दर्शन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जितना समृद्ध है। उतना किसी अन्य देश का नहीं और इतना व्यावहारिक है कि यह हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं व प्रथाओं के मूल में पर्यावरण सुरक्षा को महत्व दिया गया है जैसे सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पतियों, सरिताओं और सरोवरों को पूज्यनीय माना जाता है।

पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का अंग है, परंतु मानव में अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की प्रवृत्ति ने पर्यावरण संकट और बढ़ा दिया है। कोविड-19 की महामारी ने हमें साफ हवा की कीमत समझा दी है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सभी देश प्रयासरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से सम्मेलन हो रहे है। आपसी समझौते किये जा रहे है। संयुक्त अरब अमीरात में अबुधाबी के पास जीरों कार्बन सिटी "मसदर" बनाई गई है जो पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण अनुकूल शहर है।

पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु सरकारें और पर्यावरणविद् तो प्रयास कर ही रहे है, किन्तु इसमें जनजागरूकता एवं आम नागरिकों की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। जब तक जनसाधारण में यह सोच पैदा नहीं होगी कि पर्यावरण प्रदूषण से अनेक बीमारियाँ, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सूखा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि भूकंप तथा अन्य आपदायें बढ़ रही है, तब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। पर्यावरण संरक्षण के निमित्त आमजन का सहयोग अनिवार्य हो गया है आज मानव को हरित मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के प्रति जनजागृति के लिए शिक्षण संस्थान, विद्यार्थी और नागरिक अपना अमूल्य योगदान दे सकते है।

वायु प्रदूषण- वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक रूप से ऐसे कोई अवांछनीय परिर्वतन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों,

जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक प्रक्रमों तथा सांस्कृतिक सम्पदा को हानि पहुँचे, यह वायु प्रदूषण कहलाता है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के कुछ सामान्य उपाय जिन्हें आम नागरिक अपना सकता है जैसे कार्बन डाई ऑक्साईड स्तर को वातावरण में कम करने हेतु एक सरल सहज तरीका है अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर हरियाली को बढ़ाना इसके लिए हम अपने घर, अपनी संस्था, मंदिरों के प्रांगण और सड़कों के दोनों तरफ जहाँ तक संभव हो वृक्षारोपण करें। यदि हमारे घर में जगह न हो तो गमलों में पौधे लगा सकते है साथ पहले से लगे पौधों का संरक्षण भी करना चाहिए। इसके लिए पौधे गोद लेकर उनकी देखभाल करें। इस कार्य के लिये बच्चों में जागरूकता पैदा करें ताकि वे अपने घर, स्कूल या महाविद्यालय को हरित परिसर युक्त बनायें। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सम्पूर्ण जनजागृति की दिशा में अभियान चलाने हेतु एनसीसी, एनएसएस, युवा रेडक्रास, रेड रिबन क्लब से जुड़े विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों को भी सहयोग करना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रम जैसे हरियाली महोत्सव, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि आयोजित करना चाहिए।

वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें भोजन बनाने, पानी गर्म करने जैसे कार्यों के लिए लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि के स्थान पर धुँआ रहित ईंधन, कुकिंग गैस, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, इण्डक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव ओवन, आदि का उपयोग कर सकते हैं। उर्जा के लिए सोलर पॉवर, विंड पॉवर का उपयोग कर सकते हैं।

आज लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि थोड़ी दूरी तक भी जाना हो तो मोटर चलित वाहन का प्रयोग करते हैं जिससे निकलने वाले धुंए से वायु प्रदूषण के साथ ईंधन भी खर्च होता है ऐसी स्थिति में यदि हम पैदल चलें या साइकिल से आवागमन करें तो यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हितकारी भी है और ईंधन भी बचेगा। यदि हमें कुछ ज्यादा दूर तक जाना हो तो व्यक्तिगत वाहन का उपयोग न कर सार्वजनिक वाहन/पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन जैसे सिटी बस, लोकल ट्रेन, मेट्रो रेल, ट्राम आदि का उपयोग करें जो कम खर्चीले है। यदि आसपास रहने वालों लोगों को एक ही जगह जाना हो तो सभी अपने अपने वाहनों से जाने की अपेक्षा एक ही वाहन से जा सकते हैं। इससे ईंधन की बचत व प्रदूषण कम

होगा। कई वाहनों की अपेक्षा एक वाहन से होने वाला वायु प्रदूषण भी कम होगा साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होने से ट्रैफिक जाम होने की समस्या में भी कमी आयेगी।

यदि मोटर चलित वाहन का उपयोग जरूरी है तो यूरो मानदण्ड वाले वाहन चलाऐं। सीसा रहित पेट्रोल/ लो सल्फर डीजल का या कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस चलित वाहन चलायें। आजकल बैटरी चलित वाहन भी उपलब्ध है जिनसे प्रदूषण नहीं होता है।

प्रति वर्ष होलिका दहन में लकड़ी बहुत मात्रा में, और खेतों में पराली जलाई जाती है इसे रोकना चाहिए आतिशबाजी से भी वायु प्रदूषण होता है। अत: इसे रोकने हेतु जनजागृति आवश्यक है।

जल प्रदूषण- प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में ऐसे परिवर्तन जो आहार, मनुष्य व जीवों के स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन आदि के लिए अनुपयुक्त या हानिकारक बना दे जल प्रदूषण कहलाता है।

जल प्रदूषण का मुख्य कारण है मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रदूषकों का जल में पहुँचना। सर्वप्रथम हमें इन प्रदूषकों को जल में पहुँचने से रोकना होगा जैसे औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थो को नदियों में न बहायें, न किसी को बहाने दे।

नगरों से निकलने वाले मल-जल, घरेलू गन्दा पानी, कूड़ा-कचरा नदी में न बहायें। नदियों में शव व अस्थियों का विसर्जन, अधजले शव, मृत पशुओं का शव न बहाये, पशुओं को नहलाने, कपड़े धोने कार्य न करें। कृषि कार्य में आजकल बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, रोगनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है जो वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों, जलाशयों के साथ-साथ भूमिगत् जल को भी प्रदूषित कर देते है, अत: ऐसे रसायनों का प्रयोग नहीं करे या कम से कम करें। इस हेतु वैकल्पिक उपाय करें।

मल-जल को नदियों में न बहाकर उसमें जलकुंभी भी उगाई जा सकती है जिससे भारी धातुओं को अवशोषित करने की अभूतपूर्व क्षमता पाई जाती है। इसी प्रकार चीनी मिलों, दुग्धशालाओं, चर्म उद्योगों, कागज उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट में भी इसे उगाया जा सकता है। इसी तरह जलकुंभी का उपयोग बायों गैस बनाने में भी हो सकता है और जल प्रदूषण भी कम होगा।

मृदा प्रदूषण- हमारे जीवन और हमारी कृषि का आधार मृदा ही है किन्तु ये अनमोल मृदा कृषि अपशिष्ट रसायनों, औद्योगिक अपशिष्टों, कूड़ा-करकट, प्लास्टिक, पॉलिथीन, धातु की चीजों, काँच के टुकड़ों से बहुत प्रदूषित हो गई है। यही नहीं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। प्रति वर्ष अरबों टन मिट्टी बहकर समुद्र में चली जाती है, भूस्खलन भी होता है। इन सबसे बचने के लिए सर्वप्रथम हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। भूस्खलन से बचने, ढालों की सुरक्षा के लिए नारा, लेमन ग्रास, नैपयिर किकियू आदि घास लगानी चाहिए जिससे भूमि का ढीलापन कम हो, वृक्षारोपण के साथ-साथ पहले से लगे वृक्षों की अंधाधुध कटाई भी रोकनी चाहिए। धातु की चीजें, कांच के टुकड़े, पॉलिथीन बैग कचरे के रूप में न फेंकें क्योंकि ये नष्ट नहीं होते, वरन एक समय इनकी मात्रा धरती में इतनी हो जाएगी कि मिट्टी में वायु और जल के आवागमन में कठिनाई होगी। पॉलिथीन की थैलियों की जगह कपड़े कागज या जूट से बनी थैलियों का उपयोग करना चाहिए। कृषि कार्य में रसायनों का उपयोग कम से कम करें। जैविक खेती करें जिसमें जैविक खाद का प्रयोग करें। कचरे को फेंकने के बजाय इससे बायोगैस बनाकर बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है।गीला व सुखा कूड़ा-करकट उचित स्थान पर डालने के लिए अगल-अगल कूड़ेदान का उपयोग करें। विशेष कचरे से बायोगैस या वर्मी-कल्चर द्वारा जैविक खाद बनायें। वायु व जल प्रदूषण कम करें इससे मृदा प्रदूषण में भी कमी आएगी।

ध्वनि प्रदूषण- कोई भी अनावश्यक, असुविधाजनक और अनुपयोगी आवाज शोर है, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह शोर यानि ध्वनि प्रदूषण प्राकृतिक भी होता है और मानव जनित भी। औद्योगिक युग में तेजी से हो रहे शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों में लगी मशीनों की आवाज, वाहनों के चलने व उनके हार्न का शोर, रेडियो, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, लाउड स्पीकर्स से उत्पन्न ध्वनि से हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि-प्रदूषण से अनिद्रा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, थकान और विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति कम हो सकती है, पढ़ाई में ध्यान कम लगता है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी है कि स्त्रोत से नियंत्रण किया जाए कमरे से शोर का कम से कम प्रसारण होने दें। लाउडस्पीकर्स का प्रयोग कम से कम करें, वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग

करें, तीव्र ध्वनि वालें हॉर्न न बजाए, सामान्यत: हार्न न बजाना पड़े, ऐसा प्रयास करे। अपने वाहन में घटिया किस्म के ईंधन का उपयोग न करें एवं इंजन की समय-समय पर मरम्मत करवाते रहें अन्यथा ऐसे वाहन चलते समय बहुत शोर करते हैं । ऐसे उद्योग, जिनमें शोर होता है बस्ती से दूर स्थापित करें। त्योहारों व शादी के अवसर पर आतिशबाजी व पटाखों, से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण न फैलाऐं। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करें क्योंकि हरे पौधे वायु प्रदूषण कम करने के साथ-साथ ध्वनि की तीव्रत को 10 डेसीबल से 15 डेसीबल तक कम कर सकते है।

आम नागरिक उपर्युक्त उपायों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अतिरिक्त हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं। प्रयास करें कि वे ईको मार्कवाली हों। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वस्तुओं पर अंकित विशिष्ट चिह्न को ईको मार्क कहा जाता है। ईको मार्क का तात्पर्य ऐसे पर्यावरण सम्मत उत्पादों से है जिनका निर्माण, उपयोग और निष्पादन ऐसे तरीकें से किया जाता है ताकि पर्यावरण को होनेवाले नुकसान कम से कम हों। हमें भी ईको फ्रेंडली बनना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सदैव ईको मार्क वाले उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मानव विकास के लिए विभिन्न विकल्प तलाशना एवं जीवन की गुणवत्ता हेतु अनुकूल कार्यवधि को अपनाकर समन्वित विकास द्वारा प्रदूषण रहित पर्यावरण को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. डे.ऐ.के., एनवायरानमेंटल केमिस्ट्री, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. पर्यावरण चेतना म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. रचना, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
4. शर्मा बी.के., एनवायरानमेंटल केमिस्ट्री, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
5. पत्र-पत्रिकायें एवं स्वयं का अध्ययन।
6. डॉ. एस. अखिलेश, डॉ. संध्या शुक्ल, समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, सेंटर फॉर रिसर्च स्टडीज, गायत्री पब्लिकेशन्स रीवा म.प्र.।

21वीं सदी में हिन्दी साहित्य और समाज : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ '' स्त्री विमर्श के विशेष संदर्भ में''

• डॉ. गार्गी लोहनी
••डॉ. रवि कान्त कुमार

इक्कीसवीं सदी के आरंभिक दो दशक गुजर चुके हैं। यह दशक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का साक्षी रहा है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया ने समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच संक्रमण की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य किया है। आज एक ओर जहां हम स्वयं को उपभोक्तावादी जीवन शैली का आदी बनाते जा रहे हैं, वहीं अपनी पारंपरिक रूढ़िवादी वैचारिक मनोवृति से भी उबरने का प्रयास नहीं करते हैं। सूचना समाज के बढ़ते प्रभाव ने इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया है। इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति आज आभासी दुनियां का आदी बनता जा रहा है। आज हम परिवार में एक साथ रहकर भी एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, जबकि उस व्यक्ति को अपने अधिक करीब महसूस करते हैं, जो वास्तविक दुनियां में हमारे लिए अनजाने होते हैं। परंपरा और आधुनिकता की इस अजीबोगरीब रस्साकसी ने सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित किया है। जिसके कारण मानवीय मनोवृति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने अपनी कृति 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' के आरंभ में ही लिखा है ''जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चितवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चितवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता

• असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग-प्रभारी, हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुणीधार, मानिला, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड
•• अतिथि प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, एस० एस० जे० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

है।'' इक्कीसवीं सदी का हिन्दी साहित्य गुजरते वक्त के साथ साथ बदली हुई स्थितियों में मानवीय संबंधों और सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों की पड़ताल करता है। इसकी अभिव्यक्ति के क्रम में साहित्यिक रचनाओं यथा गद्य, पद्य एवं उपन्यास आदि की अंतर्संरचना, भाववोध एवं शिल्प में बदलाव परिलक्षित होता है। 21वीं सदी जिस प्रकार सूचना समाज के रूप में परिणत होता जा रहा है, उसने मानवीय सोच, मानवीय मूल्यों, बाजारवाद एवं भूमंडलीकरण, नारी अस्मिता के प्रति जागृति एवं सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन को गति प्रदान की है। इसने व्यक्ति और समाज के परंपरागत संबंधों को छिन्न-भिन्न कर अर्थ प्रधान समाज और संस्कृति का निर्माण किया है। इसने साहित्य के क्षेत्र में परंपरा से चली आ रही लेखन शैली को भी प्रभावित किया है।

हिन्दी साहित्य के रचना संसार में स्त्री विमर्श की चर्चा उसके विविध पहलुओं को प्रतिबिम्बित करने की एक पहल है। ये पहल यूं तो पूर्व के समय से अपने अलग स्वरूप में चली आ रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इनके प्रति लेखन शैली एवं दृष्टिकोण में बदलाव आया है। आम तौर पर स्त्री चिंतन या संघर्ष की चर्चा आने पर नारी के शोषण, आत्म-पीड़न, पर-निर्भरता, स्वतंत्रता, स्वच्छंन्दता, दाम्पत्य जीवन के उतार-चढ़ाव, रिश्तों की घुटन, चारदीवारी से बाहर की दुनियां में विचरण की आकांक्षा, पति-पत्नी के रिश्तों की कड़वाहट, तलाक और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव इत्यादि को नारी विमर्श के अंतर्गत रखकर उसका अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाता रहा है। परंतु आश्चर्य की बात यह रही कि इस प्रकार के अध्ययन में भी नारी के विचारों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इन्हीं कारणों से नारी अध्ययन के केन्द्र में नारी के विचारों को महत्व दिया जाना तथा उससे संबंधित विमर्श का महत्व गुजरते समय के साथ बढ़ता जा रहा है।

सदी के विगत दो दशक तेजी से बदल रही दुनियां के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। मानवीय प्रवृत्तियों, महत्वाकांक्षाओं, उपलब्धियों और जीवन परिस्थिति में परिवर्तन की दृष्टि से इस काल खण्ड की विवेचना करें तो निश्चित रूप से यह बीते समय की तुलना में अधिक गतिशील रहा है। वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, नयी आर्थिक नीतियां, बाजारवाद, नये प्रोद्योगिकी का विकास और सूचना समाज की अभूतपूर्व प्रगति ने मानव

समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित एवं परिवर्तित किया है। इसके परिणामस्वरूप मानव व्यवहार में भी बदलाव आया है। साथ ही मानवीय संवेदना, संवेग और मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाली साहित्यिक विधाओं में भी इस बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। कल्पना, यथार्थ और आदर्श के समन्वय या समांतर, सचेतन, समकालीन, नई कहानी आदि नामों से वादोन्मुखी हिन्दी कहानी अब नवीन जीवन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख हो चुकी है।

साहित्य और समाज का संबंध-साहित्य और समाज एक दूसरे से अंत:संबंधित हैं। साहित्य के माध्यम से साहित्यकार समाज का पूर्ण रूप आम जनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, वहीं साहित्य के लिए आवश्यक सामग्री, भाव या विचार का प्रधान स्रोत समाज है। साहित्य सृजन की प्रारंभिक अवस्था से ही साहित्कार अपने इस दायित्व का निर्वहन करता आया है। यह एक ओर जहां समाज का यथार्थ चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी कुशल लेखन शैली तथा कल्पना शक्ति एवं अनुभव के आधार पर समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता है। इस विवेचन के माध्यम से एक साहित्यकार मानव समुदाय की सुख-समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक मार्ग दिखाने का कार्य भी करता आया है। अलोचना की दृष्टि से यदि कहें तो एक साहित्कार वास्तव में सामाजिक व्यवस्था, धर्म, रीति रिवाज, लोक-व्यवहार आदि से ही अपनी रचनाओं के लिए आवश्यक सामग्री का चयन करता है। आम तौर पर एक साहित्कार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वह जन्म लेता है। साहित्कार भी समाज का ही अंग होता है। वह जिस समाज में रहता है, उसकी समस्याएं उसे भी उसी प्रकार प्रभावित एवं उद्वेलित करती हैं जिस प्रकार समाज के अन्य सदस्यों को परंतु वह दूसरों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील और जागरूक होते हैं। साहित्यकार समाज में उत्पन्न होता है और फिर समाज को प्रभावित करता है। साहित्यकार के इसी गुण को स्पष्ट करते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि एक साहित्कार अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उन्हें जैसा सामाजिक परिवेश मिलता है अर्थात् उन्हें जैसा मानसिक स्वाद मिलता है, वैसी ही उनकी कृति होती है। वह उन भावों और

विचारों को उकेरने का कार्य करता है।

समाज पर साहित्य का जितना गहरा, व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है, उतना किसी माध्यम का नहीं पड़ता है। नवजागरण काल से ही अनेक साहित्कार एवं समाज सुधारक इसका प्रयोग अन्याय और शोषण के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में करता आया है। यह एक ओर जहां सामाजिक बुराईयों एवं अंधविश्वासों के खिलाफ क्रोधाग्नि प्रज्वलित करता है वहीं हमारें मन मस्तिष्क में मानव कल्याण की भावनाओं को भी भरने का कार्य करता है। आज के दौर में यह किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त मानी जाती है।

स्त्री विमर्श-'विमर्श' शब्द का सामान्य तात्पर्य है किसी मुद्दे या विषय पर सोचना–समझना, विचार करना या वास्तविक तथ्यों की जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। इसी शब्द को समाज विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसका विवेचन कुछ इस प्रकार किया गया है – विमर्श शब्द का अर्थ होता है अभिव्यक्ति के उन तत्वों या पहलुओं की संरचना, जो कुल जोड़ से भी परे जाकर कोई खास अर्थ देने की क्षमता रखते हों। दूसरे शब्दों में एक निश्चित सामाजिक संदर्भ में भाषा के जरिए किसी एक विषय के इर्द–गिर्द होती हुई बहस द्वारा व्याख्याओं, तात्पर्य और मान्यताओं के निर्णय की प्रक्रिया को विमर्श कहा जाता है। विमर्श की यह प्रक्रिया जब स्त्री जीवन के विविध पहलुओं और खासकर हासिए पर खड़ी स्त्री जीवन, उनके संघर्ष और पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में होने वाले शोषण एवं उत्पीड़न आदि के संबंध में होती है, तो इसे ही स्त्री विमर्श कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्षों तक नारी जिन दासता और हासिए की जिन्दगी जीने को अभिशप्त थी, से निकलने के लिए उनमें जगी चेतना ही स्त्री विमर्श जैसी विचारधारा के उद्भव का कारण रही। स्त्री विमर्श के संदर्भ में आशारानी व्होरा ने लिखा है "आवश्यकता है, नए संदर्भ में नारीत्व को नए सिरे से परिभाषित करने की या मध्यकाल में खोई हुई प्राचीनकाल की परिभाषा को वापस पाने की। नारीत्व जिसका अपना पृथक अस्तित्व हो। अपना एक अहम् हो गौरव हो अपना स्वाभिमान, अपनी उपयोगिता, अपनी सार्थकता हो। जो न पुरूष से हीन माना जाए, न पुरूष की बराबरी में अपने क्षमताओं का अपव्यय करे। जो पुरूष का

पूरक हो। उसकी प्रेरणा हो। उसका मार्गदर्शन करने वाला हो। उसका सहयोगी हो घर, बाहर सभी जगह, सभी क्षेत्रों में। संसार और समाज के निर्माण में दोनो की समान भागीदारी हो। भागीदारी के लिए कार्यों का स्पष्ट विभाजन और परस्पर सहयोग की स्थिति स्पष्ट हो। नारी -पुरूष के संबंधों का आधार मानवीय प्रेम, सम्मान और सहकार हो। यह आदान-प्रदान सहज, स्वस्थ और कुंठा रहित हो सके, लिंग जनित पहचान के अलावा भी स्त्री पुरूष में सहज मैत्री संबंध विकसित किए जा सकें तो संसार को अनेक विकृतियों से बचाया जा सकता है।"

हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श की संभावनाएं-स्त्री विमर्श की संकल्पना मूल रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आयी संकल्पना है। लेकिन विगत तीन से चार दशकों में यह सर्वाधिक चर्चा का विषय रहा है। नारीवादी आन्दोलन ने जिस प्रकार महिलाओं के विकास एवं अधिकार के लिए अवसर मुहैया कराया है, वह पूर्व की परिस्थितियों में अप्रासंगिक प्रतीत होती है। विगत कुछ दशकों में वैश्विक परिस्थितियां ने भी इस दिशा में जमीन तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज हिन्दी साहित्य हो या सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, स्त्री विमर्श पर अध्ययन एवं लेखन कार्य सहज उपलब्ध हो जाता है। हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श पर रचनात्मक आलेखन आज न केवल स्त्रियों द्वारा बल्कि पुरूषों के द्वारा भी किया जा रहा है। हिन्दी साहित्य में चित्रित ऐसे अनेक नारी पात्र है, जो परंपरागत रूढ़ियों, संस्कारों के लिए संघर्षरत हैं। वन्दना राय की कहानी शहादत और आक्रमण की नायिका मुन्नी सिंह अपने उच्च जाति के सैनिक पति के कारगिल युद्ध में शहीद होने पर सामंती परंपरा और पिछड़ी जाति के युवक के प्रेम के द्वन्द्व में है। परिवार के अन्य लोगों को बस शहादत से मिले पैसों पर नजर है। किसी को उसके दु:ख की परवाह नहीं है। जीवन के अंधकार से मुक्ति पाने के लिए वह पति के पैसों को सास के नाम कर प्रेमी युवक के साथ एक रात चली जाती है। हिन्दी साहित्य में वर्णित ऐसे उदाहरण पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात करते हैं। साहित्यकार और खासकर महिला विमर्श पर अपने कलम का जादू चलाने वाली लेखिका समाज में महिलाओं की उस छवि को प्रमुखता दे

रही है, जिससे समाज में महिला अस्मिता की पहचान, निर्णय की स्वतंत्रता, शोषण के विरूद्ध सक्रिय विद्रोह, अपनी प्रतिभा का विकास, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हिन्दी साहित्य में चित्रित नारी पात्र जैसे जैसे अपनी अस्मिता की पहचान बना रही है, पितृसत्ता का आडंबर टूटने लगा है। इससे समाज में एक असमंजस एवं संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। सूचना समाज का विकास इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज इसके माध्यम से स्त्री विमर्श पर विचार करना, दूसरे के विचारों से प्रभावित होना तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सरल हो गया है। इस परिस्थिति ने अन्य सामाजिक विज्ञानों एवं साहित्यिक रचनाओं के समान ही हिन्दी साहित्य के लिए भी संभावनाओं का खुला आसमान उपलब्ध कराया है, जो आने वाले निकट भविष्य में महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श की चुनौतियाँ-सूचना समाज के विकास ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है। आज व्यक्ति पुस्तकों के पठन-पाठन की आदतों से दूर होते जा रहे हैं। एक समय था जब शिक्षा का मूल उद्देश्य एक कुशल एवं चरित्रवान समाज का निर्माण करना था। आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है। आज इंसान धन कमाने वाली मशीन में परिणत हो चुका है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में हम अंधी दौड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसमें पीछे छूटने वाले लोगों की कोई चिन्ता नहीं है। ऐसे क्रूर एवं निर्मम समय में हिन्दी साहित्यिक रचनायें पीछे छूट रहे समाज की चिन्ता और मानवीय मूल्यों को बचाये रखने की चुनौती का सामना कर रही हैं। आज के इस उपभोक्तावादी समाज में पारिवारिक व्यवस्था, जो समाज की महत्वपूर्ण इकाई एवं रीढ़ मानी जाती है, में व्यापक परिवर्तन आया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था जो कभी हमारी सामाजिक व्यवस्था की पहचान मानी जाती थी, पूरी तरह बिखरती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूक्लियर परिवार अस्तित्व में आया। इस परिवार की नींव माता-पिता एवं बच्चों पर टिकी है। आज समाज में इन तीनों को भी एक साथ समय व्यतीत करने का अवसर बहुत कम ही मिलता है। ऐसे में

साहित्य को समाज के बीच अपना महत्व कायम रखना अपने आप में एक कठिन चुनौती है। महिला विमर्श के संदर्भ में बात करें तो आज लड़की एवं बेटी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, नारी का नारी के प्रति दृष्टिकोण, परंपरागत मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री-पुरूष संबंधों के प्रति दृष्टिकोण आदि को केन्द्र में रखकर किया जाने वाला रचनात्मक लेखन कार्य किया जा रहा है। हिन्दी साहित्य के नवागंतुक लेखकों के लिए यह एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि एक ओर परंपरा से चली आ रही लेखन शैली एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लिए डिजिटल माध्यम अनेक अवसर एवं प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे माध्यम के लिए न समय की बाध्यता होती है और न स्थान की। ऐसे में स्त्री विमर्श जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाना एक कठिन चुनौती है। समाज में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता पारंपरिक विचारधारा के वाहक एवं रूढ़िवादी विचारधाराओं से ग्रसित व्यक्ति के लिए खुली चुनौती के समान है। आज हिन्दी साहित्य में महिला विमर्श पर लेखनी करने के दौरान इन समस्याओं से रू-ब-रू होना भी एक सामान्य बात हो गयी है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के बदलते उद्देश्य, समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा आज भी हिन्दी साहित्य की उपेक्षा, आर्थिक स्थिति, समयाभाव आदि अनेक ऐसी समस्याएं है जो इस सदी में भी हिन्दी साहित्य और खास कर हिन्दी साहित्य में महिला विमर्श पर लेखनी के दौरान गतिरोध बनकर उभरते रहेंगे। इन चुनौतियों से उबरकर ही एक स्वस्थ समाज की कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है।

निष्कर्ष-समय का चक्र निर्बध गति से गतिमान है। इस घूमते चक्र के साथ समाज में बदलाव की प्रक्रिया भी घटित हो रही है। साहित्य का समाज के साथ अटूट संबंध होने के कारण सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होता है। हिन्दी साहित्य में समाज के उन तबकों को, जो वर्षों तक हासिए की जिन्दगी गुजर बसर को मजबूर रहे, को उपयुक्त स्थान दिया जा रहा है। बावजूद इसके स्त्री विमर्श से संबंधित अनेक विचारणीय तथ्य ऐसे हैं, जो आज भी साहित्यकारों को दो वर्गों में विभाजित करते है। पहले वर्ग के अंतर्गत उन साहित्यकारों को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी रचनाएं महिलाओं को उनकी स्वच्छन्द

उड़ान के लिए अभिप्रेरित करती है। नारी का स्वयं के प्रति एवं समाज का नारी के प्रति वह दृष्टिकोण जो उनकी चेतना, निर्णय लेने की क्षमता, शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ उसकी उठती आवाज, रूढ़िगत परम्पराओं से मुक्ति के संधर्ष को चित्रित करती साहित्यिक कृति इसी वर्ग के साहित्यकारों का उदाहरण है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत उन साहित्यिक रचनाकारों को सम्मिलित किया जाता है, जो परंपरा से चले आ रहे सामाजिक दृष्टिकोण के पोषक हैं।

महिलाओं से संबंधित जनमानस के अंतर्मन के भावों और विचारों को अपनी लेखनी के बल पर समाज के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उसे एक नई दिशा देना एक साहित्यकार का परम कर्तव्य होता है। हिन्दी साहित्य में आज न केवल विद्रोह के स्वर प्रखर हो रहे हैं बल्कि इनके साथ-साथ इसने सामंतीय संस्कारों, आर्थिक एवं पारिवारिक संबंधों में नवीन वैचारिक दृष्टिकोण को अपनाया है। हिन्दी साहित्य में ग्रामीण अंचल और महिला को केन्द्र में रखकर लेखनी की परंपरा पूर्व के साहित्कारों की रचनाओं में भी विद्यमान रही है लेकिन महिला विमर्श और ग्रामीण अंचल को केन्द्र में रखकर जो यथार्थ स्वरूप 21वीं सदी के रचनाकारों में परिलक्षित होता है। वह साहित्यिक विधाओं में आये बदलाव का स्पष्ट रेखांकन करती है। आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वह स्त्री विमर्श पर आलेखन की अपार संभावनाओं के द्वार खुले होने का संकेत देती हैं। लेकिन इन संभावनाओं के साथ साथ उन्हें विविध चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके आज साहित्य में स्त्री विमर्श सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका अध्ययन आज हमारी आवश्यकता नहीं अपितु मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में स्त्री विमर्श समाज विज्ञान एवं साहित्य के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक मुद्दा बन गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. दुबे, श्यामाचरण, भारतीय समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2015 (सप्तम संस्करण)
2. सिंह, सीमा, नारी : स्थिति, संघर्ष और चुनौतियाँ, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2017
3. यादव, राजेन्द्र, खेतान, प्रभा एवं दुबे, अभय कुमार, पितृसत्ता के नए रूपः स्त्री

और भूमंडलीकरण, राजकमल पेपर बैक्स, 2010

4. कुमार, शशि भूषण 'शशि', इक्कीसवी सदी और युवा हिन्दी कहानी का बदलता परिदृश्य, रिसर्च जर्नल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंस,गायत्री पब्लिकेशन्स रीवा,अंक सितम्बर 2015, पेज 236-243
5. शुक्ल, अमित, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के उभरते परिदृश्य में राष्ट्र भाषा हिन्दी की दशा व दिशा, रिसर्च जर्नल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंस,गायत्री पब्लिकेशन्स रीवा, अंक अप्रैल 2017, पेज न0 22-27
6. www.jagran.com/women empowerment 7 March 2013

हिंदी भाषा चुनौतियाँ और समाधान

•श्रीमती मंजरी अवस्थी

आज के समय में वही भाषा जिन्दा रह पायेगी जो अपने भाषायी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम है। हर बच्चा स्कूल जा रहा है। और उसके माध्यम की भाषा ही उसकी प्रथम भाषा बन जाती है। इस लिहाज से देखें तो हिंदी की दशा भी दूसरी भाषाओं की तरह दयनीय होती जा रही है। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रभावी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही है। क्योंकि हिंदी माध्यम वाले स्कूल शमशान बन चुके है। इस स्थिति की ओर संकेत न करना ही हिंदी की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ होना ही है।

हिंदी की वर्तमान स्थिति- हिंदी विश्व में चीनी भाषा के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत और विदेश में करीब 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तथा इस भाषा को समझने वालों की संख्या 90 करोड़ है। हिंदी भाषा का मूल प्राचीन संस्कृत भाषा में है। इस भाषा ने अपना वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों के पश्चात हासिल किया है। और बड़ी संख्या में बोलीगत विभिन्नतायें अब भी मौजूद है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिये संयुक्त है। हिंदी के अधिकतम शब्द संस्कृत से आये हैं इसकी दूसरी व्याकरण की भाषा भी संस्कृत भाषा के साथ समान है।

राजभाषा के रूप में हिंदी- राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और हिंदी ने गूंगेपन से बचाया है।भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343(1) हिंदी की गिनती भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल पच्चीस भाषाओं में की जाती है। भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार की पत्राचार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यह विचार किया गया था कि 1965 तक हिंदी

• सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी जिला - होशंगाबाद (म.प्र.)

पूर्णतः केन्द्र सरकार के काम काज की भाषा में कामकाज संचालित करने के लिये स्वतंत्र होगी। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित करके यह व्यवस्था की गई कि सभी सरकारी प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग भी अनिश्चित कारण के लिये जारी रखा जाये। अतः अब भी सरकारी दस्तावेजों, न्यायालयों आदि में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। हालांकि हिंदी के विस्तार के संबंध में संवैधानिक निर्देश बरकरार रखा गया है। राज्य स्तर पर हिंदी भारत के निम्नलिखित राज्यों की राजभाषा है: बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली प्रत्येक राज्य अपनी सहराजभाषा भी बना सकते है।

हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर- हमारी राष्ट्रीय भाषा की अत्यधिक लोकप्रियता और बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त प्रगति हुयी है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों (हिंदी भाषी राज्यों में) के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में कार्य करना अनिवार्य है। अतः केन्द्र राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और इकाइयों हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक प्रबंधक (राजभाषा) जैसे विभिन्न पदों की भरमार है। निजी टी.वी और रेडियो चैनलों की शुरूआत और स्थापित पत्रिकाओं/समाचार पत्रों के हिंदी रूपान्तर आने से रोजगार के अवसरों में कई गुना वृद्धि हुई है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों, न्यूजरीडर्स, उपसंपादकों, प्रूफरीडरों, रेडियो आयोजकों, एंकर्स आदि की बहुत आवश्यकता होती है। इनमें रोजगारों की इच्छा रखने वालों के लिये पत्रकारिता/जन संचार में डिग्री/ डिप्लोमा के साथ साथ हिंदी में अकादमिक योग्यता रखना महत्व पूर्ण है। कोई व्यक्ति रेडियो, टीवी, सिनेमा के लिये स्क्रिप्ट राइटर/ डायलाग/राइटर, गीतकार के रूप में सृजनात्मक लेखन आवश्यक होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के लेखन के स्टाइल में सृजनात्मक लेखन में डिग्री, डिप्लोमा निश्चित तौर पर निखार ला सकता है। इसमें प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय लेखकों के कार्यो का हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी लेखकों की कृतियों का अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं अनुवाद कार्य करना भी सम्मिलित होता है। फिल्मों की स्क्रिप्ट, विज्ञापनों को हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद करने का भी कार्य होता है। परंतु इस क्षेत्र के लिये द्विभाषी दक्षता होना महत्वपूर्ण हैं कोई व्यक्ति एक स्वतंत्र अनुवादक के तौर पर अपनी

आजीविका संचालित कर सकता है। ऐसी फर्म अनुबंध आधार पर कार्य प्राप्त करती हैतथा बहुत से पेशेवर अनुवादकों को रोजगार उपलब्ध कराती है। विदेशी ऐजेंसियों से भी अनुवाद परियोजनाओं के अवसर प्राप्त होते है। यह कार्य इंटरनेट के जरिये आसानी से किया जा सकता है। विश्व भर में यह सिस्टम भाषान्तकारों के रूप में उपलब्ध होते है।

चुनौतियाँ और समाधान- सकल सृष्टि में भाषा का विकास दैनंदिन जीवन में और दैनंदिन जीवन से होता है भाषा के विकास में आमजन की भूमिका सर्वाधिक होती है शासन और प्रशासन की भूमिका अत्यल्प और अपने हित तक सीमित होती है भारत में तथा कथित लोकतंत्र की आड़ में अति हस्तक्षेपकारी प्रशासन तंत्र दिन ब दिन मजबूत हो रहा है जिसका कारण संकुचित संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ तक बढ़ती असहिष्णुता है राजनीति जब समाज पर हावी हो जाती है तो सहयोग,सद्भाव,सहकार और सर्वस्वीकार्यता के लिये स्थान नहीं रह जाता है दुर्भाग्य से भाषिक परिवेश में यही वातावरण है हर भाषा-भाषी अपनी सुविधा के अनुसार देश की भाषा नीति चाहता है।

निरर्थक प्रतिद्धंदता संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने की दिशा-हीन होड़ जब-तब जहॉ-तहॉ आंदोलन का रूप लेकर लाखों लोगों के बहुमूल्य समय उर्जा तथा राष्ट्रीय संपत्ति के विनाश का कारण बनता है। 8वीं अनुसूची में जो भाषा यें सम्मिलित उनका कितना विकास हुआ है या जो भाषायें सूची में नहीं है। उनका कितना विकास अवरूद हुआ है। इसका ऑकलन किये बिना यह होड़ स्थानीय नेताओं और साहित्यकारों द्वारा निरंतर विस्तारित की जाती है। राजनैतिक टकराव में भाषा को घसीटकर हिंदी को विवादास्पद बना दिया गया।

किसी देश में जितनी भी भाषायें जन सामान्य द्धारा उपयोग की जाती हैं, उनमें कोई अस्पष्ट भाषा नहीं हैं। अर्थात वे सभी राष्ट्रभाषा हैऔर अंचल में बोली जा रहीं हैं, बोली जाती रहेंगी। निरर्थक विवाद की जड़ मिटाने के लिये सभी भाषाओं /बोलियों को राष्ट्रभाषा घोषित कर अवांछित होड़ को समाप्त किया जा सकता है। 700से अधिक भाषायें राष्ट्र भाषायें हो जाने से सब एक साथ एक स्तर पर आ जायेंगी। हिंदी को इस अनुसूची में रखा जायेगा। हिंदी विश्व वाणी हो चुकी हैं। जिस तरह किसी भी देश का धर्म न होने के बावजूद सनातन धर्म और संस्कृत का

अस्तित्व था। वैसेमी हिर्दी बिना किसी के समर्थन और विरोध में फलती फूलती रहेगी।

शासन प्रशासन के हस्तक्षेप मे मुक्ति 700से अधिक भाषायें/बोलियॉ राष्ट्र भाषा हो जाने पर पारस्परिक विवाद मिटेगा। कोई सरकार इन सबकों नोट आदि पर नहीं छाप सकेगी।इनके विकास पर न कोई खर्च होगा न किसी अकादमी की जरूरत होगी। जिसे जन सामान्य उपयोग करेगा। वही विकसित होगी। किन्तु राजनीति और प्रशासन की भूमिका नगण्य होगी।हिंदी के नाम पर आत्मप्रचार करने वाले आयोजन न हो तो हिंदी विरोध भी न होगा। जब हिंदी भाषा बोली के क्षेत्र में उसको छोड़कर हिंदी की बात की जायेगी तो स्वाभाविक है कि उस भाषा को बोलने वाले हिंदी का विरोध करेंगे। बेहतर है कि हिंदी के पक्षधर उस भाषा को हिंदी का ही स्थानीय रूप मानकर उसकी वकालत करें ताकि हिंदी के प्रति स्पर्धी मानकर उसका विरोध कर रही है। सभी स्थानीय भाषाओं/बोलियों में जो शब्द नहीं है वे हिंदी से लिये जायेंगें। हिंदी में भी उनके कुछ शब्द जुड़ेंगे।

हिंदी की सामर्थ्य और रोजगार क्षमता हिंदी को हितैषियों को यदि हिंदी का मैला करना है तो नारे बाजी और संमेलन बंद कर हिंदी के शब्द और सामर्थ्य और अमिव्यक्ति बढ़ायें, हिंदी की सरलता या कठिनता के निरर्थक व्यायाम को बन्द कर हिंदी की उपयुक्ता पर ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष- अब हम हर वैश्विक प्रकाशन घटनाओं को बहुसंख्यक लोगों के बीच विशेषकर हिंदी क्षेत्र में अपना स्थान बनाने के लिये संघर्षत पाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन घटनाओं में न केवल हिंदी प्रकाशन की शुरूआत की है। बल्कि श्रेष्ठ बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने वाली पुस्तकों के बड़े पैमाने पर अनुवादित रूपान्तरण हिंदी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। अत: प्रकाशन घटनाओं में अनुवादक, संपादक और कंपोजर के रूप में व्यापक अवसर मौजूद है। हिंदी भाषा में स्नातकोत्तरों विशेषकर जिन्होंने अपनी पीएच.डी. पूरी कर ली हो, के लिये विदेशों में भी रोजगार के अवसर है। कुछ देशों द्वारा हिंदी को बिजनेस की भाषा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के शिक्षक की जबर्दस्त मांग बढ़ी है। भारत में स्कूलों कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक के तौर पर भी परंपरागत शिक्षण व्यय को चुना जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. हिंदी कथा साहित्य, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी
2. डॉ. गीता नायक, डॉ. सुषमा डॉ आनंद कुमार सिंह आधुनिक साहित्य, विकास और विमर्श
3. प्रभाकर सिंह, प्रति श्रुति प्रकाशन
4. लोक स्मति एवं संस्कति, डॉ आनंद कुमार सिंह
5. डॉ. सानन्द कुमार सिंह, प्रति श्रुति प्रकाशन
6. हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेगें, ठाकुर प्रसाद सिंह
7. हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट्र गधाविधायें एवं बुंदेली भाषा साहित्य, डॉ, राधाबल्लभ शर्मा, डॉ त्रिभुवन नॉथ शुक्ल, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल

– सम्पादक परिचय –

डॉ. अखिलेश शुक्ल एक ऐसे युवा समाज वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिये सात बार प्रतिष्ठित ''पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त एवार्ड'' तथा सन् 2006 में भारत सरकार द्वारा ''भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड'' से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल प्रारम्भ से ही एक मेधावी अध्येता रहे हैं। जिन्होंने ''जुविनाइल डिलिनक्वेंसी'' जैसे गूढ़ विषय पर शोध कार्य पूर्ण करके अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से डॉक्टर आफ फिलासफी की उपाधि 1994 में अर्जित की। 1997–98 में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, भारत सरकार द्वारा ''गोल्डन जुबली रिसर्च फेलोशिप'' स्वीकृत की गई थी। डॉ. अखिलेश को ''प्रो. रमाकुमार सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल'' (1990) से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल की अभी तक 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रो. अखिलेश के 300 से अधिक शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिसर्च जरनल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक शोध पत्र प्रकाशनाधीन हैं। डॉ. अखिलेश इस समय शासकीय टी.आर.एस. आटोनामस कालेज (एक्सीलेन्स सेन्टर) रीवा में कार्यरत हैं। इनके निर्देशन में अनेक शोधार्थी समाजशास्त्र एवं अपराधशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं। डॉ. अखिलेश रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेज (आई.एस.एस.एन. 0973–3914) *तथा* रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेज (आई.एस.एस.एन. 0975–4083) *के ऑनरेरी एडिटर का कार्य भी सम्पादित कर रहे हैं।*

978-81-87364-82-5

गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा (म.प्र.) भारत

Mobile : 07974781746
E-mail : gayatripublicationsrewa@gmail.com
www.researchjournal.in